Discussion on Election Reforms (Contd.-Concluded)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity to participate in this debate on electoral reforms, a matter both important and crucial for our democracy. I would like to recall the words of the architect of our Constitution, Dr. B. R. Ambedkar:

> ?The House will realise that franchise is the most fundamental thing in a democracy. No person who is entitled to be brought into the electoral rolls on the grounds which we have already mentioned in our Constitution, namely, an adult of 21 years of age should be excluded merely as a result of the prejudice of a local Government, or the whim of an officer. That would cut at the very root of democratic Government.? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज।

SHRI K. C. VENUGOPAL: These historic words from Dr. B. R. Ambedkar, spoken on June 15th, 1949, when Article 289 was introduced, were not merely a warning; they were a constitutional prophecy.

For decades following the first general election of 1951-52, the Election Commission enjoyed the full confidence of the nation. But unfortunately today, that sanctity has been completely compromised. The idea of an impartial electoral umpire has now been replaced. It now openly collapses under political pressure and turns into a party sign. The right to vote is not a favour granted by the Government. It is the fundamental principle of democracy. Every citizen above 18 is guaranteed a right. As the hon. Leader of the Opposition yesterday pointed out, *vote chori* is the ... act. Unfortunately, instead of preventing this ... act, the Election Commission has been enabling it.

Sir, I brought it to your notice before the general elections 2024. Our Congress Party does not have much resources in its kitty. We are a poor party in this country, not like BJP.

What happened just before the general elections? Our entire account was frozen. What was the reason? The reason was delay in filing our Party?s Income Tax Return for two weeks. Can you imagine in a democratic world that a political party?s account is frozen due to delay in filing Income Tax Return, that too just before the general elections? This was their attitude. We filed a petition with the Election Commission. They did not intervene at all. You can see that whenever an election is going to be announced, Income Tax Department becomes active, CBI is active, ED is active and there are raids after raids against the Opposition. This is not happening to the BJP people. They are completely free.

I am bringing to your notice two occasions. We had been reading the deliberations and discussions that happened in the Constituent Assembly on the issue of Election Commission. At that point itself, this question arose. Since 1950, the Election Commission has commanded the trust of the entire nation. There were no serious allegations against the Election Commission at all. But in recent years, many petitions have been filed in the Supreme Court of India. At that point of time, the Supreme Court constituted a Constitution Bench under Justice K.M. Joseph. The Constitution Bench led by Justice K.M. Joseph gave a verdict that till a law is enacted, there should a mechanism including the Prime Minister, the Leader of the Opposition of Lok Sabha and the Chief Justice of Supreme Court. In the Anoop Baranwal *versus* Union of India case, this judgement was given by the Constitution Bench led by Justice K.M. Joseph that until Parliament legislated, the CEC and EC must be appointed by a committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India. The goal was very simple, Sir. The intention of the Supreme Court was very simple that there should be an impartial empire which can do free and fair election for Election Commission of India. This was the intention of the Supreme Court. Nobody can question the intention of the Supreme Court. Yesterday, the hon. Minister told us that they made a law because the Supreme Court directed them.

Whenever you are making a law, at least you should apply your mind as to what the intention of the Supreme Court?s verdict is. The Supreme Court?s verdict is very clear that there should be an impartial empire for conducting elections. But you did not want the Chief Justice of the Supreme Court in that committee. Immediately after the Supreme Court?s

judgement, you enacted that law, removing the Chief Justice from that committee. ? (*Interruptions*) Your intention is very clear. You are very much scared of putting the Chief Justice of India in that committee. The Chief Justice is not our man. ? (*Interruptions*) The Chief Justice is going to be a neutral man. ? (*Interruptions*) Let me complete, brother. ? (*Interruptions*) Yesterday, the hon. Leader of the Opposition told about that. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा): सर, वह कमेटी है ।? (व्यवधान) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं ।? (व्यवधान) उसके बाद भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं । इनका किसी के ऊपर विश्वास थोड़े ही है ।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट): क्या उनके पास पाइंट ऑफ ऑर्डर है?? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे: हां, मेरे पास पाइंट ऑफ ऑर्डर है ।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: आपके पास क्या पाइंट ऑफ आर्डर है?? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, This was one instance. ? (*Interruptions*) The hon. Law Minister has to answer. You did not answer the question of LoP yesterday. You have done so many ... but you did not answer the real questions put by LoP and other Opposition leaders. What was the reason for making a law to give immunity to the Election Commission of India?? (*Interruptions*) You did not answer it. You can verify it. The real question of this country is that till 2023 so many Election Commissions were there. Brave, neutral, dynamic Election Commissions were there. Nobody got this immunity. Nobody asked for this immunity. Why this demand of immunity for the Election Commission came now in 2023? ? (*Interruptions*) There is an answer, hon. Minister. It is because of the ...of the Election Commission and the Government. You know that. You know that you are violating the basic principle of democracy.

माननीय अध्यक्ष: आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

SHRI K. C. VENUGOPAL: You are completely trying to destroy the democracy. That is why, Election Commission needs this immunity now. This is impunity for the ... This is going to be a lifetime washing machine procedure. ? (*Interruptions*) Basically, this immunity is going to be an impunity for ? Again, I am repeating, this is an all-time washing machine.

Sir, we all are here because of democratic vote. But, whenever we are enacting a law in the Parliament regarding the basic fundamental principles of democracy, we are actually doing ... of democracy through this legislation. That is what has happened in 2023.

Sir, after getting the immunity in 2023, the Election Commission selection process is now comprising of Prime Minister, Home Minister. Now, what was it? Sir, since my childhood itself, I had been witnessing the conduct of Election Commissions and their actions. During the election time, there used be a level playing field for all political parties. That was a general principle. That is why the Election Commissions of India, at many points of time, strongly came forward to protect the neutrality of the Commission.

Now, you can see that in your State ? in Banswara, Rajasthan ? in 2024, what our hon. Prime Minister spoke about. He said:

> ?The congress manifesto is saying that they will calculate the gold of the mothers and sisters, get information about it and then distribute it. Brothers and sisters, this urban-naxal thought will not let even your *Mangalsutra* escape. They will go this far.?

This was the hon. Prime Minister?s speech in Banswara, 2024. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे नहीं करते हैं।

? (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, वे हर बार उठ जाते हैं। कोई रूल ही नहीं है।? (व्यवधान) हम जब भी उठते हैं, तो आप रोक देते हैं कि हम लोग नहीं उठ सकते।? (व्यवधान) सर, यह नहीं चलेगा।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं इतना-सा आग्रह करता हूँ कि यदि हम बाहर के स्टेटमेंट्स पर जाएंगे, तो दोनों तरफ से बहुत स्टेटमेंटबाजी होगी। इसलिए आप जो बोल रहे हैं, वह कंक्रीट बात बोलें।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, this is a discussion of ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कई लोग आम सभाओं में बोलते हैं, लेकिन यह सदन है। सदन और आम सभाओं में अंतर होता है।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, please switch on the mike. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माइक चालू है।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, this is a discussion on electoral reforms. When we are discussing the electoral reforms, we need to point out all these issues. When we complained about the violation of the Code of Conduct by the Prime Minister, what did the Election Commission do? They have forwarded our letter to J.P. Nadda ji, who is the BJP President. This was the Election Commission. They have written, ?Accordingly, I am directed to forward a copy of the representation dated 21.04.2024 made by the Indian National Congress; the representation dated 23.04.2024 made by the Communist Party of India; and the representation dated 21.04.2024, to the BJP?s National President?. The Prime Minister spoke all these things. The same day, one manipulated complaint came against Rahul Gandhi and that was also given. My point is that where was the neutral empire. This is my question. Why am I talking all these things? Where was the neutral empire? This is very, very disturbing.

Sir, during an election time, every political party promises some schemes and benefits to the voters. It is quite natural. It is done through a manifesto and the Government can also announce some schemes. There is no problem. But just one day before the election, putting money into the bank accounts of the voters and telling the voters in the polling booths that that will not repeat if you do not vote for BJP, is it not a violation? Is it not a violation? This is what is

happening. This is what has happened in Bihar also. My friends from Bihar know that. Everybody knows what happened in the polling booths in Bihar. This is very much unfortunate.

Sir, now I come to SIR. Yesterday, the hon. Minister spoke about SIR and said, ?This is not a new thing. In your term also, SIR was there?. I have copies with me with regard to SIR during our term. This is the order of the Election Commission of India in 2004. There was a six months? procedure and that too not before the election. They deferred SIR of Arunachal Pradesh and Maharashtra due to the elections. The States of Maharashtra and Arunachal Pradesh were going for elections. At that point of time, the Election Commission deferred the process of Special Intensive Revision in both the States of Maharashtra and Arunachal Pradesh. Now, what are you doing? Just before the Bihar election, two months before the election, you started SIR. Now, Kerala, Tamil Nadu, Assam, Pondicherry, West Bengal -- all the States are going for elections. Just before the elections, you have started SIR. The earlier procedure was six months. Now, it is two months or something. After the intervention of the Supreme Court, some extension has happened. What was the intention? I do not know. J.P. Nadda ji is not here. I do not know about it. In Bihar, some strange thing is happening. I am telling you about the Bihar experience. As per the estimate, there was a deletion of the names of 65 lakh voters from the electoral rolls during SIR. This is the single largest deletion of voters in one stroke since Independence. The worst issue was marginalised communities. At the same time, as per an independent survey, 1.5 lakh genuine voters? names were deleted, as had been told by the LoP yesterday.

I am also one of the petitioners in the Supreme Court for my Party. The case is still going on. It is only because of the intervention of the Supreme Court that the Aadhaar card, ration card, and land records of old NRC shall be accepted under the electoral rolls. The danger is not hypothetical; it is existential.

Sir, it is not for the Congress Party. I can quote what the former Election Commissioner Ashok Lavasa said. He questioned it. He said that the Election Commission of India, through such an SIR, is undermining the public trust. He described this exercise in Bihar as unprecedented in the ECI?s history. He warned that its methodology will set troubling

precedents, if expanded nationally. Former CEC S. Y. Quraishi described the Bihar experience as an ?epic exclusion.?

The Hindu newspaper has done a small study and they focused on the 65 lakh voters related to the *daak* electoral roll. They came out with some interesting data. That is why I am searching for our hon. Health Minister and BJP President, Shri J. P. Nadda to see whether he was here or not.

In Bihar, 80 Assembly parts showed an unusually high proportion of young deaths. In these areas, more than half of the deceased voters were under the age of 50. For example, at one polling station in Bhagalpur, 50 out of 58 total deaths were of individuals under 50 years of age. At one polling station, 58 names were deleted due to death. Out of those 58 deaths, 50 people were under 50 years. That is a very serious concern, if the Government of India has any concern about young deaths. Fifty-eight people dying in a booth, out of which 50 are below 50 years - what is the Health Ministry doing? This is a clear-cut example of misuse of SIR. I am very worried about all these things - this hurried SIR.

In my State, one poor employee who was a BLO in northern Kerala, Kannur district, committed suicide. Sir, how many BLOs have committed suicide in your State? Who will reply to the family of the deceased person? Because of this hurried experiment, this hurried exercise, the entire BLO system came under so much pressure and they were not in a position to overcome this pressure. That is why they committed suicide. Many valuable lives have been spoiled.

All the learned Members here, we all know about the Election Commission?s procedure. Therefore, my question is this. Whenever an electoral reform is happening, they will consult the stakeholders. Who are the stakeholders in this election process? Mainly political parties. So, whenever you are going for a reform in elections, usually the Election Commission will consult the political parties and take a common view on how to move forward.

In Kerala, the entire State Assembly unanimously, including all political parties, including BJP, passed the Resolution because the local body election is going on. The calendar of SIR is

completely the same as the local body election dates. Therefore, the Assembly unanimously passed the Resolution and sent it to the Election Commission and the Government of India, requesting that at least this procedure be postponed. Then what happened? Not only that, the Chief Electoral Officer of the State, the officer of the Election Commission in the State, also said that it is very difficult now to do this SIR, and that it is better to postpone SIR. The Chief Minister convened a conference of political parties; all political parties except BJP demanded this. If the political parties do not want it now, and the electoral officer does not want it now, for whom is the Election Commission of India acting?

Basically, my point is that the role of the Election Commission of India in these things, not at all. This is what I want to say. Therefore, I think that now, after the intervention of the Supreme Court, they are postponing it. Is that the way to deal with it? Without the judicial intervention, the Election Commission has to do all these things. But instead of remaining neutral, they are completely doing partisan acts. That is why, we are very much worried.

Sir, we have put forward 3-4 questions. Yesterday, hon. LOP emphasised on 3-4 major issues. What are those issues? The first issue is why is there no machine readable voter list. We are discussing the electoral reforms. Our question, entire nation?s question, is this. We are talking about Digital India. Therefore, in this Digital India era, why do we not have the machine readable voter list? The question is very simple.

Number two, why have you given a clean chit to destroy video evidences or CCTV evidences? For that also, there is a history. After the Haryana elections, the court instructed the Election Commission to provide all these facts including the 17C Form. Immediately after that, they have come with an Order of Election Commission of India to overcome that High Court Order.

Earlier, they have done the process of selecting the Election Commission. Then, why are they permitting the separate list? Why is this Election Commission acting as an ... Sir, these things have to be addressed. India is a democratic country. Yesterday, we discussed about that.

Sir, see the diversity of our country. Our country is great. We have so many languages. We have so many religions. We have so many castes. The connecting thread here is the democratic process of this country. You are completely destroying that democratic process. It is going to harm the diversity and unity of this country. You are in a different terrain.

Sir, when Britishers were ruling our country, Britishers thought that they can rule India forever by using their gun and wealth. But that colonial rule was stopped by millions of people of India. They went to jail. So many people sacrificed their lives. Now, BJP is talking about *Vande Mataram*. That is okay but they did not have any role in the freedom struggle. At that point of time, our forefathers fought for freedom. They went to jail. ? (*Interruptions*) So many people lost their lives but finally, India got freedom. Britishers ran away from our country. This was the wisdom of our people. This was the courage of our people. This was actually the commitment of our Indian people.

Now, our Modi *Ji* and Amit Shah *Ji* are thinking in the same way. By using ED, using CBI, using Income Tax and using Election Commission, they think that they can rule this country forever. They are thinking that they can rule this country forever but Sir, very politely, I am reminding that India fought against the British colonial rule. We succeeded in that struggle. You can come with ED, you came with CBI, you can come with Election Commission but finally, everything will be decided by the people of India. There will be a movement in India.

There will be a movement in India to save the democracy of this country. There will be a movement in India. ? (*Interruptions*) They think that this kind of *vote chor*i can be survived for ever. ? (*Interruptions*) We will ensure this *vote chori* will not go on.? (*Interruptions*) Come what may, we are not bothering about going to jail. We are not bothering about anything. ? (*Interruptions*) We know that they will put us in jail. We know that. ? (*Interruptions*) They will use all their weapons against us. Even then, we are saying here that we will fight it out, and try to save our democracy in this country.? (*Interruptions*)

That is what I want to say, Sir. Thank you very much.

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष की ओर से श्री वेणुगोपाल जी का भाषण सुन रहा था। मैंने बाकी नेताओं का भी भाषण सुना। चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बार-बार खटक रही है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण में तल्खी बहुत है। चाहे वह विपक्ष के नेता का हो या माननीय श्री वेणुगोपाल जी का हो, इस तल्खी का कारण क्या है? यह पीड़ा, कसक, दर्द क्यों है? वे हार जाते हैं। जब जनता वोट नहीं देती है, तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। जब जनता वोट नहीं देती है, तो पार्टी गड़बड़ है। जनता आपको वोट नहीं देती, तो हम क्या करें? अभी श्री वेणुगोपाल जी हमारे प्रदेश की बात कर रहे थे। बिहार हमारा प्रदेश है। Mr. Venugopal, I hope, you are aware that I come from Bihar. I am an MP from Bihar. You talked a lot about my State.

<u>12.43 hrs</u> (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

महोदय, बिहार में चुनाव हुआ, इन्होंने इतना हंगामा किया, लेकिन इनको केवल 5 सीटें मिलीं। ओवैसी जी कहां हैं?ओवैसी जी बराबर में ही हैं। आप एक चीज मुझे बताएं कि राहुल गांधी जी इतना घूमे, बाद में तफरका भी हो गया। तेजस्वी जी बोले कि मैं पीछे क्यों हूं, तो वह भी बहुत चले। इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया केवल 5 सीट और हम लोगों को निर्णायक विजय आई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती, क्योंकि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार का काम देखा है। इस काम के कारण जनता उनको वोट देती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे,तब तक कैसे काम चलेगा? मैं एक बात यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं हाथ उठा रहा था, तो माननीय श्री वेणुगोपाल जी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में पेटीशनर भी हैं। वहां वह बहस भी कर रहे हैं। संसद की कुछ मर्यादा भी होती है। माननीय कानून मंत्री जी इस पर विचार करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पेटीशनर हैं और आप वहां इस विषय को रख रहे हैं, तो उस विषय को यहां उठाने का अधिकार क्या आपके पास है? मेरी समझ में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, Mr. Venugopal, you mentioned before this hon. House that you are a petitioner in the Supreme Court about SIR, and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this Parliament.? (*Interruptions*)

सर, मैं यह आप पर छोड़ता हूं। इस पर मेरी गंभीर आपत्ति है। Let the issue be examined, and if my objections are found to be correct, his entire observation should be deleted form the record. ? (*Interruptions*) I repeat, if on his own he is showing that he is a petitioner in the hon. Supreme Court on the issue of SIR and other fanciful allegations against the Election Commission, I am sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against the

Parliamentary norms. Therefore, delete all his comments from the record of this Debate. That is my formal request? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the Chair take a stand.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : I did not interrupt you Mr. Venugopal. You are a very learned man. You are a very eloquent man. You are a very aggressive man. ? (*Interruptions*) I have heard you patiently. Now, you better hear me patiently.

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, यहां पर एक बात जानना और जरूरी है। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा, जब वे जीतेंगे? यह सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूँ। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा, जब वे जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में क्या उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी या नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में क्या उनकी सरकार कर्नाटक में बनी या नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में क्या उनकी सरकार तेलंगाना में बनी या नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी के हमसे अधिक एमपी यूपी में जीते या नहीं। तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। जब वे जीतें तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीतें तो इलेक्शन कमीशन खराब, यह कौन सा लॉजिक है, इसे हम समझना चाहते हैं।

सर, हम भारत के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इस रिकॉर्ड को बताना जरूरी है। भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा थी कि किसको वोट देने का अधिकार दिया जाए। पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद यह हुआ कि भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जायेगा। Common people will be given the right to vote regardless of sex, economic status and educational qualification. वह वोट देगा और चुनाव भी लड़ेगा।

सर, देखिए भारत के लोकतंत्र में आम आदमी कितना मजबूत है, उन्होंने एक नई बात, नो एंटी-इनकमबेंसी, जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा, उसे हराएंगे। उन्होंने नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को तीन बार जिताया है, अभी हम और लंबा रहने वाले हैं। वेणुगोपाल साहब, आप चिंता मत कीजिए। हम बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता हमारे काम को देखती है। कल मैं अजीब बात सुन रहा था, कुछ लोग बार-बार कह रहे थे कि जर्मनी में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है। आज तक तो मैंने सुना था कि हमारे समाजवादी मित्र भारत पर बहुत विश्वास करते हैं। वे विदेश की तरफ नहीं देखते हैं, विदेश की बात नहीं करते हैं। क्या भारत की बात हम दुनिया में नहीं बता सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। मैं उस पर चर्चा करूँगा।? (व्यवधान) मैं ईवीएम पर बोलूँगा।

सर, मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज मैंने वेणुगोपाल जी को भी सुना । उन्होंने कहा कि हम इंस्टीट्यूशंस को कम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी चीजें करते हैं । आज इस डिबेट में थोड़ी कहानी खोलना चाहता हूँ । मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए । राष्ट्रपति जी के साथ मजाक किसने किया था? फ़ख़रुद्दीन अली अहमद जी को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी के प्रस्ताव पर दस्तखत करने को मजबूर होना पड़ा । आप तो राष्ट्रपति के साथ यह गड़बड़ करते हैं । अब मुझे यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के तीन-तीन जजेज को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था । एच.आर.खन्ना जी ने इमरजेंसी में डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे । ये हम पर बात करते हैं । एच.आर.खन्ना को इन्होंने एक महीने के लिए भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने नागरिकों के अधिकार की बात की थी । आप हमें कहते हैं कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं । संपादकों को जेल में बंद, प्रेस की सेंसरशिप को याद कीजिए । अब मैं दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करूँगा । वेणुगोपाल साहब आप सुनिए । इनमें एक मिस्टर गिल थे । वे जैसे ही पद से हटें, राज्य सभा सांसद बन गए एवं उसके बाद मंत्री बन गए । दूसरे, श्रीमान नवीन चावला हैं । आज मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूं । नवीन चावला वही हैं, जिनका काम था, इमरजेंसी में जेपी और संघ के स्वयंसेवकों को जान-बूझकर ऐसे सेल में रखना, जहां छत ऐसी गर्म हो कि गर्मी में परेशान हो जाए । शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है ।

सर, वे रिटायर्ड हुए और इनकी सरकार ने उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया । उनका पहला काम क्या हुआ? यूपी का चुनाव था और एक कोल्यूसिव कंप्लेंट कराई गयी कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए । हम स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ पेश हुए थे । हमने पहला काम किया, हमने कहा कि नवीन चावला बीजेपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वे बायस्ड हैं । तीन दिन बहस चली और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुरैशी साहब ने हमारी बात मानी कि that we cannot hear this proceeding. उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति से शिकायत की कि नवीन चावला का इतना ओमिशन एंड कमीशंस है कि उनको इलेक्शन कमिश्नर से हटाया जाए । इन्होंने हटाने की बात तो दूर, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया । ? (व्यवधान) यह है आपका इतिहास? क्या राष्ट्रपति, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेज़, क्या एडिटर्स, क्या प्रेस सेंसरशिप और क्या दो-दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स । इसलिए वेणुगोपाल जी कृपा करके आप हमें भाषण न दें । आप जरा अपने अतीत में झांकिए । You are a good friend of mine. Today, I would like to tell my good friend, Mr. Venugopal, to please reflect as to what is the condition of his Party.

सर, अब आरएसएस की बात है । मैं राहुल गांधी जी को बहुत ध्यान से सुनता हूं । पहला यह सुनता हूं कि आज इन्होंने होम वर्क किया या नहीं किया, तो बार-बार लगता है कि इन्होंने फिर होमवर्क नहीं किया । ? (व्यवधान) कल भी वही हाल था । ? (व्यवधान) सर, उसका जवाब तो उन्हें दे दिया, लेकिन मैं उनसे एक बात कहूंगा कि आप संघ पर कितना बोलेंगे । आप कितनी बार बोलेंगे? वैसे उनके परिवार से संघ को गाली देने की एक परंपरा है । यह नेहरू जी के

समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव गांधी जी के समय से है। अब आप भी पड़ गए हैं। मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि इनसे कृपया दूर रहिए, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह कहना चाहता हूं कि संघ 100 साल का हो गया है। देश के स्वाभिमान, देश के आत्म-सम्मान, राष्ट्रवाद, जनसेवा को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सबसे बड़ा संगठन है। ? (व्यवधान) यहां पर कई स्वयंसेवक बैठे हुए हैं।

सर, आजादी के 75 साल बाद भी वे संघ की आलोचना करते रहे, गाली देते रहे, संघ बढ़ता रहा और हम कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। संघ पर प्रतिबंध लगाया। आपने क्या-क्या नहीं किया। इसलिए वेणुगोपाल बाबू कभी तो सोचिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि धूल थी अपने चेहरे पर और हम आइना साफ कर रहे थे। मैं यह तो नहीं कहूंगा, but surely, Mr. Venugopal, you are a good friend of mine, there is a need for serious introspection and do not seek alibi about Election Commission.

सर, समस्या क्या है? सर समस्या यह है कि जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। जनता ने इन पर विश्वास किया और 50 साल तक भारत पर राज किया और लगभग 15-20 साल अलॉन्ग विद अलायंस। जनता ने इनको देख लिया, जनता ने इनको झेल लिया, जनता ने बर्दाश्त कर लिया, जनता आपको नमस्ते करती है, तो आप सोचिए कि जनता आपको नमस्ते क्यों कर रही है। इसका कुछ कारण है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एक विकल्प ढूंढा है, उनके काम को देखा है। गरीबों की सेवा हो रही है, डिलीवरी हो रही है और भारत का आत्म-सम्मान बढ़ रहा है।

सर, आज भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गयी है? ?ऑपरेशन सिन्दूर? के संबंध में अभी मैं पार्लियामेंटरी डेलिगेशन को लीड करते हुए विदेश गया था। उसमें ऑपोजीशन के लोग भी गए थे। चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बेल्जियम हो, हर जगह भारत की आर्थिक व्यवस्था के कारण भारत का सम्मान है और सभी भारत के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यह भी सच्चाई है। मेरा कहना है कि कभी-कभी भारत की ?राइज?, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामरिक शक्ति, इन सबका आप सम्मान देखिए, तब आपको लगेगा कि वे देश क्यों हमारे साथ हैं।

सर, मैं आज एक और बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। इसका भी जवाब मेरे सामने बहुत स्पष्ट है। वे जब ?रेवड़ी? बांटे, तो वह रेवड़ी ?रेवड़ी? नहीं है, हम जब गरीबों की चिंता करें तो वह गड़बड़ है! यह क्या मामला है? लेकिन, आज मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार की जीत क्या सिर्फ वह दस हजार रुपये के कारण है? वहां पिछले बीस सालों में महिलाओं का बहुत सम्मान हुआ है, जैसे साईकिल योजना, नारी वंदन, सुरक्षा योजना इत्यादि। आज मोदी जी की सरकार में महिलाओं को बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सेना और बाकी जगहों पर जो सम्मान मिला है, उसे जनता ने देखा है। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है।

सर, कल खादी की भी बात हो रही थी। गांधी जी की खादी को तो आपने कब का भुला दिया, खादी का सम्मान मोदी जी की सरकार ने किया है कि आज खादी की कमाई बढ़ गयी है।

सर, उधर से बार-बार एक बात कही जा रही है - ?रिवर्ट टू बैलेट पेपर?, तो ?दूध का दूध और पानी का पानी? हो जाएगा। मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य होता है। हम, जनार्दन सीग्रीवाल जी और कई लोग बिहार से आते हैं। पहले बिहार और यू.पी. का क्या हाल था? जिस दिन वोटिंग होती थी, उस दिन वहां कम से कम 10-12 लाशें गिरती थीं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता काफी समय से हूं। पटना में हाई कोर्ट के बगल में बूथ कैप्चरिंग होती थी। हम लोगों को उसके खिलाफ लड़ना पड़ता था। मैंने चार बार पटना लोक सभा के चुनावों को लूट के कारण काउंटरमांड कराया था।? (व्यवधान) अब बंगाल का जो हाल है, वह तो है ही, उसके बारे में क्या कहना!? (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई.के. गुजराल आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। उनका इलेक्शन मैंने काउंटरमांड कराया था। यह हाल था। वर्ष 1989 में बूथ कैप्चरिंग को ?ऑफेन्स? माना गया, लॉ में बदलाव किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह पॉवर लिया कि if there is booth capturing and if the Commission is satisfied, elections can be countermanded. क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है?

सर, मैं सुधार की बात कर रहा हूं। आज अगर बैलेट पेपर लाया जाए तो इसका मतलब कि लूट का बाजार लाया जाए, बूथ कैप्चरिंग लायी जाए। आज मुझे गर्व है कि बिहार में 243 सीट्स पर इलेक्शन्स हुए और एक भी सीट पर री-पोलिंग नहीं हुई। एक भी बूथ कैप्चरिंग की शिकायत नहीं आई। क्या माननीय वेणूगोपाल जी वही चाहते हैं? Do you want the same thing to happen? ? (*Interruptions*) Therefore, please do not talk about reversion to ballot paper. ? (*Interruptions*)

Sir, I want to place it on record before this House that at least two dozen judgments of the Supreme Court and the High Courts are there validating the Electronic Voting Machine.

सर, ये लोग जो यहां इतना चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं सारी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली दिखाऊंगा और यहीं कंस्टीट्यूशन क्लब में दिखाऊंगा। वहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आएं और इसमें डिफेक्ट्स बताएं। वहां इनमें से कोई नहीं गया, किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई और अभी यह बार-बार ऐसा कह रहे हैं। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ और इन्होंने एक भी कम्प्लेन, अपील नहीं की। ये बार-बार वीवीपैट और बाकी चीजों की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट को सैम्पल के रूप में 5 परसेंट करना है। यह होता है, बिहार के चुनाव में भी हुआ।

सर, इसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। It is a very serious matter. It was asked why the Chief Justice was not kept on the panel. I want to clarify this. That was an interim arrangement made

by the court. He acknowledged that, and I appreciate that.

13.00 hrs

And thereafter he said, ?you make the law?. लॉ बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, अब आपको प्रॉब्लम क्या है? आप लीडर ऑफ अपोजिशन से क्या चाहते हैं, क्या आप चीफ ऑफ जस्टिस के सपोर्ट के बिना वहां नहीं जाएंगे? राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर की नियुक्ति की प्रोसीजर को कितनी बार बॉयकट किया है, आप मुझे बताइए? इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है। अब इसका क्या मतलब है?

सर, ऐज ए स्टूडेंट ऑफ कंस्टीट्यूशन, आज जब हाउस में बात चली तो मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी ज्यूडिशियरी का सम्मान करते हैं। We all respect the independence of the Judiciary. लेकिन, क्या ज्यूडिशियरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है? कहीं यह सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ तो नहीं है? क्या हम कहीं अपनी कमजोरी को तो इजहार नहीं कर रहे हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

महोदय, एक दूसरी बात है, जो बहुत जरूरी है। ये लोग तुरंत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भागते रहते हैं। आजकल यह एक नया सिस्टम बन गया है। अगर कोई जज के खिलाफ जजमेंट दे दे तो वे इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं। इसके हम कभी और समय में देखेंगे। It is a very serious matter. But we will debate it at some point in time.

सर, ये लोग बार-बार कोर्ट जाते हैं। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो बाकी जजेज क्या कहेंगे? अगर इस निर्णय में सीजीआई भी इन्वॉल्व है तो आप कैसे देखेंगे? क्या हम सीजेआई के निर्णय को ओवररूल कर दें?

Mr. Venugopal, with the greatest respect to you, your insistence that the CJI must be a part of the process betrays the sanctity of this House, democratic governance. आप अपने अंदर विश्वास कीजिए। हम लोग कैपेबल हैं। इसका क्या मतलब है? क्या भारत की पोलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है, या नहीं? क्या वह भारत के वाइस प्रेसिडेंगस को सेलेक्ट करती है, या नहीं? क्या वह भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है, या नहीं? क्या वह नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है, या नहीं? क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है, या नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी पर, देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पोलिटिकल स्ट्रटेजिक पर विश्वास करती है। जब भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन वह एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमीशनर नहीं सेलेक्ट कर सकती, यह कौन सी बात कही जा रही है, यह समझ में नहीं आता है?

सर, एक और बात कही गई। ? (व्यवधान) मैं इस हाउस में बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 325 में इस बात का प्रावधान है। Article 325 states that the Chief Election Commissioner shall enjoy the same status as that of a Judge of the Supreme Court of India. That is the constitutional provision. सुप्रीम कोर्ट के जज का एक स्टेचर है। उनको आप इम्पीचमेंट के अलावा हटा नहीं सकते हैं। यहां पर आप रोज क्रिमिनल केस करेंगे, रोज एफआईआर करेंगे। क्या आप ऐसा करते हैं, कि नहीं करते हैं? इसलिए, इम्युनिटी देना जरूरी है, कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए?

सर, आज इस हाउस में बताना जरूरी है कि लगभग 100 करोड़ वोटर्स हैं, 10 लाख बूथ्स हैं। भारत की इतनी डाइवर्सिटी है। हम सभी लोग यहां चुन कर आए हैं। यही इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव कराता है, ताकि हम लोग चुन कर आते हैं। उसी ब्यूरोक्रेसी से अगर वे इलेक्शन कमीशनर की अगुवाई में अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए, कि सदन में उसको गाली पड़नी चाहिए? यह एक मैं बड़ा सवाल रखना चाहता हूं। Let us learn to respect our institution. That is one thing I have to say.

सर, अब मैं एसआईआर पर आता हूं। यहां एसआईआर की बहुत बात की गई। क्या हमारे दोस्त मनीश तिवारी जी कहीं दिखायी दे रहे हैं? ? (व्यवधान) मनीश तिवारी जी ने कल पूरा कानून पढ़ाया। उन्होंने सेक्शन्स 15, 16, 17, 324 और 325 की चर्चा की।

सर, मुझे एक कहानी याद आ गई। अटल जी की सरकार थी। उस समय मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ था। उस हाउस में विपक्ष के बड़े-बड़े नामी वकील थे। कुछ बात चली तो कोई सुप्रीम कोर्ट इधर साइड कर रहा है, कोई उधर साइड कर रहा है। जसवंत सिंह जी हमारे नेता थे। उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि रवि बाबू, आपके वकालत जमात के जो बड़े-बड़े वकील यहां बैठे हैं, उनको आप बताइए कि हम सांसद हैं। हमारा काम कानून बनाना है। कानून पर बहस किसी और कोर्ट में होती है। इसे आप अदालत मत बनाइए। We have got the power to make laws. They have got the power to amend the Constitution. I would like to say that let us not undermine the authority, majesty and dignity of this House. सर, अब मैं एसआईआर पर आता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1950 है, उसके सैक्शंस- 15, 16, 17 और 21 को पढ़ता हूँ, पढ़ने की जगह इनके सब्सटेंट बता रहा हूँ। वोटर कौन होगा, जो भारत का नागरिक होगा। वोटर कौन होगा, जो 18 साल से ऊपर होगा और 18 साल का होगा और अनसाउंड माइंड का नहीं होगा, बाकी क्रिमिनल केस में जो प्रॉविजन होते हैं और कोई भी दो कांस्टीट्यूएंसीज में वोटर नहीं हो सकता है। कोई भी एक कांस्टीट्यूएंसी में दो जगह वोटर नहीं हो सकता है। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1950 का क्लियर प्रावधान है। What is the difference between individual revision and SIR? What is special intensive revision? Please mark the word, Sir, क्योंकि इलेक्शन

कमीशन को इस बात का अधिकार है कि कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए? एक बार देखकर हम इलेक्टोरल की सफाई करें, इसमें प्रॉब्लम क्या है?

सर, वह शुद्धिकरण, वह कह रहे हैं कि इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है। जो 27 लाख लोग मर गए हैं, तो क्या उनको रखा जाए? जिनका वोट दो जगह पाया गया है, क्या उन्हें रखा जाए? जो भारत के नागरिक नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, उन्हें क्या रखा जाए? यह बड़े सवाल हैं। मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं। बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई है। मैं और कुछ बात नहीं कहूँगा। ? (व्यवधान) एक भी नहीं। ? (व्यवधान) I repeat that not even a single BLO in Bihar, a huge State, having nearly eight crore voters, either fell ill or committed suicide. बिहार में इतनी बड़ी जीत हो गई, तो ये हो क्या रहा है? मुझे इस कहानी में कोई ट्विस्ट लगता है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो बीएलओ का काम है। मैं एक बात बार-बार कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्टिकल-324 में इलेक्शन कंडक्ट करने का अधिकार है। ये कांस्टीट्यूशनल पावर है। If it is a constitutional power, then Election Commission has got the right to take all incidental steps to ensure election is fair, free and just, and voters list is neat, clean and properly transparent, तो प्रॉब्लम क्या है?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is subject to the statute.

***SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:** I have already quoted the statute elaborately. Perhaps, you missed me. Mr. Prem, you always hear me. This time it looks like you have missed me. सर, मैं यह कहना चाह रहा था, फिर उसी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने बिहार में एक भी शिकायत क्यों नहीं की? राहुल गांधी जी बिहार में इतना घूमे। ? (व्यवधान)

सर, मोटर साइकिल की यात्रा बड़ी रोचक थी, इसमें कोई शक नहीं है।? (व्यवधान) भाई-बहन एक साथ हेलमेट पहनकर जब बिहार की सड़कों पर घूमे, तो उसके दो संकेत गए, भाई-बहन में प्रेम बहुत है, अभिनंदन और बिहार की सड़कें अच्छी हैं, बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हैं। ? (व्यवधान) Again, I come to the fundamental point. Why did the Congress party not file any objection on SIR?

सर, एक बार फोटो में चार-पांच लोगों को दिल्ली लेकर आए थे और जब वो लोग घर गए, तो बोले कि हमको जबरदस्ती पकड़कर ले गए थे। हम तो वोटर ही हैं। ? (व्यवधान) अरे मिस्टर वेणुगोपाल जी, थोड़ा होमवर्क तो करिए। आप लोग क्या-क्या करते रहते हैं। अगर मालूम करते तो हम ही कह देते कि मिस्टर वेणुगोपाल, it is a dangerous, slippery road. Please check your facts. I have always thought that you do your homework well.

But, here it looks like you are following your leader in a very mean way. Please do not do that. You are the head of your organisation, do it more diligently.

HON. CHAIRPERSON: Sir, kindly address the Chair.

श्री रवि शंकर प्रसाद : अगर हमारे दोस्त हैं, तो कभी-कभी थोड़ी पार्लियामेंट्री रेपार्टी होने दीजिए।

Now, Sir, there is one last issue ? I am grateful you have given me a lot of time ? which I have to mention. They always mentioned why you remove it after 45 days. इसका सिंपल जवाब है कि इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने का लिमिटेशन 45 डेज़ का है। Within 45 days, you have to file. If you file, then the things follow. यह जो बार-बार कह रहे हैं कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है। इस देश में कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज़ हैं? कितने वोटर्स हैं? इलेक्शन तो होता रहता है। इसका क्या मतलब है कि पूरा जो वीडियो है, क्या उसको 50 सालों तक मेंटेन किया जाए? What is the logic you are saying? You do not file election petition; you do not file complaint; and you do not go to public. But in the House, you will say, ?ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? So, at least make the argument which is of substance.

सर, मेरा एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं कनक्लूड करूंगा। चूँकि यहां इलेक्शन सुधार की बात हो रही है। तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन, वेंकेट चेलैया कमीशन, इन सभी ने समय-समय पर, चुनाव सुधार पर अपनी अनुशंसा की है। हमारे लीडर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कमेटी बनी थी। आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन सभी के कारण सुधार हुए हैं।

सर, आज मतदान की आयु 21 साल से 18 साल हुई या नहीं? पहले कोई भी जाकर नामांकन करता था, लेकिन आज मिनिमम 10 है या नहीं है? just to weed out unscrupulous people. फंडिंग को 40 लाख विधान सभा और 95 लाख लोक सभा का किया कि नहीं किया? आज हर बूथ का कंपलसरी वीडियो होता है या नहीं होता है? टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से चीजें सुधरी हैं या नहीं सुधरी हैं? It is a constant process and whenever the time needs or requirement is there, Election Commission must intervene and improve the situation as required.

सर, इसको लेकर बार-बार यह कहना उचित नहीं है। मैं दो मिनट का समय और लूंगा। मैं इलेक्टोरल फंडिंग की बात करना चाहता हूँ। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमें इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल और आइडियालिस्टिक, दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार बॉन्ड लेकर आई थी। उसको इन लोगों ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया और saying, ?people have got the right to know?. यह

अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। उसका सम्मान है। आज मैं as a political activist and as a student of law, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। लोकतंत्र पॉलिटिकल पार्टी से और वोट से चलेगा। इसमें खर्चा होता है न? लोग घूमते हैं न? फिर उसका खर्चा कहां से आएगा? इसलिए उसका प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?

हमारी सरकार जो बिल लाई थी कि आपको एक बॉन्ड मिलेगा, वह एसबीआई के पास रहेगा और आपको दिया जाएगा। सर, वह इलेक्टोरल फंडिंग के लिए पहले सुधार का प्रयास था। यहां पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि एक दिल से सहयोग करना होता है और एक दबाव में सहयोग करना होता है। दूसरा पक्ष यह है कि एक विरोध की राजनीति होती है और एक विद्वेष की राजनीति होती है। Why have you funded to the BJP? I am ruling here. So, start taking action. उन्होंने कहा कि हमें आप इसमें मत डालिए, हमें जिसको भी देना होगा, उसे हम बॉन्ड के तहत दे देंगे।

सर, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। रीजनल पार्टीज़ को भी बॉन्ड के तहत अच्छा पैसा मिला है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। बीजेडी को मिला है, टीएमसी को मिला है, भारत राष्ट्र समिति को मिला है, सबको मिला है, लेकिन बड़ा सवाल दूसरा है कि आपकी जैसी साख होगी, वैसा पैसा मिलेगा। पुराने समय में जब हम पटना में काम करते थे तो जिस दिन मार्केट में 50 रुपये भी मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। हमने संघर्ष किया है। यह सच्चाई है, लेकिन जो बाजार में है ही नहीं है, वे लेवल प्ले फील्ड की बात करते हैं। इसका अब हम क्या कर सकते हैं? First, I will tell my friends from the Congress Party अपनी कमर कसिए, मजबूत बनिए। जनता का विश्वास लीजिए, फिर यह सब बात होगी, लेकिन आपके लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।

सर, एक बात और ध्यान रखें। क्या टीवी में सभी को एक ही रेट पर विज्ञापन मिलता है? क्या अखबार में सभी के विज्ञापन का रेट एक ही होता है? जिसका मार्केट बढ़िया होता है, उसको विज्ञापन मिलता है। भैया वेणुगोपाल जी मार्केट में डिमांड तो बढ़ाइए।

सर, एक अंतिम बात इसी में कहनी है। भारत में गुप्त दान बहुत बड़ी चीज है। लोग मंदिर में गुप्त दान करते हैं या नहीं करते हैं! क्योंकि गुप्तदान भारत की आध्यात्मिक विरासत की परंपरा है। इसको लेकर इतना हंगामा किया गया है। अंत में मैं यही कहूंगा कि अपनी खीज के लिए इलेक्शन कमीशन को दोष देना बंद करिए। अपने को मजबूत कीजिए। लेकिन वेनुगोपाल जी, आप चिंता मत कीजिए। अपने काम और जनता के विश्वास के कारण अभी हम लोग 15-20 वर्ष और राज करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए।बहुत-बहुत धन्यवाद सर।

माननीय सभापति : इससे पहले कि मैं शताब्दी राय जी को बुलाऊं। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने एक बात का जिक्र किया है। माननीय केसी वेणुगोपाल जी के कोर्ट में अपीयर होने की जो बात है, उस रिकॉर्ड को हम देखेंगे। उसके

मुताबिक कार्रवाई लेंगे।

मैडम श्रीमती शताब्दी राय जी।

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम): धन्यवाद सर, सर ये लोग बंगाल के बारे में जो भी बोलते हैं, सब गलत है। ट्रस्ट मी, इनको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग डेली पैसेंजरी करके वहां पहुंच जाते हैं और हार के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा। देख लीजिएगा।

सर, एसआईआर का जो 'सर' वर्ड है, यह रिस्पेक्टेड है, लेकिन इन लोगों ने एसआईआर 'सर' को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया है। We all support clean electoral rolls, but SIR is totally politically motivated. अब बताइए एसआईआर का मोटिवेशन क्या है? इंटेंशन क्या है? वर्ष 2004 तक 30 बार इलेक्टोरल रोल चेंज हुआ, इंटेंसिव रिविजन हुआ। वर्ष 1993 में ईपीआईसी इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ष 2004 में फोटो इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ष 2006-2019 तक इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि ईपीआईसी कंप्लसरी है। तीन दशकों तक इस ईपीआईसी से इलेक्शन्स हुए और अभी कह रहे हैं कि इस ईपीआईसी की एसआईआर में कोई वैल्यू नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर आर्टिकल 326 में यह कहा कि अगर एसआईआर में नाम नहीं होगा तो वोट नहीं दे पायेंगे, लेकिन उसकी सिटीजनशिप रहेगी। जो लोग वोट नहीं दे पायेंगे, उसकी सिटीजनशिप रहेगी। इस बात का क्या मतलब है। क्या सेकेंड क्लास सिटीजनशिन देंगे? वर्ष 2020 में यह एसआईआर होना था, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? मान लेते हैं कोविड के कारण से न हुआ हो। वर्ष 2021, 2022, 2023, आप लोगों को लोक सभा इलेक्शन से पहले एसआईआर करना ही नहीं था। यह सब आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। एसआईआर में आप लोग कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हां, हम लोग भी यही कहते हैं। यही तो अपोजिशन बार-बार कह रहा था। स्टेट इलेक्शन में श्री अरविंद केजरीवाल भी एक घर में 100 वोटर के नाम का प्रूफ दे रहे थे। बिहार में सब बोल रहे हैं, एक घर में इतने रशियन रह रहे हैं। सब अपोजिशन प्रूफ दे कर बोल रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर का क्या कर रहे थे। अब उनको डुप्लीकेट वोटर की बात याद आ रही है। 65 लाख वोटर बिहार में डिलीट किए गए, क्या वे सभी घुसपैठीये थे? बिहार में आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। वास्तव में बिहार में न कोई पार्टी हारी है और न ही कोई पार्टी जीती है। कोई जीता है, तो इलेक्शन कमीशन जीता है। आपको पता है अभी बिहार का सबसे फेवरेट नारा क्या है?

?इलेक्शन से पहले दस हजार, इलेक्शन के बाद बुलडोजर?

आप नागरिकता की बात करते हैं। आप सिटिजन हो या नहीं इलेक्शन कमिशन घुमा-फिराकर यह बता रहा है। आप कौन होते हैं? संविधान की कौन सी धारा के तहत आप बता रहे हैं? सिटिजनशिप देना है या लेना है इसकी आपके पास कौन सी पावर है? इसके लिए दूसरी अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन होना चाहिए था, वह नहीं

है। इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, जिनको अलग-अलग काम करना है, जिनको काम लेना है और देना है। लेकिन यह एक ही अथॉरिटी है जो ज्यूडिशियल से लेकर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसमें जितना करप्शन करना है करेंगे, इसलिए एक ही अथॉरिटी रखना है और सबको पावरलेस करना है।

आप जनगणना के लिए बोल रहे हैं। यह वर्ष 2011 और 2021 में हुई, उसके बाद क्यों नहीं की गयी? जब उसका सर्वे स्टार्ट किया था तो क्या रिपोर्ट आयी थी? आपने उसे क्यों बंद कर दिया? यह बोला गया कि टाइम नहीं है और इलेक्शन आ गया है। आप एसआईआर तीन महीने में कर रहे हैं। प्रैशर देकर लोगों को मार रहे हैं। 50 बीएलओ वहां मर गए हैं। वे सुसाइड नोट पर इलेक्शन कमिशन का नाम लिखकर गए हैं, फिर भी आपकी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं है। आपको अब भी तीन महीने में करना है।

आइडेंटिटी कार्ड तो एक ही होना चाहिए। लेकिन आप 11 ऑप्शन दे रहे हैं। उसमें एक होने से क्या दिक्कत था। आपने इतना दिनों में क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस रहे हैं। इस लॉजिक से देखें तो मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा भी तो है। वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल में ही एसआईआर क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि वहां वर्ष 2026 में इलेक्शन होने हैं। यहां बॉर्डर एरिया है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे हैं। लेकिन बॉर्डर बीएसएफ के पास है और बीएसएफ किसका है, वह केन्द्र सरकार के पास है तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वे कोई बम नहीं हैं, जो ऊपर से गिर रहे हैं और न ही वे इनविजिबल हैं, वे लोग तो बॉर्डर से ही घुस रहे हैं। यह केन्द्र सरकार का फेल्योर है। क्या आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कि कितने घुसपैठिया आए, कितने बांग्लादेशी आए, कितने रोहिंग्या आए हैं। आप चीख-चिल्ला रहे हैं कि आ गए, आ गए, लेकिन वे कहां से आए? बॉर्डर से आए। फिर कितने आए ? (व्यवधान) ...? (व्यवधान) कितने आए हैं, इसका आपके पास कोई सर्वे नहीं है। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : मैं सरकार के कुछ काम बताना चाहती हूं जो केवल पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए हैं। अगर हम अतीत में जाएं तो आधार कार्ड बनाते समय कहा गया कि आधार कार्ड कम्प्लसरी करो। लोगों ने अपना कामधंधा और घर छोड़कर आधार कार्ड बनवाया। लेकिन अब उसकी कोई वेलिडिटी नहीं है। आधार कार्ड को अब एपिंडिसाइटिस बना दिया गया है। अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो निकालकर बाहर फेंको। यह टॉर्चर नहीं है तो क्या है? दूसरा, बैंक में खाता खोलो इतना पैसा देंगे। बैंक में स्टाफ 10-12 का है और 12 हजार लोगों को खाता खोलने के लिए भेज दिया कि पैसा आएगा। सब लोग जाकर बैंकों में खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ- जीरो। कितना स्टाफ इस काम करने के लिए दिया, अगर किसी से पूछो तो कुछ नहीं। यह भी एक टॉर्चर है। आपने

कहा कि आधार कार्ड लिंक करो । जहां भी जाओ आधार कार्ड को बैंक, जमीन, सभी के साथ लिंक करो । लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ नहीं । यह भी एक टॉर्चर है । उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अचानक नोट बंदी आ गयी । उसमें आपने कहा कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगी और टेर्रिस्ट्स खत्म होंगे । लेकिन क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रही है । टेर्रिस्ट की बात ही मत कीजिए । पहलगाम में क्या हुआ, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है । अभी तक कुछ नहीं हुआ है । दिल्ली में आपकी नाक के नीचे बम ब्लास्ट हुआ । इसका मतलब है कि आप टेर्रिस्ट खत्म नहीं कर पाए, ब्लैक मनी खत्म नहीं कर पाए और नोट बंदी एक और टॉर्चर था । इसका एक नया फॉर्मेट एसआईआर है । आप लोगों को टॉर्चर करके मार रहे हैं । आप एक और फॉर्मेट से यह बता रहे हैं । आप नोट बंदी, बैंकिंग इत्यादि कर रहे हैं, इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है । मेरी फैमिली में एक डेथ हो गयी थी । जिसके हसबैंड की डेथ हुई थी, वह रो रही थी । सब आकर उसको सम्भाल रहे थे । उसमें से एक आए और बोले कि मत रोओ, क्योंकि ससुराल में इतना काम मिलेगा, जिसमें बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना इससे रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा । मुझे यह लगता है कि सरकार ने यही पॉलिसी अपनायी और इतने बेकार काम लोगों से करवाए कि आधार लिंक करो, यह करो, वह करो, जिससे उसको सोचने का वक्त ही न मिले कि कामधंधा क्यों नहीं है, नौकरी क्यों नहीं है? गरीब और भी गरीब हो रहा है और दो-चार अमीर और अमीर हो रहे हैं । आप टेर्रिस्ट को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? क्यों साइबर क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं? यह पूछने का वक्त ही लोगों को नहीं मिल रहा है ।

सर, एसआईआर क्या करेगा, मुझे पता नहीं है । लेकिन, इसने एक चीज यह किया कि देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा है ।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : नहीं सर, मुझे बोलने दीजिए । एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आकर पूछता है कि बेटा मेरा नाम देखो । मेरे बाप, दादा यहां पर रहते थे । मैंने भी यहीं पर जन्म लिया है । यहां मेरे दो जेनेरेशन रहते हैं । बेटा, तुम देखो कि इसमें मेरा नाम है या नहीं? मेरे बाप, दादा इस देश के लिए शहीद हुए थे । बेटा, देखो उनका कहीं पर नाम है या नहीं? यह बहुत शर्म की बात है । ऐसा शर्म देश ने कभी नहीं देखा था ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in 30 seconds now.

? (*Interruptions*)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : सर, इलेक्शन कमीशन की जो तीन बातें थीं- गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक नया फॉर्मेट यह लाया गया है कि ऑपोजिशन जो भी करे, हम उसको नहीं

सुनेंगे। वोट चोरी हो रही है, उसको नहीं देखेंगे। आप कुछ बोलिए। आप क्यों न्यूट्रल नहीं हैं? वे कुछ नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल रहना ही इलेक्शन कमीशन की पावर है। इसी के बारे में तो मैं पूछ रही हूं।

माननीय सभापति : मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : सर, इलेक्शन कमीशन तो किसी पार्टी के लिए नहीं है? इलेक्शन कमीशन किसी का बांडेड लेबर तो नहीं है? ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को हराने या जिताने के लिए शपथ नहीं लेती है। अन-ऑफिशियली पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने दाग क्यों लग रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्यों क्वैश्चन मार्क लग रहा है? आप बोल रहे हैं कि हमने बिहार को जीता है। कोई बोल रहा है कि जीते हैं और कोई बोल रहा हैं कि लूटे हैं। पता नहीं, लूट कर जीते हैं या नहीं। लेकिन, मैं आपको बता रही हूं कि आप बंगाल में यह नहीं कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं न, 'सर है', 'सर है', 'सर है', आप देख लीजिएगा ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्रीमती डिम्पल यादव जी।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already given a lot of time.

Shrimati Dimple Yadav ji.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given a lot of time.

Shrimati Dimple Yadav ji.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please listen to me.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to me first. I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will give you ample time to conclude, but please listen to me first.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It will not go that way.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to what I am saying.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: While you were speaking into the mic, during your speech, you said *?* three times to hon. Member, Mr. Khan, which is not correct. That word should be deleted.

Now, you have 30 seconds to conclude your speech. Please go ahead.

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : सर, अभी बीजेपी जितना भी 'सर', 'सर', 'सर', करके चीख ले, वेस्ट बंगाल में 'मैडम', 'मैडम', 'मैडम', 'मैडम', ममता बनर्जी हैं, वहां फिर से आप हारेंगे। 'सर' भी 'मैडम' के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Khan, please sit down.

? (*Interruptions*)

श्रीमती डिम्पल यादव (मैनपुरी): धन्यवाद सभापति महोदय। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, इनको बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to her. She was so patient when you were speaking.

? (*Interruptions*)

श्रीमती डिम्पल यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, आज यहां पर हम चुनाव सधारों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है, जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन, हाल में हमें देखने को मिला है कि यह चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही है या यूं कहें कि पूरी तरह से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के उप चुनावों में देखा है कि किस तरह से वोटों की धांधली हुई और किस

तरह से बीजेपी ने मनमानी की। लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ यह भी देखने का मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनककर बूथ के अंदर वोट डालती नजर आई, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई, तो चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, लेकिन वह एक ऐसा कानून लेकर आये, जहां पर यह कहा गया है कि 45 दिनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है। मैं यह इसलिए भी कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग का यह जो स्वरूप बदला है, वह इसीलिए बदला है कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर में लगाया गया है, तो कहीं न कहीं जो बिल दिसम्बर, 2023 में पास हुआ, जहां पर absolute legal immunity for any action by the Election Commission, इसी के साथ-साथ protection from accountability and scrutiny, इस तरह का सुरक्षा कवच चुनाव आयोग को दिया गया है। इस वजह से चुनाव आयोग पूरी तरह से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। एसआईआर (Special Intensive Revision) की जो प्रक्रिया है। इस रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है।

सभापति जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह यह निरीक्षण Annual Summary Revision(ASR) के द्वारा करता भी है, वहीं इस एसआईआर की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है, जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है, जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करने का सिद्धांत उलटकर मतदाता को बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, लेकिन यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि आखिरकार 80 लाख वोटर्स कौन थे? वहीं एसआईआर के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए और इसमें भी लगभग साढ़े तीन लाख वोटर्स के दोनों वोटर आईडी कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, वहां पर बीएलओ को किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। वहां पर 10 से अधिक बीएलओज़ ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्याएं की हैं और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 बीएलओज़ ने आत्महत्याएं की हैं। जिस तरह से इस एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं यह वोट काटने वाली प्रक्रिया साबित होती जा रही है। मेरी मांग है कि जिस तरह से सत्तापक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते हैं, अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो मेरी यह मांग है कि आप सीजेआई को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें। आपने जो सुरक्षा कवच चुनाव आयोग को दिया हुआ है, इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही इस देश

में चुनाव कराए जाएं। जब किसी राज्य में चुनाव चल रहा हो, तो आप जो मॉनिटरी बेनिफिट्स बैंक खातों में पहुंचा रहे है, उसमें मेरा यह मानना है कि जो लोग वोट डाल रहे हैं, तो वोट डालने में भी इसका इफेक्ट होता है, इसे बंद किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो नागरिकता कानून है, जो एसआईआर लाया जा रहा है, उससे सही मायनों में लोगों के वोटों का अधिकार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Hon. Chairman Sir, Vannakkam. I thank you for this opportunity. I pay my regards to my mother tongue Tamil. I thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu and unparalleled leader of Tamils and Tamil Nadu Thalapathi Shri M.K. Stalin for giving me this opportunity to speak in this House on Election Reforms. Several hon. Members have clearly stated the fact that how Election Commission has been a puppet in the hands of the ruling dispensation. Every Member of Parliament spoke here according to their principles and with clarity. Sir, honesty is a sacred virtue of every democracy. There should be honesty in the administrative affairs. There should be honesty in the functioning of Judiciary. Most importantly there should be honesty in the holding of elections. That?s why in the Independent India, we always referred to the Election Commission of India as the Temple of Democracy. Honesty is the sacred virtue of the Election Commission of India which is also called as the temple of democracy. When honesty is questioned or put to risk or becomes doubtful then the very basis of democracy gets shattered and shaky. The foundation of this country is in such a pitiable condition on shaky grounds.

Those who are in power for the last 10 years, hon. Prime Minister Modi, along with their ideologies and communal agenda are responsible for this sorry state of affairs. This Government, in a planned manner, have been slowly making the Election Commission act as a puppet in their control. For example, we are saying this time and again in this august House. There is a Panel for selecting the Election Commissioners and the Chief Election Commissioner. So far we called the Election Commission as the temple of democracy. Similarly, hon. Supreme Court is called the temple of justice. This selection Committee comprised of the hon. Chief Justice of India among others, A Judgement was pronounced in March 2003 by the hon. Supreme Court of India. In December this Government in order to

protect their agenda brought a legislation in this august House to change the composition of the Selection Panel. How audacity is this? Hon. Chief Justice of the Supreme Court has been removed from the Panel which is for selection of the Election Commissioner. Now who are all in the panel of selection of the Chief Election Commissioner? One is the hon. Prime Minister, second is the Leader of Opposition, and third is the Cabinet Minister to be nominated by the Hon Prime Minister. Is it not an anarchy? Is the country going towards dictatorship? Is this the reform? Is this the reform which we are discussing? This is not a reform. This is an attempt made by the ruling party to capture and get hold of control of all the independent institutions of our country. An onslaught on the Constitution of this country. Not only this. This is not an isolated incident. I can cite one more example. Just few weeks before the Lok Sabha elections, an Election Commissioner resigned from his post. There were several reasons told for his resignation. But something was concealed. We have known one such reason that since Arun Goyal was not functioning as per the directions of the ruling dispensation and hence he was asked to resign. This is one among the reason to prove that how Election Commission of the Day is controlled and operated by the Union Government.

There are several other examples. During 2019 elections, Hon Prime Minister violated the Election Code of Conduct. There was a violation of Code of Conduct. During that discussion, the enquiry, the then Election Commissioner Ashok Lavasa dissented in giving clean chit to the Prime Minister on violation of Model Code of Conduct, and there was targeted attacks on him for that viewpoint. He had faced relentless enquires in the hands of this government. Sir these are all not the reforms. This is nothing but anarchy. Those in power are just wanting to make the independent institutions function as their slaves. Those who are close to their ideologies are appointed as Vice-Chancellors of Universities and this is their atrocity in the field of Education. Those who have agreed to the ideologies of the ruling party are being appointed to the reputed Independent Institutions such as Reserve Bank of India, Comptroller and Auditor General of India, and the Finance Commission.

When elections are around, Institutions like Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation and Income Tax Department will be put into action to conduct raids here and there. They are again puppets in the hands of those in power. They will be given the tasks of

targeting the Opposition parties and to control them. This is such a situation where these Independent Institutions have been made as slaves of the ruling party and to blindly carry out their orders. Even Judiciary is not beyond their control. It is very dangerous to the nation. There are judges who adore particular principles of religion, an example in Madurai high court recently, the Judgement was pronounced which was completely religious and against the Constitution. Defending the ruling party, biased, discriminatory orders were issued by the High Court Judge.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: You can see the press report. There was a Judge in one of the High Courts who claim to be the Champion of *Sanatan Dharma.*

HON. CHAIRPERSON: Come to the subject. Please come to the topic.

? (*Interruptions*)

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: Sir these are all the attempts which I would like to point out that these Independent Institutions are trying to subvert the executive. Similarly, Is it fair to say that the CCTV footages should be destroyed or deleted within 45 days of the poll. Is it not an act of destroying the evidence? Is this the reform? This is atrocity. While taking part in a government function organized just before the Elections, Hon Prime Minister, by using his enormous powers, engages in election campaigning. This Election Commission is witnessing it as a mute spectator. Prime Minister will start his campaigning at least 4 months before the date of Poll. There are two yardsticks for the Election Commission. One is that to accept whatever the Power Centers say. Another aspect is showing interest to disintegrate the political parties and to topple the Governments at the States. Election Commission is merely a trumpet in the hands of the rulers.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, sir.

Sir, one second. Kindly listen to me sir.

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: Sir we had ten minutes. I was given ten minutes. Hon. Speaker can give me one more minute? I will conclude.

HON. CHAIRPERSON: You have already completed ten minutes.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Hon. Speaker, you can give me one more minute so that I could conclude. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have another thirty seconds, please conclude.

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: S.I.R. is very important. SIR itself is unconstitutional and illegal. Election Commission has no power. Because it is having only a statutory power. The Special Intensive Revision can be announced only by the Parliament and no other executive cannot override this statutory order. That itself will be illegal and unconstitutional. But what is happening? In just 30 days, 6 Crore and 36 lakh voters have to reregister and renew their Voter Identity Cards. We became MPs in the year 2024. Is it wrong? Are they not voters who votes for us? Without stating the reason for this revision of Voter list, Election Commission has started this S.I.R. just one month before Elections. This is anarchy. I can say many things. Out of the 13 documents approved by the Election Commission, revised S.I.R list has been included. What is the reason for this inclusion. They want to betray Tamil Nadu. They do not want good governance in Tamil Nadu. There are lakhs of workers who have come to Tamil Nadu in search of employment. The Union Government wants to make these migrated persons to be converted as voters in Tamil Nadu. There cannot be two votes. One in Bihar and One in Tamil Nadu. This has been decided by the Election Commission of India. I therefore Oppose the unilateral decisions of the Election Commission and the favours extended by this Institution to the ruling dispensation. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member may kindly note that we should not speak against a court?s verdict.

Now, Shrimati Anupriya Patel ji

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे चुनाव सुधार की इस बेहद अहम चर्चा में अपनी बात रखने का

अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे जीवंत लोकतंत्र भी है। सही मायने में कहा जाए, तो यह लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। जनादेश तय होता है नागरिकों के वोट के अधिकार से। उस दृष्टि से, मतदाता सूची का शुद्धिकरण बेहद जरूरी कार्य है। पात्र व्यक्ति के पास वोट का अधिकार हो और जो अपात्र हैं, वे पात्र नागरिकों के अधिकारों पर डाका न डाल सकें, इसलिए देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है।

एक तरह से, इस चुनावी सुधार की चर्चा के केन्द्र में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है। देश में लम्बे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जब एसआईआर शुरू हुआ, तो ऐसा लगा जैसे देश में कोई राजनीतिक भूचाल आ गया हो। विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने संविधान को खतरे में बताकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये। वहाँ से भी इनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है।

माननीय सभापति जी, इसी बीच बिहार का चुनाव भी आ गया। वहाँ भी एसआई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। महागठबंधन में शामिल कई दल- कांग्रेस, राजद एक नया नारा लेकर, वोट चोरी का नारा लेकर सड़कों पर उतर आये।? (व्यवधान) सर, ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं। हर चुनाव में आपके पास एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है और इस बार आप वोट चोरी का नारा लेकर आए।? (व्यवधान) गद्दी तो आपकी छीन गयी।? (व्यवधान) आपको उसी की पीड़ा है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इन्होंने बिहार की जनता के मन में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एसआईआर के कारण बहुत अत्याचार हो रहा है। वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, इसे समझना जरूरी है। एसआईआर की एक्सरसाइज़ में बिहार में 65 लाख नाम काटे गए। अगर इतनी बड़ी तादाद में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं, तो किसी को तो चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करने के लिए जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 65 व्यक्ति तो पहुंचने चाहिए। लेकिन 65 व्यक्ति भी नहीं पहुंचे। कोई कम्प्लेन नहीं हुई। अगर कोई देश का नागरिक है और उसका नाम कटेगा तो वह कोई क्यों नहीं जाएगा, क्या इसका कोई कारण है? उसके बाद, जब चुनाव के परिणाम आए, तो एनडीए की प्रचंड जीत ने इनके वोट चोरी के नारे की हवा निकालकर रख दी। बिहार की जनता ने इनके भ्रम की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया।

माननीय सभापति जी, आज यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में चलायी जा रही है। एसआईआर को लेकर आज भी तमाम तरह के सवाल, जिसे हमारे विपक्ष के साथी उठाते रहते हैं, उसमें एक सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। यह चुनाव के पहले क्यों हो रहा है, एसआईआर बड़ी जल्दबाजी में हो रहा है, ऐसी तमाम बातें मैं सुनती हूँ। ऐसे तमाम

राज्य है, यह जिन 12 राज्यों में हो रहा है, कुछ राज्यों में अभी भी चुनाव होने में पाँच से छ: महीने का समय शेष है, कई राज्य ऐसे हैं, जहाँ एक साल या उससे अधिक का समय शेष है।

सभापति जी, ये जो टाइमिंग और जल्दबाजी को लेकर दावा कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आज देश के अंदर घुसपैठियों की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब जानते हैं कि इस देश के अलग-अलग राज्यों व अलग-अलग कोनों में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। येन केन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड्स भी बनवा लिए हैं, वोटर कार्ड्स भी बनवा लिए हैं और वे चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर देश की सरकार कहती है कि हम घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, हम उनका नाम मतदाता सूची से काट देंगे, तो हमारे कुछ विपक्षी दलों के साथियों का मन द्रवित हो जाता है।

सभापति जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया चलाई गई है, वह प्रक्रिया ऐसे ही अवैध मतदाताओं की पहचान के लिए चलाई गई है। घुसपैठ की जो समस्या है, यह कोई नई समस्या नहीं है। यह देश की बहुत पुरानी समस्या है। सन् 1996 में जब देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, तत्कालीन गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त जी थे, जो एक वामपंथी नेता थे। आज से तीन दशक पहले उन्होंने कहा था कि देश में लगभग डेढ़ से पौने दो करोड़ घुसपैठिए हैं। अगर आज से तीन दशक पहले यह संख्या इतनी बड़ी थी, तो आज के समय अर्थात् इतने वर्षों के बाद देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, पक्ष और विपक्ष हम दोनों इसकी कल्पना कर सकते हैं।

सभापति जी, आज कई दल महागठबंधन में शामिल हैं, मुझे स्मरण है कि उन पार्टियों के कई नेताओं ने इसके बारे में कहा है। जैसे पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी और राजद प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस सदन के सदस्य रहते हुए घुसपैठियों संबंधी समस्या को इस सदन में उठाने का काम किया था। यह दुख की बात भी है और यह दुर्भाग्य भी है कि इस देश में इतने वर्षों के बाद घुसपैठियों की पहचान करके, उन्हें देश की सीमा से बाहर करने या उनका नाम मतदाता सूची से हटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ है।

सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों की पहचान नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या इन्हें मतदान का अधिकार देना चाहिए? सवाल यह है कि क्या देश के संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कोई हक है? सवाल यह है कि क्या भारत सरकार व तमाम राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए होना चाहिए, क्योंकि ये फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर किसी न किसी दल के वोटर बनकर बैठे हुए हैं?

सभापति जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब हमने देखा था कि भारत-बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, मुझे बोलने दीजिए। मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए।? (व्यवधान)

महोदय, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। वे सीमा पार करके यहां से जाना चाहते हैं। हमने टीवी और मीडिया पर उनके इंटरव्यूज और कथन सुने हैं। वे लोग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वे कैसे आएं, कब आएं और भारत के अंदर कितने दिनों से रह रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कितनी बार भारत में हुए विभिन्न चुनावों में मतदान किया है, यह एक गंभीर मसला है।

सभापति जी, सवाल यह नहीं है कि घुसपैठियों को निकालने का किसका कितना दायित्व है, लेकिन सवाल यह जरूर है कि घुसपैठिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ? (व्यवधान) क्या आप घुसपैठियों के साथ हैं? आप बताइए कि क्या आप घुसपैठियों के साथ हैं? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप आसन को एड्रेस करते हुए बोलिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, अभी वे बाहर निकलकर आ रहे हैं। क्या आपने भारत-बांग्लादेश की सीमा पर उनको खड़े नहीं देखा है? मैंने टीवी पर ऐसा देखा है। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है, आपने भी उनको देखा होगा। देश के किसी भी कोने में अगर कोई अवैध मतदाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए और किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। यही एसआईआर का काम है।

सभापति जी, आज हमारे जो विपक्ष के साथीगण हैं, उन्होंने एक रवैया बना लिया है। ?न खाता न बही, जो हम कहें, वही सही।? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, वे कह रहे हैं कि कोई निष्पक्ष नहीं बचा है, क्योंकि उस तरफ के साथी इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। चाहे चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब इनके निशाने पर हैं। समस्या दरअसल यह है कि हमारे इन साथियों को चुनावों में लगातार हार मिल रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के चयन के दौरान चुनावों में जो लगातार हार मिल रही है, उसने इनके अंदर बहुत हताशा और निराशा पैदा कर दी है।

ये समझ चुके हैं कि एनडीए से राजनीतिक रूप से पार पाना संभव नहीं है। इसलिए ये हर चुनाव में एक नया भ्रमजाल बुनने का काम करते हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude in one minute.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, मुझे तीन-चार मिनट्स और दीजिए। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी के इतने आरोप लगा रही है, वह देश की जनता को यह नहीं बताएगी कि उनके दौर में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिटायर होने के बाद उनकी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं। ? (व्यवधान) उस समय पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी का कोई सवाल नहीं था, जो आज खड़ा हो रहा है, जब एनडीए की सरकार है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता को यह नहीं बताएगी कि टी.एन. शेषन साहब के? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी।

? (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, मैं अभी बोल रही हूं। ? (व्यवधान) मुझे अभी बोलने दीजिए।? (व्यवधान)। मेरा एक लास्ट विषय है, उसे पूरा करने दीजिए। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in 30 seconds because I have given you so many extensions.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति जी, कांग्रेस पार्टी यह नहीं बताएगी की टी.एन. शेषन साहब के आने से पहले इस देश की जनता को यह नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन किस चिड़िया का नाम है? अपनी हार के असली कारणों को छिपाने के लिए ये सारे दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इनकी असली समस्या है - जनता से दूरी।? (व्यवधान) लेकिन ये ईवीएम को उसका कारण बताते हैं। मैंने कुछ वक्ताओं को सुना है। वे कह रहे थे कि यूएस, जर्मनी और कहां-कहां के? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, thank you.

? (*Interruptions*)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सर, यह लास्ट मुद्दा है।? (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।? (व्यवधान)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य): सभापति महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत संवेदनशील, महत्वपूर्ण और देश के भविष्य से जुड़ी हुई चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude. We have given you so much of time.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, give me two minutes. सर, आपने उधर चार बार अलाऊ किया है। Let me speak, I am concluding. Give me two minutes, I will conclude.

HON. CHAIRPERSON: I have given you so many extensions Madam. Please conclude.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I am just concluding. This is a serious issue. This is not something that can be debated in two minutes. ? (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति जी, यहां इस सभा में इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और एक भी कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद नहीं है। ? (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : आप बैठ जाइए।

सर, ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : ये अब आए हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम को बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Put your last point.

? (*Interruptions*)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : हमारे विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर को वापस ले आइए। ? (व्यवधान) वे तमाम पश्चिमी देशों के उदाहरण दे रहे थे। ? (व्यवधान)

सभापति जी, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और ईवीएम को लाना चुनावी सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, तो कितनी चुनावी हिंसा होती थी।? (व्यवधान) कितने लोगों की जानें जाती थीं और कितने बूथ कैप्चर होते थे।? (व्यवधान) क्या हम इस देश को उस पुरानी व्यवस्था पर लाना चाहते हैं? ? (व्यवधान) सभापति जी, हमारा देश, यूएस ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Thank you so much, Madam.

Now, Prof. Varsha Gaikwad.

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात शुरू करने के लिए वक्त दिया था ।? (व्यवधान) उसके बीच में आपने किसी और को वक्त दिया, इसलिए मुझे उचित वक्त दिया जाए ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने मुझे आज इलेक्शन रिफॉर्म्स विषय पर, जो कि अत्यंत संवेदनशील, महत्वाकांक्षी और देश के भविष्य से जुड़ी हुई चर्चा है, उसमें हिस्सा लेने का अवसर दिया है ।? (व्यवधान) मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी । मैं कल से भाषण सुन रही हूं । मैंने देखा कि यहां पर बहुत सारे वक्ताओं ने भाषण दिया है । ? (व्यवधान) सरकार के पक्ष के लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर बहुत सारे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं । ? (व्यवधान) सरकार ने चाहे कांग्रेस मुक्त का नारा दिया हो, लेकिन जब पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जो बातें और मुद्दे उठाए, उनके सामने सरकार को अपने ? पड़े थे । जैसा कि आप सबको मालूम है कि जीएसटी की बात करें, तो ? में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और रेट कम होना चाहिए । इसकी बात राहुल जी ने रखी थी ।? (व्यवधान) उसके बाद बहुत से लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन उनके बावजूद भी सरकार ने हाल में बचत महोत्सव का जो निर्णय लिया है, जिसका पूरी तरह से सभी जगह प्रोपोगैंडा चल रहा है । मैं देख रही हूं कि कई बार समय की चाल बदल जाती है, फिर इनको अक्ल आती है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहती हूं । यही कहानी बार-बार दोहराई जाती है । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर जो निर्णय लिया, वह आपको मालूम होगा । जब विदेश नीति के ऊपर बात आई, तब कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर बात की । आर्थिक नीति के बारे में राहुल जी ने अपनी बात रखी, नोटबंदी के ऊपर अपनी बात रखी और जब कोरोना जैसी महामारी की सुनामी आई, उन्होंने तब भी अपनी बात रखी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में बात रखी और एयरलाइन्स की मोनोपॉली के बारे में अपनी बात रखी थी । बाद में जाकर ये सभी बातें पत्थर की लकीर बन गईं और सच साबित हुईं ।

<u>14.00 hrs</u>

आज मुझे यहां एक और बात कहनी है । आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करती हूं कि वोट चोरी, ईवीएम गड़बड़ी, एसआईआर के नाम पर जो धांधली के मुद्दे हैं, जिन्हें आज हम उठा रहे हैं, कल इस सदन को इसे स्वीकार करना पड़ेगा । भविष्य में इसको आपको समझना पड़ेगा और आप इसको स्वीकार करके चलेंगे, यह मैं आज सरकार से यह कहना चाहती हूं ।

सम्माननीय सभापति महोदय, क्या हमारे देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधारों की आवश्यकता है? मैं समझती हूं कि बिलकुल इसकी आवश्यकता है। लेकिन, ये सुधार तब ही हो सकते हैं, जब इन्हें लागू करने वाली जो संस्था है, उसकी नीयत साफ हो। मैं देख रही हूं कि आज देश में एक अजीब किस्म की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ भारत का रुपया और दूसरी तरफ भारत के चुनाव आयोग की साख, इन दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसमें आजकल कॉम्पिटिशन चल रहा है।

सम्माननीय सभापति महोदय, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की रक्षक है और आज हम देख रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था ही संविधान और कानून की हत्या कैसे कर सकती है? वर्ष 1950 से वर्ष 2014 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। लेकिन, अब इसकी चाल, चरित्र और इसका चेहरा बदल चुका है।

सम्माननीय सभापति महोदय, आज हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा है। मैं इसके संबंध में आपके सामने कुछ उदाहरण यहां रखना चाहती हूं। जैसा कि सरकार बार-बार यहां ? वन नेशन, वन इलेक्शन? का ढिंढोरा पीट रही थी।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सच्चाई यहां लाना चाहती हूं। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि वर्ष 2024 में हरियाणा और झारखंड के इलेक्शन्स हुए थे। उनके साथ ही महाराष्ट्र के इलेक्शन्स भी होने थे। यहां संसद में जितने भी महाराष्ट्र के सांसद हैं, वे सब जानते हैं कि हरियाणा और झारखंड के साथ ही अगर महाराष्ट्र के विधान सभा के इलेक्शन्स होते, तो रिज़ल्ट्स कुछ अलग आते। लेकिन, षडयंत्र के तहत हमारे इलेक्शंस तीन महीने के लिए पोस्टपोन कर दिए गए।

सम्माननीय सभापति महोदय, इसमें संयोग की बात देखिए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि विधान सभा 2019 और लोक सभा 2024 के बीच में मतदाता सूची में 32 लाख की बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन, लोक सभा 2024 और विधान सभा 2024 के बीच में लगभग 39 लाख मतदाताओं की वृद्धि होती है। मतलब, पांच सालों में हमारे महाराष्ट्र में 32 लाख मतदाताओं की सूची बढ़ी और पांच महीनों में हमारे महाराष्ट्र में 39 लाख लोगों की सूची बनी। ? (व्यवधान) यह मेरा पहला उदाहरण है। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़: नहीं, सर। ऐसा नहीं चलेगा। अभी मुझे बोलने दीजिए। ? (व्यवधान) मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। ? (व्यवधान) अभी मेरे दो पेज भी पूरे नहीं हुए हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, आप आगे बोलिए।

? (व्यवधान)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ : सम्माननीय सभापति महोदय, बिहार के इलेक्शन्स हुए, जिसके बाद चुनाव आयोग की पत्रकार परिषद हुई। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर लागू होगा। उसके बाद हमारी राज्य की सरकार की चिट्ठी जाती है और उसके बाद क्या होता है? हमारे यहां एसआईआर रद्द कर दिया जाता है, जैसे अमेरिका से फोन आने पर जिस तरह हम सरेंडर करते हैं, उसी तरह से चुनाव आयोग सरकार के अनुसार निर्णय लेता है। बिहार में तो दो महीने पहले आप करते हो?

अत: मेरा यह कहना है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, चुनाव आयोग का जो काम है, क्या चुनाव आयोग वह काम कर रहा है? मुझे आज यहां पर पंडित एच. एन. कुंजरू जी की संविधान सभा में कही चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने कहा था:

> ?If the electoral machinery is defective or is not efficient or is worked by people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poisoned at the source.?

माननीय सभापति : ठीक है, धन्यवाद।

? (व्यवधान)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ : सर, मुझे महाराष्ट्र की कुछ बातें कहनी हैं, इसलिए, मुझे बोलने का थोड़ा और मौका दीजिए। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude within one minute. I have already given you extra time.

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ : सर, आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे चुनाव आयोग की भूमिका महाराष्ट्र के धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। वह सत्ता के मोह में अंधा हो चुका है। लोकतंत्र का ... हो रहा है और संविधान की हत्या दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के कुछ उदाहरण यहां रखना चाहती हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया मुझे बोलने दीजिए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे यहां स्थानिक निकायों के इलेक्शन्स हो रहे हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक वीडियो सामने आ रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. थोल तिरूमावलवन जी।

? (व्यवधान)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ : मतदान केंद्र में सत्ताधारी पक्ष के एक एमएलए जा रहे हैं और मतदान करने वाली एक महिला को एक कथित निशानी देकर उससे वोट करने के लिए कह रहे हैं। ? (व्यवधान) एक जगह आप महिलाओं की प्राइवेसी की बात करते हैं, दूसरी जगह आप यह बात कर रहे हैं कि किसको मत देना चाहिए। आप इसकी बात कर रहे हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. थोल तिरूमावलवन जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Special Intensive Revision, S.I.R. has created widespread discussions in the country. Even after strong opposition from the Opposition parties including Congress, S.I.R. is being implemented in full swing. Rather S.I.R. should be implemented during the period when elections are not held in our country. List of Voters has been updated regularly from time to time by way of Summary Revision or Intensive Revision. But it is a matter of great shock as the revision of voter list is now being carried out in order to verify the citizenship of the voters. Can the Election Commission, functioning on the basis of Representation of People?s Act, have the powers to verify the Citizenship of our Voters? This procedure is aimed at snatching away the voting rights of the eligible Voters of our country. It is in violation of the powers vested with the Election Commission.

14.07 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

This is unconstitutional. Not only they snatch away the voting rights, they snatch the Citizenship rights from the sons of the soil. In Bihar, due to S.I.R., as many as 47 lakh voters have been removed from the voter list. With a view to restrict the migrants from neighbouring countries from voting in India, this action is said to have been taken by this ruling dispensation and the Election Commission. But, can you identify at least a single person from the 47 lakh voters removed from the voter list due to S.I.R. Those who have been removed from the list of voters are the Citizens of India. They are the sons of the soil of Bihar. Therefore, Government is engaged in the activities that are aimed to snatch away the citizenship right of the citizens of our own country. It is a matter of shock and pain for us. While addressing the constituent

Assembly, the revolutionary leader Dr. B.R. Ambedkar said, ?In future, a situation may rise where you may loose your voting right.? He not only expressed fear but wanted to make right to vote as a fundamental right. How fair is that demand. In this situation, we are duty-bound to think about his demand. I want to once again reiterate the demand raised by revolutionary leader Dr. B.R. Ambedkar in this august House. The right to vote should be included as one among the fundamental rights, as enshrined in the Constitutions of India. Electoral democracy is the life-giving principle of our country. Election Commission has a pivotal role to protect this electoral democracy and to make it function successfully. Election Commission should function independently. Since the time BJP came to power, not only Election Commission, there are regular political interventions by the ruling party in the functioning of the Enforcement Directorate, Investigative Agencies, Judiciary and all other institutions. Election Commission is functioning in favour of the ruling party. This is so dangerous. Election Commission do not have any power to verify the citizenship of any citizen. When Representation of People?s Act does not give this power to the Election Commission, how can it implement the Citizenship Amendment Act. How is it asking for 13 documents? All these documents are meant to verify one?s citizenship. Therefore, I urge upon you that the S.I.R. work should be stopped. They should give up any activity that is for verifying the citizenship details of any person. In Tamil Nadu, there is a possibility of snatching away the voting rights of more than 1 Crore people. We cannot accept this. Tamil Nadu does not figure in the list of States where migration may take place from the neighbouring countries. Even if you say Sri Lankan Tamils are coming to Tamil Nadu, they do not migrate to Tamil Nadu in an illegal manner. Sri Lankan Tamils do stay in Tamil Nadu with due permission from the Government. Therefore we cannot accept this voter revision in any situation. I urge to give up this revision work. I once again reiterate the demand of revolutionary leader Dr. B. R. Ambedkar for making the Right to Vote as a fundamental right. This should not be a measure carried out for snatching away the Citizenship rights. I once again register that the Election Commission do not have any such powers with it. I also urge that the ballot system should be brought back. Thank you. Vanakkam.

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे चुनाव सुधारों पर बोलने का मौका दिया। खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता,

उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन मेरे लिए पिछला एक साल, खासकर विपक्ष से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से मैं इसे ट्रॉमेटिक कह सकती हूं। हर दिन इन्होंने यहां पर तमाशा किया है। इनको देखकर हमारा दिल दहल जाता था। एसआईआर, एसआईआर, ये वेल में उतर जाते थे। यहां पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का-मुक्की आदि ऐसी कोई बदतमीजी नहीं है जो छोड़ी हो। इन्होंने एक भी दिन संसद भवन नहीं चलने दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहां पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं। हम नए सांसद हैं। अगर पिछले दो-तीन दिन को छोड़ा जाए, तो इन्होंने सालभर में संसद को शायद ही थोड़ा चलने दिया हो। एसआईआर, एसआईआर कर-करके इन्होंने यहां पर तमाशे किए, लेकिन अब जब एसआईआर पर इनके बोलने की बारी आयी, तो हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, मुझे लगा क्या खुलासा होगा। हम भी बड़े उत्सुक थे, पूरे साल हमने एक ही शब्द सुना है। अब ये क्या ग्रैंड रिवोल्यूशन होगी, लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने जब कल कहा कि खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं। उनको जब कहा गया कि आप प्वाइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आरग्युमेंट फ्रेम कर रहा हूं और इतनी देर बाद जब वे फ्रेम करके पहुंचे, तो ले देकर वे वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला पर बोल रहे थे। सभापति जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि Every woman is entitled to her dignity, वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, हरियाणा चुनाव से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के यहां पर उनकी फोटो बनाकर उसको यहां पर उछाला है, यहां पर उनकी तस्वीर उछाली है। यहां पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाऊ नहीं है, इन्होंने फिर भी कभी नियमों का उल्लंघन किया। सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उस महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना उनकी, आजकल पर्सनल राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत यहां उनकी फोटो यूज की गई, मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं और? (व्यवधान) यह देखिए ये महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय और गैस देने से लेकर महिलाओं को छात्रवृति देने तक न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालो शायद तुम लोग यह समझ नहीं पा रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ईवीएम हैक नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी लोगों के दिलों को हैक करते हैं।

महोदय, ये लोग दुहाई देते हैं कि वह जो पुराने जमाने के दकियानूसी चिट कागज पर लिखकर जो मतदान होता था वह सबसे अच्छा था। ये लोग वो दिन भूल गए। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण के केस को इतिहास में ?The case that shook the nation?. के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनायी हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पर एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वे पकड़ी गई थीं। उनका जो आरोप था उसमें सच सिद्ध किया गया था और उनको रातों-रात कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था। रातों-रात उनको यह आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इन्होंने ये

धांधलियां की हुई हैं । उस समय ये लोग बैलेट और बक्सों को उठाकर लेकर जाते थे और आज कहते हैं कि ईवीएम्स हैक हो जाती हैं । सभापति महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें । हम पुरानी बातें नहीं करेंगे । हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे । मैं यह जानना चाहती हूं कि आपकी जो माताजी हैं, वे तो अध्यक्ष हैं । आप देखिये, जब उनके पास नागरिकता नहीं थीं, जब उनके पास वर्ष 1983 में नागरिकता आई तो उसके कितने साल पहले से वे वोट देती आ रही हैं । इनका जो परिवार हैं, वह एनटाइटलमेंट से ग्रस्त है । यह प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो या चाहे आपका वर्तमान हो? (व्यवधान) चाहे ईवीएम हो या चाहे बैलेट पेपर हो? (व्यवधान) आप लोगों के चरित्र में किसी तरह की मर्यादा नहीं है। आप लोगों ने कभी भी इस देश की कानून व्यवस्था, संविधान का सम्मान नहीं किया है ।? (व्यवधान)

महोदय, बिहार में जैसे ही एसआईआर लागू हुआ, तो 60 लाख से ज्यादा वोटर कार्ड्स अवैध मिले । ये जो सारे अमान्य वोटर कार्ड्स हैं, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं हैं । कुछ लोग ऐसे हैं, जो माइग्रेट हो गए हैं । कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो दुनिया में हैं ही नहीं । ऐसे 60 लाख से ज्यादा वोट हैं । अगर वे लोग जेनुइन थे तो किसी को तो रिक्वैस्ट करनी चाहिए थी कि मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है । उसके उपरांत उन्होंने 21 नए आईडी दिए हैं । इस तरह का एक माहौल बिहार में बना कि आज तक की सबसे ज्यादा 67 परसेंट वोटिंग हुई । नागरिकों में यह उत्साह जगा और इस तरह का जो क्लेजिंग प्रोसेस है, वह होना चाहिए ।

मैं एक देशभक्त होने के नाते यह प्रपोज करना चाहती हूं कि हमारे देश में जो शीर्ष अधिकारी हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने, दो महीने में इलैक्शन्स में पुश कर देते हैं । इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है । मैं यह चाहूंगी कि वन नेशन वन इलैक्शन हो । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि जो वोटिंग है, वह डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में हो, जैसे कि दीवाली या होली होती है, उस रूप में मनाया जाए । क्योंकि यह सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है । 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का जो नुकसान होता है, सिर्फ वही नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे जो नागरिक हैं, उनमें वोटिंग फटीग है । उनको बार-बार जागरूक करना, जहां वे काम करते हैं वहां से ट्रेवल करके नेटिव प्लेसेज पर आना, it is exhausting for the whole ecosystem. मैं यह प्रपोज करना चाहती हूं कि वन नेशन वन इलैक्शन को लाया जाए । हमें हर महीने, दो महीने में इलैक्शन की जो असुविधा होती है, उससे हम बच सकते हैं । जय हिंद ।

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, आपने मुझे यहां पर बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । हमारा मुल्क हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जम्हूरियत के लिए मशहूर है । यह जम्हूरियत तब मुमकिन हुई, जब यहां के इलैक्शन साफ-सुथरे हुए। दुनिया हिन्दुस्तान को जम्हूरियत मुल्क इसलिए मान रही थी कि हमारे इलैक्शन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई । पूरी दुनिया में यह लग रहा था कि इलैक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, साफ और शफ्फाफ तरीके से होते हैं । लेकिन हमारे जो इलैक्शन हैं, वह शक के घेरे में हैं ।

पिछले एक साल से जो सवालात उठ रहे हैं, इलैक्शन कमीशन और हुकूमत का यह फर्ज बनता है कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें। वह क्लियर इसलिए करें कि इस मुल्क की जम्हूरियत की जो इमेज है, वह बची रहे। इसके साथ-साथ इस वक्त के जो सियासी निजाम हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर इस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं, बातें हो रही हैं तो आप एक अच्छी हुकूमत नहीं कर सकते। आज इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉंग है, चाहे स्टेट्स हों या सेंटर हो और जब हर स्टेट में शुबहा पैदा हो कि यहां इलैक्शन साफ-सुथरे नहीं होते तो फिर कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता है। फिर एक निजाम भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें हर वह कदम उठाना चाहिए, जिससे इलैक्शन के इस प्रोसेस पर किसी भी किस्म का शक न रहे। चाहे उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशनर की नोमिनेशन है, उसको जो बनाया जाता है, उस प्रोसेस को भी उतना साफ-सुथरा रखना है। अपोजिशन ने यहां पर जो तजबीजें दी हैं, उस बारे में आपको गौर करना चाहिए। जिस बिहार इलेक्शन की इतनी बड़ी बात यहां से की जा रही है, उनको यह याद रखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले अकाउंट में 10 हजार का अमाउंट देना, यह बहुत बड़ी गलत बात है। यह इस पूरे निज़ाम को खराब करेगा। यह हमारी इकोनॉमी को खराब करेगा। यह हमारी ग्रोथ को खराब करेगा। यह हमारी डेवलपमेंट को खराब करेगा। अगर इसका यह मतलब लिया जाए कि इलेक्शन के मौके पर कुछ कंसेशन्स देनी हैं, तो फिर पांच साल काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अच्छे स्कूल मत दीजिए, फिर अच्छी सड़के मत दीजिए, फिर अच्छे हाइवेज़ मत दीजिए। इस तरह यह जो निज़ाम है, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। तब जाकर इलेक्शन में अच्छे लोग आएंगे, हुकूमत अच्छी बनेगी, काम अच्छा होगा। इसके साथ-साथ जो यहां पर बॉन्ड्स की बात चली, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे अपोजिशन की हो, चाहे रुलिंग पार्टी की हो, जब वे बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउसेज़ से, बड़े-बड़े बिल्डर्स से पैसे ले रहे हैं, तो जो पैसे इलेक्शन के लिए पार्टियां ले रही हैं, पार्टी फंड्स के लिए ले रही हैं, उस पैसे को फिर वे कंपनियां गरीब से वसूल करती हैं। वे कंपनियां, जो हुकूमत के करीब होती हैं, जो अपोजिशन के करीब होती हैं, उनसे आप यह तवक़्को नहीं कर सकते कि वे अच्छे हाइवे बनाएंगी, उनसे आप यह तवक़्को नहीं कर सकते कि वे एक अच्छी टनल बनाएंगी, उनसे आप यह तवक़्को नहीं कर सकते कि वे एक अच्छा पावर हाउस आपको बनाकर देंगी।

सर, मैं दो मिनट लूंगा। यह बात जो है, यह गौरतलब है कि हिंदुस्तान जैसे जम्हूरी मुल्क में यह नहीं होना चाहिए। हमारे यहां एक टनल बन रहा है, लेकिन उस कंपनी की इतनी बड़ी पहुंच है कि वहां पर जो लोकल लोग हैं, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि इनकी पहुंच इतनी है कि इन्हें किसी गरीब को पूछना ही नहीं है। वहां उसके नाम पर एनवायरनमेंट को इस तरह तबाह किया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मामले को देखिए कि आपके साथ लोग रहने चाहिए। लोग रहेंगे, तो कंपनियां भी रहेंगी, कॉरपोरेट हाउसेज़ भी रहेंगे। लोग न रहे, तो फिर कोई भी नहीं रहता है। माजी में भी जो लोग हुक्मरान रहे, उनके साथ यही हुआ। इसलिए इस मामले को भी गौर करने

की जरूरत है। इस मामले को भी देखने की जरूरत है। इस मामले को यदि नहीं देखेंगे, तो यह निज़ाम साफ-सुथरा नहीं हो सकता है।

जो इलेक्शन कमीशन है, उसने सारे टीचर्स को इलेक्शन के इस प्रोसेस में ड्यूटी पर लगाया हुआ है। सर, मुझे दो मिनट दीजिए। इससे हमारा पूरा जो एजुकेशन का निज़ाम है, वह सफर हो रहा है, उसका काम मुतासिर हो रहा है। इसका कोई भी दूसरा रास्ता निकालिए, क्योंकि एलेक्शन से साल-डेढ़ साल पहले पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके साथ होता है। यह कितनी शर्म की बात है।

माननीय सभापति : धन्यवाद जी।

श्री मियां अल्ताफ अहमद : सर, मैं एक मिनट लूंगा।

माननीय सभापति : 30 सेकेण्ड।

श्री मियां अल्ताफ अहमद : यह कितना जुल्म है। यह कौन-सी जल्दी है, यह कौन-सी प्रॉब्लम है कि बीएलओज़ मर रहे हैं। उन पर काम का इतना बोझ है। क्या यह कोई जायज़ बात है? क्या अब इसके लिए भी इंसानियत नहीं रही? कोई यह कह रहा है कि बंगाल में मर रहे है, उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं। क्या बीएलओज़ की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनकी फैमिली नहीं है? इलेक्शन कमीशन यह एन्श्योर करे कि जो इस तरह के बेगुनाह लोग हैं, उनकी मौत किसी जोर-जबरदस्ती के तहत नहीं होनी चाहिए।

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, आपने मुझे एसआईआर पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल रेज किए हैं ? वोटर डुप्लिकेसी, एक एड्रेस पर कई लोगों का नाम होना, नाम नहीं होना और चेहरा किसी और का होना। इनमें बहुत सारी चीजें थीं। इन सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आए हैं। हम बहुत सारी पार्टियों के साथ उनके पास गए थे। हम लोगों से उस मीटिंग में जिस तरह से बात की गई, एक विषय यह उठा कि इलेक्शन कमीशन को वाट्सऐप के माध्यम से गाली दी जा रही है। हम लोगों को भी वाट्सऐप पर गालियां दी जा रही है तो हम उसका रोना लेकर कहां पर जाएं। इलेक्शन कमीशन से सटीक और सर्वे किए गए चीजों पर जवाब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे संस्थानों के ऊपर से विश्वास उठ जाता है जो इस देश को चलाने में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफिडेविट की बात की जाती है। कोई चार, पांच या दस वोट्स की बात नहीं है, बल्कि एक विधान सभा, लोक सभा, एक कॉस्टिच्यूएंसी का डिटेल देने के बाद अगर इस तरह के जवाब आते हैं, तो यह बिल्कुल शंका पैदा करता है। ऑफ लेट, मैं कह सकता हूं कि आज एयरलाइन फेल्योर, बेरोजगारी, बॉर्डर पर घुसपैठ हो रहा है, हम बॉर्डर के मामले में फेल्योर हो रहे हैं, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध फेल हो रहे हैं, महंगाई और हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग वंदे मातरम् पर दस घंटे से अधिक चर्चा कर रहे हैं और हमारे महत्वपूर्ण इश्युज कहीं न कहीं बैक स्टेज ले ले रहा है। उस चर्चा से यह समझ में

आया है कि बंगाल का इलेक्शन है तो 10 घंटे से अधिक की चर्चा हुई है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर सरकार इतने सारे अवर्स को इस तरह से इस्तेमाल करती है, हमारा सदन इस्तेमाल करता है, तो यह गलत है।

माननीय सभापति : आप भी मुद्दे पर आ जाइए। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बोलिए।

श्री विजय कुमार हाँसदाक : सभापति महोदय, मैं लगातार मुद्दे पर ही हूं। एसआईआर के संबंध में जो होम डिपार्टमेंट का डाटा है, हमारा झारखंड हो या बंगाल हो, वहां जो पदेन व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर वे वहां जाकर बांग्लोदेशी जैसे शब्दों की बात करते हैं, जबकि होम डिपार्टमेंट का डाटा कुछ और दिखाता है। अगर जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह का ब्यान देते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत खराब स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें लोग अपने-आप को असहज महसूस करते हैं। यह हमारे देश के नेताओं द्वारा की जा रही है।

सर, हम लगातार यह प्रैक्टिस देख रहे हैं कि ऐसे ऑफिशियल्स और जजेज अपना टर्म पूरा करते हैं और उनको क्रीम पोस्ट्स दे दी जाती हैं। वे अपने पोस्ट्स पर रहते हुए, इन संस्थानों में सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें पांच साल टेन्योर पूरा करने के बाद प्रूव करना होता है, लेकिन ऐसे ऑफिशियल्स और जजेज को अगर क्रीम पोस्ट्स मिल जाएं, तो ये कैसा कार्य करेंगे, यह हमें भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। आप एफिडेविट की बात को छोड़ दीजिए, जब इतने सारे सवाल उठे हैं, तो मैं सदन के माध्यम से यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि अगर वे गलत प्रूव होंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा। अगर जो चीजें पॉइंट बाई पॉइंट बोली गई हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठते हैं, अपने-आप को सही प्रूव करने के लिए वे काम नहीं करते हैं, यह गलत है। आज पूरे देश के सामने यह सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन का क्या मतलब रह गया है, जब आप पूरे सिस्टम को फॉल्टी कर देंगे? हम लोग पांच सालों तक जमीन पर मेहनत करते हैं, लोगों के बीच मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कोई इंस्टिट्यूशन बैठे-बैठे सारे इलेक्शन्स को उन सिस्टम्स के माध्यम से अगर सभी चीजों को खत्म कर दे।? (व्यवधान)

सर, सदन में लगातार बहुत सारे इश्युज उठने चाहिए। आज चाइना का हमारे देश के अंदर घुसना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने एक केस देखा है कि अरुणाचल प्रदेश की एक लेडी चाइना गई। वहां पर वह हमारे देश का पता दिखा रही है तो उसे वहां घुसने नहीं दिया गया है। इस तरह के सवाल लगातार उठते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर सही ढंग से होना चाहिए। मैं भी उसके लिए इस सदन में खड़ा हूं। अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ईवीएम का गलत रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हमारे एलओपी द्वारा बहुत क्लियरली बताया गया है उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उनके बारे में इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देती है, सिर्फ ऐपिफडेविट की मांग करती है, तो पूरे के पूरे सिस्टम का मजाक बन रहा है। मैं यही कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, कल माननीय सदस्य ने बिहार के लोगों को बिहार जीत के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहिए। एसआईआर के तहत इतनी गड़बड़ियां की गईं, उसका लेखा-जोखा लेना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, फार्म-6 में इनक्लूजन और एक्सक्लूजन में लगभग 17 लाख आए, लेकिन इन्होंने साढ़े 21 लाख जोड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.6 लाख वोटर्स कहां से एड हुए। डुप्लीकेट वोटर्स 1 लाख 20 हजार बताये जा रहे हैं, वो कहां से आये? Who is responsible? आपने भी देखा होगा इलेक्शन के दौरान बीजेपी के एक्स एमपी ने दिल्ली में भी वोट देते हुए ट्विट किया और बिहार इलेक्शन में भी वोट देते हुए ट्विट किया। इस तरह एसआईआर होगा तब फिर इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ।

एसआईआर सिस्टेमेटिक इस्टीट्यूशनल रिगिंग है, जिसकी वजह से बिहार की सरकार बनी। हमारे एक एक्स मंत्री ने कहा कि बिहार में बीस सालों में बहुत काम हुआ है, मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। पिछले 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है, वहां पर अगर स्कूल की बात करें तो प्रति लाख बच्चों पर 72 स्कूल हैं जबकि इंडिया का ऐवरज 131 है, हॉस्पिटल बेड 1 लाख लोगों पर 22 है जबकि इंडिया का ऐवरेज 80 है, कॉलेजज 8 वर्सेज 31 है, इंजीनियरिंग कॉलेजज 7 वर्सेस 30, 1 डॉक्टर पर 29 हजार बिहार के लोग हैं, जबकि हिन्दुस्तान में 1 डॉक्टर पर 800 लोग हैं। पर कैपिटा इनकम इंडिया की ढ़ाई लाख है तो बिहार की एक चौथाई भी नहीं है, मात्र 65 हजार रुपये है। जहां से मैं आता हूं, सीमांचल में सिर्फ 23 हजार रुपये है। उसमें आप प्रशासन को इजाज़त देते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बीच 10 हजार रुपये बांटे, आप अंदाजा लगाइए कि इससे कितना असर पड़ेगा। एसआईआर क्यों हुआ, मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूं। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में घुसपैठिए की बात की गई, लेकिन झारखंडवासियों ने जेएमएम और कांग्रेस को वहां जिताया, लेकिन जब बिहार में देखा कि केवल घुसपैठिए बोलने से नहीं होगा तो वहां पर एसआईआर कराया गया। दिनदहाड़े पब्लिक में और खासकर सीमांचल में हम लोगों को घुसपैठिए और बांग्लादेशी कहा गया। जब सरकारी रिपोर्ट आयी तब एक भी इनफिलट्रेटर्स नहीं आया। जब एक भी इनफिलट्रेटर्स नहीं आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बड़े-बड़े नेता कह रहे थे कि हर जगह इनफिलट्रेटर्स है, क्या वह फ्लोर ऑफ द हाऊस बिहार के लोगों से, सीमांचल के लोगों से माफी मांगेंगे? खासकर किशनगंज के लोगों से माफी मांगेंगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। किशनगंज के लोगों से माफी मांगेंगे या नहीं? खासकर मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, जो पिछड़े हैं, दलित है और गरीब हैं, जिनका वोटर आईडी छूट गया है, वोटर कार्ड नहीं बन पाया है।

महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी भी लाखों लोग हैं जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है, कैसे जुड़ेगा? 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्यों में खट रहे हैं। जब बिहार के लोग आदरणीय होम मिनिस्टर से पूछते हैं कि यहां फैक्ट्री चाहिए तो बताया जाता है कि आपके पास जमीन नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले 1 हजार 50 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति एकड़ और प्रति साल की दर पर दे दी गई, क्या यह बिहारियों के साथ इंसाफ है?

जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाली तो लोगों को एक उम्मीद बंधी, जब पता चला कि कांग्रेस और आरजेडी को जिताने का एक माहौल बन गया है तो वहां इन लोगों ने गबन किया। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, दो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन हुए, एक आजादी के पहले और एक आजादी के बाद पहला इलेक्शन हुआ था। उस समय पूरे मुल्क में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन 74 परसेंट से ज्यादा सीट नहीं मिली, 1984 में इंदिरा गांधी जी के मार्टर्डम के बाद 76 परसेंट सीट कांग्रेस ने जीती। लेकिन अगर 2025 के इलेक्शन का आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को 89 परसेंट सीट मिली, जेडीयू को 84 परसेंट सीट मिली और गठबंधन के साथी को 83 परसेंट सीट मिली, क्या यह मुमकिन है?

महोदय, बिहार में 20 साल से डबल इंजन की सरकार बीजेपी, जेडीयू की सरकार, जिसने हर मामले में बिहार को सबसे पीछे रखा है, क्या उसे इतनी सीटें प्राप्त होना मुमकिन हो सकता है। पिछले तीन साल से संसद में जब भी आता-जाता हूं और यहां के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस फोर्सेस से अच्छे रिश्ते हैं, वे पूछते हैं कि एएमयू का क्या हुआ? सब चाहते हैं कि वहां एएमयू हो लेकिन यह मिली जुली सरकार नहीं चाहती है कि वहां एएमयू बने। क्या आप सोच सकते हैं कि वहां के लोग इस सरकार को वोट देंगे। कभी भी बिहार के लोग इस सरकार को वोट नहीं देंगे।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों का रिजल्ट आया, तो लोग कहते हैं कि एजिटेशन करना है तो ईवीएम हटाने की बात कीजिए, नहीं तो इन्हें हटाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। मेरा सुझाव है कि आप बैलेट से वोट कराइए। सर, आप असम से हैं और पांच-छह राज्यों में वोटिंग होनी है। मैं चाहता हूं कि असम से शुरूआत कराइए। इसके अलावा मॉडल कोड आफ कंडक्ट कराइए। अगर कोई भी रिलीजियस टोन का इस्तेमाल करे तो उसे बर्खास्त कीजिए। Revert to the old the system of appointing the Chief Justice and the Chief Election Commissioner. The immunity given to the Chief Election Commissioner under the Election Commission Act, 2023 should be done away with access to CCTV footage. हर बूथ और जिले में कंडिडेट्स और पार्टीज को कम से कम पांच साल के लिए सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराइए, उसे मत हटाइए और आखिर में मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सबके लिए उपलब्ध कराइए। वोट चोरी रोकिए और राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उसे गंभीरता से लीजिए वरना हमारी डेमोक्रेसी जो है, वह डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। धन्यवाद।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Hon. Chairman, after independence, Dr. Babasaheb Ambedkar laid the foundation of a strong democracy I India through the constitution. Elections started in this country in 1952, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, the Congress party succeeded. But Nehru's popularity decreased step by step. In 1967, the Congress government came with great success, but no one ever accused it of vote theft or

out-of-power centers. In 1971, Indira Gandhi came to power by creating Bangladesh and, at that time, Jan Sangh was a major party. At that time, Atal Bihari Vajpayee ji mentioned Indira Gandhi as Durga Mata in this house. For this, it takes a very big heart, it takes a positive mind set to respect democracy. Eventually Congress was defeated in 1977.

This country is so grateful to Dr. Babasaheb Ambedkar that he gave this country a strong democracy in the world. The contribution of Tata, Birla is very big. The value of his vote is the same as the value given to the votes of the tribal brothers and sisters in the villages of this country. This country has seen the Congress government and other governments as well.

The Allahabad High Court verdict was given during the period in which the law was changed by the petition filed by R. Narayan, but no one raised any objection during that period. In 1989 and 1984, after the assassination of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi secured power by getting more than 425 seats in this Parliament. During that period, no one raised any objection. The people of this country have experienced that in 1991, when Narasimha Rao's government came to power, the respected Sharad Chandra Pawar could have become the Prime Minister of this country. But the Congress party had the ill mentality during that period that no one other than its family should lead this country.

Trinamool Congress members sit next to me. Once, as a Youth Congress worker, I was present in Bengal, where Mamata Banerjee had left the Congress party and formed the Trinamool Congress three days ago. We should understand the mentality of that time. In 2004, when the UPA government came to power, the government voted through EVMs, and in 2009, the government also came through EVMs. At that time, the Congress workers tore up the bill brought by the then Congress Prime Minister. Therefore, such people do not have the right to oppose the Bharatiya Janata Party and its allies. Therefore, in 2014, the people of this country decided to support Narendra Modi and formed his government and elected him three times in a row. Indira Gandhi also became the Prime Minister three times, but not consecutively. 140 crore people of the country have trusted Narendra Modi and elected him. Today, the Congress party members are talking about EVM.

In 2024, when the Lok Sabha elections were held in Maharashtra, only 17 MPs got elected from NDA and 31 MPs from Mahavikas Aghadi. At that time, it was not the fault of EVM, there was no vote theft. At that time, the people elected them and then the assembly elections were held and, at that time, we got 238 seats. Immediately, they started blaming EVM. This means that you do not have faith in the democracy of this country and the people of the country. It would not be wrong if I said. Congress contributed to the freedom struggle. Nehruji provided leadership, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi also led, but in the last two elections, the Congress party did not get enough votes to even nominate the Leader of the Opposition.

Respecting all the women of this country, Narendra Modi brought a 33% reservation bill for women. The Congress party decided to make a law for reservations for women, but there was some dispute among them, and they could not ensure this reservation policy. So, in 2029, we will see more women power progressing through 33% reservations. Electoral reforms are, very important.

Today we are talking about the Election Commission. We are talking about the judiciary. When you were in power, and you were getting favorable results, you believed that all this was right. Today, under the leadership of Modiji, a developed India is moving from this perspective, it is clear that you are opposing it for no reason. Once, I was a worker who grew up following in the ideology of the Congress. At that time, there was a Jan Sangh and in 1984, when the Bharatiya Janata Party got only two seats, it did not oppose it. After 30 years of progress, it is now standing as the largest party in this country. As long as there are people who believe in this principles and think about this country, democracy will continue to grow and be glorified in this country.

Unfortunately, Congress and its allies have created confusion in the minds of the people about the constitution given to this country by Dr. Babasaheb Ambedkar. I am grateful for the spirit and energy that has given by Vande Mataram to us for the last 150 years. We will continue to work under the leadership of Modiji for a developed India in 2047. Thank you.

श्री चंदन चौहान (बिजनौर): महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकतंत्र की मूल भावना चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करने का समय दिया है।

महोदय, आजाद भारत में 25 अक्टूबर सन् 1951 में हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के अंदर श्याम शरण नेगी जी ने पहला मत देकर इस प्रक्रिया में सबसे पहले सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया था। वह दिन और आज का दिन है, चुनावी प्रक्रिया लगातार सुधार के प्रोसीजर के अंदर चलती आ रही है। वर्ष 2022 में 105 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। आज इस प्रक्रिया में सुधार करते हुए हमें लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। भारत जैसी विविधता, भारत जैसा जटिल देश, जहां 97 करोड़ मतदाता पार्टिसिपेट करते हों, हमारा सुझाव है कि हर चुनावी प्रक्रिया के बाद इस तरह की चुनावी चर्चा को हमें स्वीकार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उन चर्चाओं को अमल में लेकर आना चाहिए।

महोदय, हम भी पहले से देखते आये हैं, चाहे इधर वालों के ऊपर आरोप लगता हो कि बैलेट बॉक्स पूरे के पूरे अलग कर दिए जाते थे और आज यह विपक्ष पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह उठाने का काम करता है। हम सबका मानना एक ही है कि संस्थागत तंत्र में चुनाव सुधार करना, चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल रखने की जिम्मेदारी पक्ष, विपक्ष और प्रत्येक व्यक्ति की है।

महोदय, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारी पार्टी, हम सब चुनावी रिफॉर्म्स में, इलेक्शन रिफॉर्म्स में विश्वास रखते हैं और जहां कहा जाता है कि वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, शादी करने की उम्र भी 21 वर्ष है, वहीं क्यों न चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी जाए। हम सब बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्ष में हैं। आज भारतीय नागरिक, चाहे राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, वह मजबूती के साथ पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है और वह अपने वोट, अपने मत का आकलन सही रूप से करता है। हम इलेक्शन लड़ने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकें। भारत जैसा बड़ा देश, विश्व के दर्जनों देशों को मिलाकर उनसे भी बड़ी भारत की आबादी है, आज विश्व भी हमारी चुनावी प्रक्रिया पर बिल्कुल नजर रखने का काम करता है। निश्चित रूप से हम बहुत से लोकतांत्रिक देशों का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, इसलिए हमें मूल स्वभाव को, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और विश्व गुरु के साथ-साथ अगर वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत चाहते हैं तो ईसीआई और चुनावी प्रक्रिया के अंदर हमें बहुत से सुधार करने पड़ेंगे।

महोदय, इलेक्शन रिफॉर्म्स की प्रक्रिया आज भी जारी है। आज एसआईआर पर पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, इस सदन के अंदर चर्चा हो रही है, यह एक प्रोसीजर है, जिसे हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ इस पर प्रश्नचिन्ह न लगाकर प्रत्येक नागरिक को इस व्यवस्था में शामिल होना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी अपील करता हूं कि इस चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम सबको इसमें भागीदार होना चाहिए। वहीं एक देश एक चुनाव की आज बड़ी चर्चा देश में चल रही है। यह भी भविष्य में एक बड़ा सुधार लेकर आने का काम करेगा।

मान्यवर, मेरा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में सटीक मतदाता सूची हो, जो आज एसआईआर के जरिये पूर्ण की जा रही है। बेलगाम चुनावी खर्च पर भी रोक होनी चाहिए। आदर्श चरित्र के कैंडिडेट्स के साथ-साथ आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स को भी रोकना चाहिए और हम जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं, तो सोशल मीडिया भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर आए। यह भी एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आने का काम होगा। मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात का अंत कर रहा हूं। हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद इस लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा कर रहे हैं। यह देश की बड़ी संस्था ईसीआई की जिम्मेदारी है कि हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, उसको धरातल पर लेकर आएं, हम सब इसके पक्ष में हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I wish to place in this august House my views on behalf of the Communist Party of India in Election Reforms., I do not know whether the rulers of today would like to think on these lines through the experience gained and the lessons which were learnt over these years during the elections held in Independent India. Election have given us so many experiences. First reform is to bring proportional representation as per the vote percentage. This is truly a big reform to be done by those who really love and care democracy in the truest sense. Only then democracy will prevail. You should look at the voting percentage of the people at the national level. How many votes were given to each party? And based on that percentage, the number of MPs and MLAs should be decided for each party. This is an urgent need. But the rulers of the Day are not inclined to do so. This is not said just to blame you. As seen in close quarters the functioning of the ruling party and the Government, it is very much evident that there is no such idea or thought process in them. Where did you falter? Does this Government have the moral responsibility to lead the democratic system of governance? Why have you removed the Chief Justice of India from the three Member selection panel of the Election Commissioner? What was your intention? Hon Leader of Opposition asked you four questions. All are so meaningful. Those who are in power should answer. They have to provide answer to the people of this

country. There is mischief hidden in these four questions. If they reply with seriousness, it would be beneficial. They have made three arrangements. First thing is that they have postponed the 2011 Census. As announced by this Government, this will now be held in 2027. And the Census which was to be announced for 2031 will now be held during 2027. There is an intention to this. If you see the Chief Election Commissioner of the Election Commission, he would be in that post till the year 2029. They have made a foolproof arrangement that the present Election Commissioner will continue to be holding that post till 2029. How mischievous they are? Why did they do this arrangement? Will they answer to the general public on this issue? Because they do not have honesty. They are unfit for a democracy. This is the lesson the rulers have learnt from the RSS Organisation. What are you doing Sir?

This is called the mockery of democracy. You are curbing the voice of the Opposition in a vibrant democracy. You will be defeated if you do so. RSS has taught them not to accept democracy. I make an open challenge. Democracy is a foreign material and it is not anyway Indian by nature. This was the lesson taught by Golwalkar. Having taught by Golwalkar, these people occupied power by grabbing the democratic set-up using Constitution and Religion. Through this, they will destroy or dismantle the democratic set-ups by being in that Institutions. That?s why in all ways, they are intruding in Army, Judiciary and in all other Institutions. Indian is going through a tough and worst times. These are the forewarning signs.

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, जो भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देता है, एस.आई.आर. संविधान की इस धारा का घोर उल्लंघन है। अत: हमारी मांग है कि पूरे देश में एस.आई.आर. पर तत्काल रोक लगायी जाए और बिहार विधान सभा चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जांच कराने के लिए संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन शीघ्र किया जाए। मुझे लगता है कि देर से इस विषय पर चर्चा कराने के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि पूरे देश में ई.वी.एम. मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। इलेक्टोरल बॉण्ड्स पर रोक लगायी जाए और बजट के पैसे से चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जाए।

महोदय, देश में अभी चुनावी धाँधली की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह केन्द्र सरकार के एक मंत्री को शामिल करके की गयी। फिर चुनाव आयुक्त द्वारा चुनावी गड़बड़ी करने पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इसका कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें लोकतंत्र का संहार करने का हथियार दे दिया है। ?सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का? ? वे कुछ भी करें, उन पर केस नहीं होगा। मुकदमे के डर से मुक्त चुनाव आयोग और आयुक्त ने डंके की चोट पर बैंड-बाजे के साथ एस.आई.आर. के हथियार से ?

की।

माननीय सभापति : ? को एक्सपंज किया जाए।

श्री सुदामा प्रसाद : बिहार विधान सभा चुनाव में हर विधान सभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने वाले वोटर लिस्ट से 20,000 वोटर्स का नाम काटा गया। एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने के लिए 10,000 से ज्यादा फर्जी वोटर्स का नाम जोड़ा गया। एक-एक विधान सभा में 9,000 मतदाताओं को ?मृत? दिखाकर उनके नाम काटे गए। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये सरकार ने भेजे, 30,000 करोड़ रुपये भेजे। हर विधान सभा में 60,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये भेजे गए। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी चुनाव के दिन तक पैसे भेजे गए। एनडीए को सरकारी बजट के पैसे से ? तरीके से चुनाव लड़ाकर जिताया गया।? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सर, यह बिहार के लोगों का अपमान है।? (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : सरकारी बजट के धन और चुनाव आयोग के एस.आई.आर. के ? से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सरकार बनायी है।? (व्यवधान) एनडीए ने बिहार चुनाव में जीवीका दीदीयों को भय दिखाकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कैडर की तरह इस्तेमाल किया।

<u>15.00 hrs</u>

महोदय, काउंटिंग में 195 - अगियांव विधान सभा क्षेत्र से भाकपा (माले) के उम्मीदवार को बैलेट पेपर के 175 वोट्स कैंसिल करवा कर एनडीए उम्मीदवार को 95 वोट्स से जितवाया गया। 194 - संदेश विधान सभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार को उनके 360 बैलेट पेपर वोट्स को कैंसिल करके एनडीए उम्मीदवार को 27 वोट्स से जितवाया गया। इनके पक्ष में बैलेट पेपर वोट्स को रद्द करके इन क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवार को जिताया गया।

महोदय, चुनाव आयोग ने बिहार में 70 लाख मतदाताओं का नाम काटा। इसमें घुसपैठिए कितने मिले, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। नोटबंदी से भगदड़,

सीएए/एनआरसी से भगदड़, कोरोना काल के लॉकडाउन में भगदड़ और आज एसआईआर से पूरी तरह भगदड़ है। यह भगदड़ की सरकार चल रही है।? (व्यवधान)

महोदय, यह भगदड़ की सरकार है। भगदड़ की यह सरकार 11-12 सालों से चल रही है। भगदड़ में ही जेब कटती है। भगदड़ पर रोक लगनी चाहिए। ये लोग आम को इमली बता रहे हैं, रात को दिन बता रहे हैं, नरक को स्वर्ग बता रहे हैं। आज महंगाई और बेरोजगारी से देश कराह रहा है, लेकिन यह सरकार कह रही है कि देश सही तरह से चल रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, सरकार की ऐसी कार्रवाई के ऊपर रोक लगे। आप एसआईआर को रद्द करवाइए। धन्यवाद।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति जी, यह एक महत्वपूर्ण बात है। माननीय सदस्य ने कहा कि 30 हजार वोट काट दिया गया और 10 हजार जोड़ दिया गया। इसे माननीय सदस्य को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, क्योंकि यह डेटा गलत है।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Hon. Chairperson Sir, I rise to participate in this important discussion on electoral reforms ? a subject that forms the backbone of our democratic system. I extend my sincere appreciation of the Government for prioritising this national issue under the visionary leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Our existing election system is admired across the world for its scale, fairness, accountability, and efficiency. The Electronic Voting Machine has protected elections from many historical issues like booth capturing, invalid votes, and delayed counting. Many doubts raised against EVMs are politically motivated rather than fact-based. To justify this, I would present an example which is connected to 2023 General Elections to Karnataka Legislative Assembly. In Malur Assembly segment, which comes under my Lok Sabha Constituency, Kolar, the election result was announced in favour of the INC candidate. It was challenged by the BJP contestant. In this case, the hon. Supreme Court had directed the Election Commission to re-count the polled votes. The re-counting of votes was carried out on 11th of November, 2025, after a period of two and half years. The result even in the re-counting of votes did not alter in comparison to

previous result. This clearly shows the reliability in use of EVMs and their prominence in elections.

Hon. Chairperson Sir, today in the morning, Shri K.C. Venugopal ji was talking about electoral malpractices. I would like to bring to your kind notice that in Karnataka, where co-operative elections are being held in all the districts in a phased manner, where Directors are also voters, they are being disqualified a day prior to voting without any valid reasons. ? (*Interruptions*) Shri Venugopal ji, your Government in Karnataka is following these kind of unethical practices to gain the mandate. ? (*Interruptions*) When will the Congress get adapted to transparency, reliability and accountability to sustain the sanctity of elections?

Even though there are many objections made by the opposition parties to the existing practice, demanding and defending the conventional method to be re-adopted by using paper ballot, I think, if this conventional method is re-introduced, there will be recurrence of problems/issues in the election process. My Party Janata Dal (Secular), under the leadership of our tall leader Shri H.D. Devegowda ji and hon. Minister Shri H.D. Kumaraswamy ji, has full faith in the Government?s electoral system and fully supports the Government, under the dynamic and trustworthy leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and hon. Home Minister, in modernising and strengthening our election system for the benefit of every citizen.

I personally recommend the ECI to implement the iris scan for actual identification of a true voter and safeguard the proverb ?My Vote, My Pride? for the younger generations.Thank you. Jai Hind.

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY (TAMLUK): Honourable Chairperson Sir. Thank you for allowing me to speak. I listened carefully to all the opposition party's statements, and I noted that the role of the Chief Election Commissioner became the main focus of their speech. Why they are so angry with this Chief Election Commissioner, no one has been able to explain. What did this Chief Election Commissioner do? Can anyone enlighten me about what he did? What exactly has he done or did he commit some misconduct? I listened carefully to the opposition leader's speech. After all, he is the opposition leader, and the face of nepotism.

Because of this stature, we should listen carefully. I also listened to him. He also spoke extensively about this Election Commission, but he did not mention one fundamental point, that the Election Commission consists of 3 members, not one. None of them have been able to demonstrate till now?today possibly being the third day of this discussion?whether the Chief Election Commissioner has any additional powers with which he can override the other two. Can any of you show such a provision?

Many people are repeatedly shouting and making allegations against the Chief Election Commissioner; they are claiming that provisions have been changed, but where is your substantive material? Will you just throw accusations into the air while standing in Parliament? It is better to do that in a tea shop. Did you win in Bihar? You did not win in Bihar. You lost your reputation there and you are still nursing those wounds.

I heard both the siblings speak; as if dragging arguments from space to the ants, they claimed that all the credit for the development should go to the electoral system. They said that CSIR was created at that time and their predecessor did it. AIIMS was created around the time, and many other institutions were also established by their predecessor. Did these things happen because there was an electoral system in place?

The day when Acharya Jagadish Chandra Bose discovered the life of a plant at the Bose Science Temple during the British period, the day when he demonstrated the radio wave experiment at Baker Hall of Presidency College, was there a voting system then? Rahul Gandhiji, let's take the example of the country of your kin; you must have heard of the Venice Film Festival. I hope you have heard of it? When did the Venice Film Festival start? It started in 1932, when the fascist Mussolini was in power. A world-famous initiative was undertaken during Mussolini's time. Was there suffrage or multiparty democracy then?

Let me give you another example. During Hitler's regime, the finest synthetic rubber was discovered at the Kaiser Wilhelm II Institute. Was there multiparty democracy at that time? Do not try to link everything with voting. You are making baseless allegations. On top of that you say that all this happened because of the voting system. You cannot provide any evidence for this, whereas there is more than one piece of information to the contrary in front of everyone's

eyes. I have given examples from India, Germany, and Italy. I can give more examples. But there are other issues.

The Chief Minister of West Bengal said, she will not allow SIR. I saw how much she was able to stop us. 99% of the work of SIR was completed yesterday. The rest may be completed today. What power does she have that she was announcing that she would not let SIR happen? Why are they criticising SIR? Nishikant Dubey-ji has explained it beautifully in his speech. He said that these people have let as many Muslims from Bangladesh encroach our borders, and I will add another point to that. In the 432 km area, they did not provide land where barbed wire could be installed. You have brought in Bangladeshi people one after another; here you have printed fake voter cards, aadhar cards, ration cards, etc. You have tried to prove them as citizens by printing these documents.

Chairperson Sir, I am addressing you. Many of them have fled from a place called Saratnagar, from where they came. They are still fleeing. Until yesterday, the number of forms not returned had reached about 60 Lakh. Today it will increase even more. You have done such a thing that 418 polling stations can actually be called Amrit Polling Stations, where once people are born, they will never die. IAS Officer Gyanesh Kumar or the Election Commission sent a team there, and the numbers kept decreasing step by step; that number decreased to two.

Whose area had the most number of such polling stations? That person won with a difference of 7.5 lakh votes and came to this Parliament House. We are waiting to see what will emerge from the investigation, because the case is going on in the High Court. That gentleman's name is Abhishek Banerjee. How long are you going to act as the sycophant of these thieves? Sit quietly. Most of his polling centres are in Falta, which is in the Diamond Harbour area, if you see it as a Lok Sabha constituency.

Yesterday, some people attacked the house of a BLO because he did the right thing. The Election Commission office has been surrounded. An organisation called the Block Level Officers? Organisation has been created in order to deceive people. A group of party cadres

have been sent to the Election Commission office in the guise of Block Level Officers. If I am wrong, then you can prove it and continue shouting.

Those who died have passed away because of their own fault. No one died because of SIR. You issued a suicide note which was written by one such person, but later it was found that the gentleman didn't know how to write. In this way you made an attempt to curtail SIR. But the result is evident.

Yesterday you forced the Election Commission lawyer to say in the Supreme Court that they can take the help of the central forces to complete the remaining work. There is still some work left. We can get the requisition from the police to do that. Wait a minute. You tremble with fear after hearing the names of our current Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah.

In this situation, SIR is going on in West Bengal. I will appeal here that the Election Commission should deploy the central forces in West Bengal at this moment; otherwise, the remaining work will not be completed.

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की बातों से संबद्ध करके कहना चाहता हूं। मैं केवल उधार की मांग के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी लेकर खड़ा हूं। हमारा लोकतंत्र जो नागरिक के वोट की ताकत पर टिका है, उसे चुपचाप, सुनियोजित और खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने वर्ष 1998 में यह साफ चेताया था कि धन-बल चुनाव को दूषित कर रहा है और लोकतंत्र की जड़े हिला रहा है। आज यह चेतावनी सच्चे संकट के रूप में खड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। यह कटु सत्य है। तेलंगाना में वर्ष 2018 में 28 लाख मतदाताओं के नाम अचानक गायब हो गए। बेंगलुरु में वर्ष 2022-23 में 44 लाख लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरु की गयी। केवल इसलिए कि लोगों के पास बाप-दादा के कागज या पुराने रिहायशी प्रमाण-पत्र नहीं थे। यह मतदाता अधिकार नहीं, नागरिकता की दुबारा परीक्षा है। दलित हो, मजदूर हो, प्रवासी हो, ट्रांसजेंडर हो, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें वोट देने के अधिकार से धीरे-धीरे बाहर किया जा रहा है। यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, यह स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज प्रश्न चिह्न है।

टी.एस. कृष्णमूर्ति जी, एस.वाई कुरैशी जी और लवासा साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आयोग की निष्पक्षता और कठोरता में कमी आयी है। मैं ठोस उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मई 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कथनों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ और कुछ भी सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चला।

बिहार चुनाव में वर्ष 2020 और 2024 में घुसपैठिये जैसे बयान पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि आचार-संहिता में ऐसे शब्दों में साफ रोक है। सर्वोच्च पदों पर शिकायत हो और आयोग चुप रहे। इससे निष्पक्षता सिर्फ कम नहीं होती, इससे निष्पक्षता धंस जाती है। धन-बल खुला है, बेखौफ और चुनावी हिंसा जैसा। नये काली कमायी के रिकॉर्ड बनाये जा रहे है। तेलंगाना में वर्ष 2023 में 1707 करोड़ रुपए पकड़े गए। कर्नाटक में वर्ष 2023 में 357 करोड़ रुपए पकड़े गए। तमिलनाडु में वर्ष 2021 में 600 करोड़ रुपए पकड़े गए। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2024 में 2 हजार करोड़ रुपए पकड़े गए। यह सिर्फ पकड़ी गयी रकम है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो नहीं पकड़ा गया, वह कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र विवेक से नहीं, वितरण से चल रहा है। इसलिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने जो कहा था कि चुनाव खर्च की व्यवस्था राज्य के द्वारा करायी जाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन्स हो, हम इसकी मांग करते हैं ताकि काला धन समाप्त हो सके। 27 साल हो गए, लेकिन शून्य लागूकरण है। धन-बल और मजबूत हो गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए है, छिपाने के लिए नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग रूम और गिनती केन्द्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं तो वहां की फुटेज को दिखाया क्यों नहीं जाता है? उम्मीदवारों को नियंत्रित एक्सेस क्यों नहीं है? वर्ष 2019 के महाराष्ट्र के चुनावों के फुटेज को दिखाने में हिचकिचाहट क्यों है? पंजाब में वर्ष 2022 में 72 घंटे तक जवाब नहीं मिला। अब कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड रह गया है। जनता को नतीजे देखने का अधिकार है। सुरक्षा की पुष्टि का अधिकार क्यों नहीं है?

अधिष्ठाता महोदय, अनुच्छेद 324 और ब्लैक बॉक्स आयोग, चुनाव आयोग का मतलब निष्पक्ष आयोग है, लेकिन यह ब्लैक बॉक्स आयोग बनकर रह गया है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को पूरे अधिकार और भरोसा दिया गया, लेकिन लवासा जी की असहमति वाली टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं किया गया। शीर्ष नेताओं पर कार्यवाही का स्पष्टीकरण नहीं आया। शिकायतें चयनात्मक रूप से उठतीं और दबीं रहती हैं। निष्पक्षता अदृश्य हो जाए तो लोकतंत्र अंधकार में चला जाता है।

मैं अंत में बस यह कहना चाहूंगा कि इंद्रजीत गुप्ता जी ने भविष्य नहीं हमारा आज लिखा था। यदि मतदाता को अपनी अंगुली पर लगी स्याही पर गर्व करने का भरोसा खो जाए तो वह केवल चुनाव प्रक्रिया रह जाती है, लोकतंत्र नहीं। मैं सिर्फ यह मांग करता हूं कि एसआईआर की वर्तमान हटाने वाली प्रक्रिया को रोका जाए। बूथवार हटाए गए नामों की कारण सहित सूची जारी की जाए। सीसीटीवी फुटेज को देखने का अधिकार मिले। मतदाता सूची पठनीय रूप में जारी हो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधान मंत्री से लेकर बूथ के कार्यकार्ता को अधिकार मिले, क्योंकि

अगर कमजोर का वोट सुरक्षित नहीं है तो सत्ता की वैधता भी सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र को केवल चुनाव ही नहीं, विश्वास भी चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the subject ? Election Reforms, in particular the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls.

Sir, on behalf of my party, RSP, I register my strong opposition to the manner in which the electoral reforms or the SIR of the electoral rolls is being carried out across the country. SIR was meant to be a routine, transparent and citizen-friendly exercise. It has turned into a chaotic, arbitrary process that threatens both the integrity of the electoral rolls and the safety of those forced to undertake that work. The real intent and purpose of the current SIR raises serious concerns. Both the voters and BLOs are put to untold hardship, suffering, and difficulty due to the undue hasty steps taken by the Election Commission. Even the integrity and credibility of the Election Commission is under grave suspicion.

Sir, I would like to remind this House that the first and the foremost important function of the Election Commission is to conduct free, fair and fear-free election, preserving the ethos of the democratic fabric of our country. The basic foundation of the ethos of the democracy is the individual voter. In such a democratic exercise, even one misplaced vote or one duplicate vote or one lost vote adversely affects the basic roots of our democratic fabric.

Sir, the present SIR of electoral rolls is resulting in disenfranchisement of a large number of people, in particular the poor, downtrodden, and marginalised sections of the society, that too in particular the minorities as well as the *dalit* communities.

I would like to highlight two points. The first one is regarding the moral accountability of the Election Commission. The moral accountability of every single entry in the electoral roll lies with the Election Commission of India.

But, today that accountability is in question. Sir, when the Leader of the Opposition, Shri Rahul Gandhi ji asked legitimate questions regarding the electoral process by the Election Commission, what was the reply of the Election Commission? It is the responsibility of the

Election Commission to answer all the queries made by the Leader of the Opposition. That is the responsibility of the Election Commission. That has to be answered with full transparency and accuracy. Instead of that, what has the Election Commission done? Instead of answering the questions raised by the Leader of the Opposition, Election Commission said that ?you have to give that in writing so that we will investigate into the matter?. That was the response of the Election Commission. It means they are not even respecting the democratic fabric and the democratic ethos of our country. That is the attitude and approach of the Election Commission.

Sir, the Leader of the Opposition is representing not only the Opposition, but also the millions of citizens who believe in the true spirit of democracy. In such a situation, that has to be heard definitely and that has to be answered by the Election Commission. Unfortunately, their attitude was totally negative.

Sir, I am coming to the second point which is regarding the legal accountability. Article 324 of the Constitution gives ample power to the Election Commission, there is no doubt about it. At the same time, I would like to say that under Article 327, the Parliament is empowered to make laws. By virtue of Article 327 of the Constitution, we have made two Acts, Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951. You may kindly see that the RP Act, 1950 deals with the preparation of the electoral rolls and the revision thereof and the RP Act, 1951 deals with the entire process of the election, and rules are also framed. Yesterday, the hon. Law Minister, Shri Arjun Ram Meghwal ji was speaking about Section 21 of the RP Act. Section 21 of the RP Act, 1950 is very specific about the preparation and the revision of the electoral rolls. Section 21(2) speaks about the summary revision. Section 21(3) speaks about the Special Intensive Revision. Rule 25 of the Registration of Electors Rules, 1960 also speak about the revision of rolls. Sir, if you closely examine and scrutinise the above said provisions of the Constitution, the Act, and the rules framed there, it is crystal clear that it is mandatory to conduct the summary revision before every election. Summary revision has to be done before every election. But, the intensive revision is optional. I do agree that the Election Commission can fix the schedule any time. But, at the same time, if you go through all these provisions and the rules. The Act is specific and envisages that the intensive revision has

to be done when the election is not due. That is the letter and spirit of the provisions of the Constitution as well as the RP Act and the rules framed there under.

Sir, coming to that point, what is the Election Commission doing now in Bihar, Kerala, West Bengal and Tamil Nadu? This intensive revision is being done when the election is due. It is not proper. It is against the letter and spirit of the RP Act which was passed by the Parliament and the rules framed thereunder. I would like to say that the action and the approach of the Election Commission is not fair and legal. They are doing a wrong thing. Intensive revision is okay, but it should not be done at the time of the election. It should not be done at the time of the general election, that is the point.

Sir, my last point is regarding the powers of the Election Commission. It is a misconception that the Constitution has provided unfettered authority and powers to the Election Commission. The Election Commission does not have any extraordinary authority. If you see that, they can exercise powers only when there are no statutory laws. Sir, I would like to cite two cases. The first is Mohinder Singh Gill *versus* Chief Election Commissioner and the second is A.C. Jose *versus* Sivan Pillai. The Supreme Court has very specifically stated that the Election Commission has plenary powers, but they can exercise it only when there is no specific law to occupy it. The Election Commission has to abide by the principles of natural justice. The Election Commission is an administrative body which deserves the executive functions, but to be governed by the laws. Further, the Election Commission is listing the documents to prove the citizenship, which is wrong. The Election Commission has no power to do so. The Election Commission is not a part of the Government. I will conclude within two minutes. Sir, the Citizenship Act is being governed by the Ministry of Home Affairs. It is absolutely the right of the Home Ministry to say what is the list of documents to be produced so as to establish citizenship. It is absolutely the domain of the Home Ministry. The Home Ministry has to say that these are the documents by which you have to prove your citizenship. It is not the Election Commission. The Election Commission has no authority to describe or to determine the proof of documents so as to prove the citizenship. My question to the Election Commission through this House is this. Why is the Election Commission not using Duplicate

Voter Detection Software, a tool specifically created to ensure accuracy? My second question is this. Why is there so much of undue haste in conducting SIR?

All of this shows that SIR electoral roll is lacking *bona fide* purpose and the Election Commission seems to be having a partisan approach. The Election Commission is acting as a department of the Government. So, I demand the Election Commission to immediately halt this flawed process and stop the disenfranchisement of a large number of poor people from the electoral roll.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : धन्यवाद सभापति जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि एसआईआर हुआ क्यों? यह कंप्लीट कंफ्यूजिंग और डेंजरस था। इन्होंने कहा कि एसआईआर की छह महीने पहले वोटर लिस्ट बनी थी, फिर छह महीने के बाद यह निर्णय लिया गया कि एक नयी वोटर लिस्ट बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि घुसपैठिए हैं, नेपाली हैं, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं और श्रीलंका के लोग हैं। एसआईआर में 69 लाख वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधान सभा में 69 हजार वोट कटे। बिहार में 172 सीटों पर 19 हजार से लेकर 69 हजार लोगों के वोट कटे। यह जो लगभग 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99 प्रतिशत दलित हैं, ईबीसी हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितने लोग बिहार से बाहर थे, उनका किस आधार पर नाम कटा? उसका तकनीकी कारण क्या था? आपने आधार का लिंक न होना मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी, उसको भी आपने मान लिया। बीएलओ और इनके पार्टी के पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर इन्होंने लोक सभा चुनाव 2024 का मापदंड तय किया कि यह किस विधान सभा सीट में कितने से हारे, उसी आधार पर बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। इनको पूरे बिहार में दो वोट भी नहीं मिले, जो न तो रोहिंग्या थे और न ही घुसपैठिए थे। इन्होंने एक समाज और समुदाय को घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दीं और इतनी नफरत पैदा की कि बायफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर की और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको एसआईआर से कोई मतलब नहीं था। एसआईआर मात्र छह महीने पहले हुआ था।

सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4 प्रतिशत बूथों पर बैलेट पेपर में हमसे कम वोट मिले हैं। मतलब इनको बैलेट पेपर में वोट मिले ही नहीं। किसी सीट पर बैलेट पेपर में 102, 60, 70 इतने ही वोट मिले। हम बैलेट पेपर पर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। एक सबसे बड़ी चीज यह है कि जो लोग बाहर थे, उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा? पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज में 40 प्रतिशत परिवारों के नाम इन्होंने काट दिए, उसमें एक भी नाम नहीं है। कुछ जगहों पर मर्दों के नाम रहने दिए और महिलाओं के नाम काट दिए और कुछ जगहों पर महिलाओं के नाम रहने दिए और मर्दों के नाम काट दिए। कुछ जगहों पर इन्होंने दो पंचायत की वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर जोड़ दिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनके

वोट कहां मिले और वोट कहां गए? जब हम बूथ पर गए, तो हमें कह रहे हैं कि आपका वोट दूसरी पंचायत में है, अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए, तो कहते हैं कि लेडीज का वोट नहीं है, हम बूथ पर गए, तो कहते हैं कि आपका वोट पड़ गया। यह जो एसआईआर हुआ है, इसका आधार क्या है? यह क्यों किया गया? इसकी जरूरत क्या थी? आपने यह भी कहीं पर नहीं बताया कि हमने 69 लाख लोगों को किन कारणों से वोटर लिस्ट से हटाया और ये लोग कौन हैं? आपने नाम नहीं दिए, आपसे दस्तावेज मांगे, वे आपने नहीं दिए। आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, वह नहीं दिया। हमारे लोगों ने एप्लीकेशन दी, वह आपने नहीं ली। हम नाम जुड़वाने के लिए गए, लेकिन वे नहीं जोड़े गए। आपने मात्र 8.2 प्रतिशत दलित, आदिवासियों के नाम जोड़े। ? (व्यवधान) उसके बाद जनरल वोट डाले गए। चुनाव आया, तो वे पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए। आपने वही वोट जोड़े, जो वोट इनके थे। हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए।

दूसरा, जब भी चुनाव आयोग मनोनीत हो, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज जरूर रहें। ? (व्यवधान) सीसीटीवी फुटेज को हर कीमत पर परिचालित किया जाए।? (व्यवधान) क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक आदिवासियों के वोट ये लोग हटाना चाहते हैं? क्या कारण है कि वन नेशन, वन इलेक्शन करना चाहते हैं? ये लोग दलित विरोधी हैं ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, आप अपना भाषण शुरू करिए।

? (व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. ? (*Interruptions*)

Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : केवल हरसिमरत कौर बादल जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

? (व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, free and fair elections depend not only on good laws, but equally important is the free and fair implementation of those laws, which ensures a strong and impartial electoral system. For that, the most important thing is to have an impartial, independent, and unshackled Election Commission, which is neither a caged parrot nor a mute

puppet of the ruling party. Unfortunately, in the last 75 years, various Governments at the Centre and the State have taken many steps to weaken this electoral system, but I cannot think of a single step that has been taken to strengthen it.

Sir, today, I would specially like to bring this to the notice of this House. आज हमारा इलेक्टोरल सिस्टम फेल हो गया है। हमने वोट चोरी के बारे में सुना है। ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, लोकल बॉडीज़ में गड़बड़ होती है। स्टेट का जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है, he is a puppet in the hands of the ruling Government. कागज फाड़ दो, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, किडनैप कर दो, यह सारा कुछ छोटी इलेक्शन्स में चलता है। इलेक्शन सिस्टम में फ्रॉम बॉटम टू टॉप जब तक आप सफाई नहीं करेंगे, the whole election procedure is a farce. We are calling ourselves a democracy but in reality, there is no democratic system which is free and fair in this country anymore.

Sir, the unfortunate part is this. आज तो डेमोक्रैटिक सिस्टम का यह हाल हो गया है, I come from the State of Punjab where a democratically elected Government has been hijacked by the Aam Aadmi Party?s corrupt ex-Chief Minister, ... #who is out on bail. वोट चोरी तो छोटी बात है, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है। Today, Punjab is being ruled by ... as the super CM. Our Chief Minister is a Chief Minister, and his Cabinet is a Cabinet. is controlling the Chief Minister. He is signing all the files and handling all the transfers. He is sitting in the CM house. He is using our plane, our resources, and spending all our money. वहां पर शीश महल बना रहे हैं। सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। जो थ्री-फोर्थ इलेक्टेड सरकार बनी थी, उसमें सीएम और कैबिनेट रह गई है। डेमोक्रैसी की इससे और ज्यादा धज्जियां क्या उड़ाई जा सकती हैं? उनके डिप्टी, जो जेल काटकर आए हैं, पंजाब जाकर कहते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद जो करना है, झूठ-सच जो करना है, सब करो, लेकिन इलेक्शन जीतना है। इसका सबूत आप देख लीजिए। ऑनगोइंग जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शन्स हो रही हैं, उसमें उनका वीडियो वायरल हुआ। उनका एसएसपी सारे जिले की पुलिस को कह रहा है कि आपको जो करना है, करो। किडनैप करो, कागज फाड़ो, घर पर पकड़ो, लेकिन अपोनेन्ट्स को आप पेपर फाइल मत करने दो। पुलिस यह करने लगी है। Sir, I would just like to tell you what the result of this *saam, daam, dand, bhed.*You can see mass rejection of nominations happening in various Block Committees and the District Parishads of the State. In Majitha Block, 21 out of 23 opponents got rejected. In Raja Sansi, 25 out of 35 were rejected. In Taran Taran, 32 out of 32 were rejected. In Boha, no Akali leader was allowed to file nomination. In Gurdaspur, 20 out of 21 were rejected. In Zira and Ferozpur, not a single Akali

worker was allowed to file his nomination. In Bhikiwind, 77 out of 100 were rejected. ....*(Interruptions)*

सर, क्या मॉस स्केल पर रिजेक्शन डेमोक्रेसी है? These unopposed elections are going on with the help of police. मैं कहना चाहती हूं कि छोटे लैवल पर तरनतारन की असैम्बली बाए-इलैक्शन हुए हैं ।? (व्यवधान) The Election Commission should not transfer but suspend the SSP, the DSP and the SHO. दहशत इलैक्शन के बाद भी ओपोनेन्ट्स के लोगों को उठा रहे हैं ।

I would like to give a few suggestions only. If we want to clean up the electoral system, and if we have to call ourselves a democracy, let us do a clean-up today. अगर आज बोलकर बात वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, तो कोई फायदा नहीं है ।

First of all, my suggestion is that there should be an independent Election Commission, a system which used to be earlier. Prime Minister, Chief Justice of India and the Leader of Opposition, रबड़ स्टैम्प वाले का कोई फायदा नहीं है ।

Similarly, in the State elections, there should be outside observers or election officers, and not a puppet of them.

The other suggestion, which Mr. Prakash Singh Badal used to give, is to make the manifesto a legal document. आज गलत बोलती हैं सारी पार्टीज़ । ? (व्यवधान) आम आदमी पार्टी कहती है कि एक हजार रुपये औरतों को देंगे, सारी फसलों का एमएमपी देंगे और कभी कांग्रेस कहती है कि घर-घर नौकरी देंगे । ? (व्यवधान) कभी किसानों के कर्जे के बारे में कहते हैं । असत्य बोलकर सत्ता में आते हैं और फिर स्टेट एक्सचेकर को लूट-लूटकर पैसे कमाकर चले जाते हैं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

....(Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, there are only two-three very important points. ....*(Interruptions)* We should debar those parties which lie. इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाइए । नॉमिनेशन्स के लिए डिजिटल ऑनलाइन फाइलिंग कीजिए ताकि मनगढ़ंत कोई न कर सके । ? (व्यवधान) Criminal cases should be registered against those returning officers who do like this. I would also request the Government to bring in anti-defection law so that whoever defects should

immediately get disqualified. *....(Interruptions).* Then, there should be full transparency in the whole election process. *....(Interruptions)*

Sir, I want to make my last point and conclude. आपने वोट चोरी सुना, मैंने आपको बताया कि हमारी तो सारी सरकार चोरी हो गई। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

Now, Shri Asaduddin Owaisi.

? (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: परसों कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि कांग्रेस में अब तो मुख्य मंत्री की कुर्सी की भी चोरी होती है।? (व्यवधान) यह बहुत जरूरी प्वांइट है। ? (व्यवधान) कांग्रेस में 500 करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की चोरी हो रही है। ? (व्यवधान) यह कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा है।? (व्यवधान) चोरी मुख्यमंत्री की, सरकार की, पंचायत की, ग्राम सभा की, एमएलए की हो रही है। ? (व्यवधान) डेमोक्रेसी में बॉटम से टॉप तक क्लीनअप करने की जरूरत है। धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this very important issue. At the outset, I would like to point out that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by the Parliament. It is contrary to the judgment of the Supreme Court, the three-judge judgment of Lal Babu Hussein. It is a *mala fide* exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion.

The Election Commission of India cannot be above the Supreme Court and the Parliament of India. May I point out to you that the Representation of the People Act, 1950 and the Registration of Elector Rules, 1960 prescribe that inclusion in the electoral role will be based on self-declaration of citizenship backed by one of the six documents already prescribed in Form-6 under the Registration of Elector Rules of 1960 including Aadhaar. Now, this is an Act which was passed in Parliament.

The Supreme Court, in its Lal Babu Hussein judgment, held that once a voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens, and they cannot be removed except after an inquiry into the citizenship of the individual voter and after giving them

an opportunity of being heard, including informing them of the basis on which doubt arose concerning their citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representation of the People Act, 1950, the Registration of Electors Rules, 1960, passed by this House, and the judgment of the Supreme Court in the Lal Babu Hussein case. The Special Intensive Revision has turned this entire issue on its head and has put the onus on the voters. Voters, who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily being fixed as the baseline on which revision is being conducted.

Sir, ECI is not a body empowered to go into the question of citizenship. A power lies with the Ministry of Home Affairs, Government of India and Foreigners Tribunals created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of the Citizenship Act, 1950, read with 2003 NRC Rules, Section 4, and sub-sections 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by the Central Government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency by Parliament just by passing an executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included whose names were included in the electoral roll after the commencement of the SIR exercise, who were omitted from the draft roll published on August 1, 2025. After that, several lakh voters whose names were included in the draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. Sir, on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arise? Form 6 rule has been passed by this august House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House.

Sir, eventually 3.66 lakh such persons were deleted from the electoral roll with no order made available in the public domain giving the reason for deletion. Sir, under the SIR order, these persons are to be referred to authorities or tribunals dealing with illegal foreign immigration.

Now, Sir, look at this. The Government is supporting the ECI. When these 3.66 lakh such persons were deleted, the Government immediately - the draft list was published on 30th August and final list on 30th September - came out with the new Immigration and Foreigners Act, 2025 which was notified. The Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025 was simultaneously promulgated on the same day. Under this Order, no action under Foreigners Act will be taken against illegal entry, presence for the citizens of Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lankan Tamils in addition to the persons other than Muslims belonging to Afghanistan, Pakistan and Bangladesh.

Sir, when Supreme Court is seized of the petition of CAA, the Government issued a Foreigners Exemption Order. Why? It is because they realised that in this 3.66 lakh, there can be people more than the non-Muslims also, so as to protect them. You have done it and then after five years under CAA, you will give them citizenship. That is why, I say that this whole exercise is a backdoor NRC.

Sir, when Ambedkar was asked, is India a democracy? He said, only in formal sense. To be democracy in the first substantial sense, political power must be held by the most marginalised and the weakest. He repeatedly said that ?political power is the key to social progress?. You have only four per cent Muslims over here. The ruling party has no Muslim Member. If the Lok Sabha increases the representation of OBCs, and the upper caste is there, now it is at the cost of whom? Muslims are not there. They have not been reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Raebareli, Amethi, Etawah can elect Muslims.

Coming to the electors, we have only become electors and we are not getting elected. Sir, give me two minutes.

Now, coming to these whole donations. BJP got 88 per cent of donations, nearly Rs. 2,243 crore. So, ?We, the people? is now represented by ?We, the private limited.? I would request the ruling party to consider adopting a Mixed Member Parliamentary System like Germany. Each voter has two votes, one for their MP and the other for a political party. A tally

is done. First, all local winners get seats and the rest of seats are filled so that overall number of seats each party has roughly matches percentage.

Secondly, regarding delimitation, do not do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP treats delimitation as another game that it has to win, then the loser is going to be the other political parties. But the loser will be country's democracy.

Sir, regarding right to vote, Ambedkar called it a principal theory of the Constitution. I would demand and I have put a Private Members? Bill in the last assembly. The age of contesting elections for legislative assemblies and Lok Sabha should be brought down to 20, Rajya Sabha - 25, for Vidhan Sabha - 22. Why? It is because we have 52 per cent of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So, that is why I proposed that. Lastly, I am concluding. I am just concluding.

Lastly, we must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is an exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion.

Thank you, Sir.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर, 1930 को बाबासाहेब अंबेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कांफ्रेंस (फ्रेंचाइज) की उप समिति में अपनी बात रखते हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है, जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो, जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलग मंत्र, अलग तंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। यह चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि दुनिया की अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला था।

ब्रिटेन ने सन् 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। अमेरिका ने सन् 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित किया था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी न हो, जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में सन् 1893 में महिलाओं को मतदान का

अधिकार मिला था और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है।

सन् 1919 की चैम्सफोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 तक मताधिकार को संपत्ति, आय और शिक्षा जैसी उपनिवेशक योग्यताओं से बांधा गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 17 मई, 1929 की एक रिपोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कृपा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को शामिल करवाया है। यह उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी।

सभापति जी, राउंड टेबल कांफ्रेंस में पांच करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके सिर्फ दो प्रतिनिधि थे - डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन। अधिकांश राजनेता निर्वाचन की जो पुरानी व्यवस्था थी, उससे सहमत थे। जिसमें 80,00,000 लोगों को वोटिंग का राइट था और वे संपन्न सवर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज देश में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है, वह डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी की देन है और मान्यवर कांशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया है।

माननीय सभापति जी, जब एसआईआर मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, गरीब, घुमंतू जातियों, आदिवासियों और दलितों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकतर नागरिकों के पास उपलब्ध है, उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे अन्याय बताया था और कहा था कि व्यक्ति जितना गरीब होगा, उसके मताधिकार को देना उतना ही आवश्यक होगा। उन्होंने कहा था कि ?political power is the master key by which you can open all doors of your progress?.

भारत की फ्रेंचाइजी फ्रांस समिति ने सन् 1932 में कहा था कि साक्षरता, बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। ज्योतिबा फुले जी ने सन् 1882 में हंटर कमीशन में कहा था कि यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं हैं, तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पैरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा था कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हैं, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनका तो यह भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य है। यह मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामचुंग वर्मा जी ने कहा था कि वोट केवल राजनीति प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा

दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती हैं कि जो सन् 1928 और 1932 में भारतीयविदों ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का आधार नहीं हो सकती हैं।

एसआईआर के संबंध में विवाहित महिला मतदाताओं और बीएलओज़ की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्षों तक अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है और उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से लीगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों के बाद भी पति के पते और पति के मतदाता पहचान पत्र को स्थायी नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा भी है। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओज़ कार्य कर रहे हैं। अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कई बीएलओज़ ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या भी की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया है, जो बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। बिना प्रशिक्षण के बीएलओज़ से एसआईआर जैसा जटिल कार्य कराना पूर्णतया अव्यावहारिक है।

माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने सन् 1950 में वह साहस दिखाया था, जो विकसित देश भी बाद में कर पाए थे। भारत आरंभ से ही सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है, लेकिन आज यदि एसआईआर जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार को कठिन बनाती है, क्योंकि एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा।

सभापति जी, आज चुनाव सुधार की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि बीएलओज़ की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा व यथार्थ समय-सीमा सुनिश्चित की जाए एवं उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा जिन बीएलओज़ की मौत हो गई है, उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए। ? (व्यवधान)

सभापति जी, मुझे बस एक मिनट और चाहिए। मेरी दो-तीन मांगें हैं, मैं उनको पढ़ना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात को 10 सेकेंड्स में कंप्लीट कीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना लास्ट सेंटेंस बोलिए।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सभापति जी, मेरी मांग है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हों और वीवीपैट का ईवीएम से मिलान काराया जाए। ? (व्यवधान) चुनाव सात-सात फेजेज़ में होते हैं। अगर मतदाता एक दिन और इंतजार कर ले, तो क्या चला जाएगा? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजीव प्रताप रूडी जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, मेरा माइक बंद हो गया है। मुझे आखिरी लाइन के लिए 30 सेकेंड्स दे दीजिए। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : रूडी जी, आपका समय शुरू हो गया है।

? (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सभापति जी, आप ही सुन लीजिए। बाबासाहेब अंबेडकर के चार-चार बच्चों की कुर्बानी से जो वोटिंग राइट मिला है, उसकी वजह से बड़े-बड़े महलों वाले बड़े-बड़े नेता गरीबों की गलियों तक आते हैं।? (व्यवधान) इन गलियों में उनके दरवाजें नहीं खुलते हैं। वहां रास्ते नहीं हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

? (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, ये वोटिंग राइट हम जाने नहीं देंगे। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन को बता रहा हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। माननीय सदस्य, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी है। मैं सभी की बातें सुन रहा हूं। आज जब मैं खड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे मित्रों ने इस 40 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैं ही नहीं, मेरे कई सारे मित्र और हम सबको मौका प्राप्त हुआ है। मुझे निर्वाचन अधिकारी के सामने निर्वाचन पत्र देकर शपथ लेने का 14 बार का अनुभव है। अगर इसकी यात्रा देखी जाए, जिसमें 5 साल छात्र राजनीति के भी जोड़े जाएं, तो यह 40 वर्षों की यात्रा है।

आज एसआईआर पर बहस हो रही है। मेरी उंगली पर अभी भी वह निशान लगा है, जो आज से एक महीने पहले का है, जब हम गांव में थे। जो काला निशान मेरी उंगली पर है, उसे चुनौती दी जा रही है। यह चुनौती सिर्फ हमें नहीं दी जा रही है। मेरे घर में तीन और सदस्य हैं, जो वोटर हैं और वे गांव में वोट डालते हैं। मेरी बेटी यहां वकालत करती है। वह शाम को हवाई जहाज से गई, उसने लाइन में खड़े होकर अगले दिन सात बजे वोट डाला और वापस लौटकर दिल्ली आई। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऐसे बच्चे, जो आज जेन-ज़ी हैं, वही नहीं, बिहार के 14 करोड़ मतदाताओं के इस मतदान पर कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। ऐसा हमें लगता है। पूरी दुनिया में लोग सुन रहे होंगे कि हमारे मित्र लोग ऐसे हैं, जो इसकी तारीफ करने के बजाय और मैं इस विषय पर आऊंगा कि वह क्यों तारीफ-ए-काबिल है?

आज हम चुनौती दे रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में हमारे मत की चोरी हो जाती है, जबकि प्रमाण किसी के पास नहीं है। कई बार हम लोग क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट खेलते हैं और व्यक्ति क्लीन बोल्ड हो जाता है, लेकिन वह बॉलर को दोषी नहीं ठहराता है। यहां पर हमारे ऐसे मित्र हैं, जो कहते हैं कि ऐसी बॉलिंग की गई कि मैं आउट हो गया। मैं ज़ीरो पर आउट हो गया, इसमें बॉलर की गलती है। राजनीति में यह एक नई परिभाषा लेकर हम लोग सदन में चर्चा के लिए आए हैं। यह एक नया आयाम है। मैं बिहार से हूं और मुझे बिहारी होने का गर्व है। I am a proud Bihari and I would love to say that to you. मैं अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बता रहा हूं कि मैं राजनीतिक जीवन में कहां से चलकर आया हूं।

सभापति जी, मैं आज आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर यह व्यवस्था आज से तीस साल पहले होती, तो अपने जीवन की जो छोटी-सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, वह शायद मुझे जीवन में देखनी न पड़ती। सन् 1990 में जब मैं विधायक बना, उस समय बिहार में इनके सहयोगी भी राज कर रहे थे और लालू प्रसाद जी मुख्य मंत्री बने थे। उसके बाद के कार्यकाल में सन् 1996 में मैं लोक सभा में चुनकर आया था।

साहब, सभी ने सुना है कि चुनाव में पोल होता है और री-पोल होता है, लेकिन हमारे यहां तो पोल का री-पोल और उस री-पोल का री-पोल तक होता रहा है। पूरे 30 वर्षों का यह राजनीतिक जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। हमारे यहां एक समय था, वह वर्ष 1996 हो या वर्ष 1998 हो, आज आप जो चर्चा कर रहे हैं, आज तो बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है, एक भी जगह बूथ पर री-पोल नहीं हुआ। वर्ष 1996 में यहां 1200 में से 133 बूथों पर री-पोल हुआ। उन 133 बूथों में से फिर 33 बूथों पर री-पोल हुआ। यह भी लोकतंत्र था और यह भी चुनाव आयोग था। अगर इस लंबी राजनीतिक यात्रा में हम बढ़ते हुए वर्ष 2004 पर आएं, जो दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ और भारत के इतिहास में नहीं हुआ, भारत में चुनाव काउंटरमांड होते रहे हैं, लेकिन चुनाव में शत-प्रतिशत् बूथों पर री-पोलिंग हो जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ही ऐसा हो।

<u>16.00 hrs</u>

आप जिन चुनाव सुधारों की बात करते हैं, वोट चोरी तो मेरे साथ हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं। जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था, उस चोरी से लड़ते-लड़ते मैं यहां पर जीतकर आया हूं।

महोदय, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जो आज एक पार्टी के बड़े सदस्य हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और रेलवे मिनिस्टर भी रहे। एक चुनाव होता है, जिसमें चुनाव आयोग कहता है कि 1,157 बूथों में से 800 बूथों पर 100 फीसदी वोट हैं। क्या आपने कभी भारत के इतिहास में यह सुना है? इस 100 फीसदी वोट के कारण बिहार में एक चुनाव काउंटरमैंड नहीं होता है। चार महीने के बाद वह चुनाव फिर से होता है और आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि वह कौन सा चुनाव था, जो काउंटरमैंड हुए बिना पूरा चुनाव जीता गया?

सभापति जी, मैं उस चुनाव के दृश्य इस सदन को बताना चाहूंगा। सिविल क्लोथ में लोगों द्वारा पुलिस आर्मरी का दरवाजा खोला जाता है। 400 लोग मोटरसाइकिलों पर आते हैं, एक को सिविल में कारबाइन दी जाती है, एक को पिस्तौल दी जाती है और जिले के एक-एक बूथ पर जाकर बूथ लूटने का काम किया जाता है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया कि फिर से चुनाव होगा। आज वर्ष 2025 के चुनाव में वही बिहार है, जहां एक भी बूथ पर री-पोल नहीं हुआ है। यह कामयाबी श्री नरेन्द्र मोदी जी की है और यह कामयाबी देश की सरकार की है।

सभापति महोदय, ये लोकतंत्र की बात करते हैं? हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर 30 साल के राजनीतिक जीवन की यात्रा तय की है। मुझे लगता है कि ऐसा दृश्य मुझे 30 साल पहले भी देखने को मिला होता। इन लोगों ने नहीं देखा है।

महोदय, मैं एक और विषय पर अपनी बात को बढ़ाकर ले जाना चाहता हूं। बिहार में वर्ष 1998 में 6,000 बूथों पर पूर्ण मतदान हुए। यह वही बिहार है, जहां के एसआईआर पर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उस अवधि में, देश में अगर सबसे ज्यादा लोग चुनावी राजनीति में मारे गए हैं, जो शायद एक युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, 6,038 लोग बिहार की चुनावी राजनीति में आजतक मारे गए हैं। यह लोकतंत्र की बात कहां हुई है? आज ये वोटों की गिनती और एसआईआर की बात करते हैं। मैं उस विषय पर भी आऊंगा। एक समय था, जब बिहार में बीस विधायक और छ: मंत्री बूथ लूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए। यह भी सच्चाई है, लेकिन, आज इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि आज वह जमाना बदल गया है और आज एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई है, जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे सीग्रीवाल साहब यहां बैठे हैं। आज भी मैं अपने गांव में घूमता हूं। अगर मुझे अपने सामने कोई आदमी दिखता है, जिसके हाथ पर छींटें हों और चेहरे पर छींटें हों, मैं भीड़ में पहचान जाता हूं कि यह उस जमाने का बम बनाने वाला आदमी है। उसको भीड़ में

देखकर मैं आज भी पहचान लेता हूं। मेरे क्षेत्र में वे लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। वह भी एक जमाना था।

महोदय, आज की बात करते हैं। श्री टी. एन. शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उन्होंने बिहार पर अनुसंधान किया। आज तो दो दिनों में चुनाव संपन्न हो जाता है, महाराष्ट्र में एक दिन में संपन्न हो जाता है। लेकिन, वह चुनाव उन्होंने चार महीने तक कराया था और 16 भागों में कराया था। उसके बाद भी हिंसा का दौर हुआ। बिहार का वह चुनाव भी लोगों ने देखा है। आज बिहार के मामले में एसआईआर पर चर्चा करवाकर यह बताना चाह रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी हो गई है। यह बहुत बड़ा अपमान है। इसे पूरी दुनिया देख रही है।

महोदय, लोग कहते हैं कि चुनाव कैसे जीत गए? ये कह देते हैं कि हमने पैसा दिया। अरे, हम तो पैसा देते आ रहे हैं और उन गरीबों को पैसा देते भी रहेंगे। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास यह ताकत है, लेकिन, चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता है। चुनाव को भरोसे से जीता जाता है और आज बिहार की जनता को श्री नीतीश कुमार पर भरोसा था और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा था, इसलिए, इतना मत हमको मिला है।

महोदय, चुनाव में तो बिहार की जनता कहती थी कि श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। यह पूरा बिहार कह रहा था, लेकिन, आप एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर कह रहे थे। बिहार की जनता को कुछ नहीं समझ में आया कि एसआईआर क्या होता है, लेकिन, आप तो उन 60 लाख अदृश्य मतदाताओं को, इनविज़िबल वोटर्स को ढूंढ़ रहे हैं। आपकी राजनीति सीमित हो रही है कि आप अदृश्य मतदाताओं पर चुनाव जीतेंगे। मेरी आप लोगों के लिए यह सलाह है कि आप जाइए और लोगों से मिलिए, धरती पर आइए और वोटर्स के पास जाइए। यह एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर करके देश की राजनीति में आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं तो उसी राज्य से आता हूं, जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला जाता है और अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा देता है। क्या यह लोकतंत्र की परिभाषा है? महोदय, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा और इस पार्लियामेंट में तो कतई नहीं हुआ होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो एक ही खानदान के सभी लोगों से चुनाव लड़ गया हो, जिनमें दो-दो राज्य के मुख्यमंत्री हों। यह कहीं नहीं हुआ होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरा नाम तो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाए। मैं एक ही घर के सब लोगों से चुनाव लड़ चुका हूं। अब एकाध लोग बचे हैं। अगर पार्टी अनुमति देगी, तो अगले दो-तीन चुनाव लड़कर उनसे भी जीत लूंगा। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात अभी समाप्त करता हूं। ये लोग अदृश्य मतदाताओं की बात कह रहे हैं। इन लोगों को एसआईआर के ऊपर मेरी सलाह है। मैं अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि बिहार बदल चुका है, बिहार का चुनावी माहौल बदल चुका है और लोगों का विश्वास है।

सर, इस बार बिहार में क्या हुआ? मैं सदन को अंतिम कारण बता देना चाहता हूं। एक जमाना था और बीस साल तक लालू जी ने राज किया। उन्होंने बिहार में हमारे जैसे फॉरवर्ड्स, हमारे जैसे ब्रह्मऋषि समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोगों को कहा कि ये खलनायक हैं, ये विलेन हैं, ये आतंकी हैं। ये कहकर उन्होंने हमें अलग कर दिया। वह सत्ता में चले आए, जैसा उन्होंने कहा। उसके बाद नीतीश कुमार आए। उन्होंने उन गरीबों को अपने साथ अलग कर लिया और इस बार बिहार में पूरे सांगा समाज ने, पूरे फॉरवर्ड्स ने गरीबों के साथ दोस्ती कर ली है। आज बिहार के फॉरवर्ड ने गरीबों का हाथ थाम लिया है, उनसे दोस्ती कर ली है। यह उसका बड़ा परिणाम है कि आज 200 से अधिक सीटों पर बिहार में जीतकर दिखाया है। यह आस्था है। यह भरोसा है, यह लोकतंत्र है। एसआईआर, एसआईआर कहकर अपना भविष्य खराब मत कीजिए। लोकतंत्र आगे निकल चुका है। दुनिया भर के लोगों को यह समझाना, जिससे सवा सौ करोड़ के देश अपमानित हो और यह कहना कि हमारी डेमोक्रेसी फेल्ड है। इससे बड़ा अपमान पूरी दुनिया में भारत का नहीं हो सकता है। आपने इस चर्चा को सदन में लाकर पूरी दुनिया का बताना चाहा है कि हमारी राजनीतिक चोरी की है, हमारी डेमोक्रेसी चोरी की है। आपने अपना नुकसान नहीं किया है, इस देश का नुकसान किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को पॉजिटिव रूप से खत्म करने की कार्रवाई करें।

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Chairperson, Sir, the right of every adult citizen to vote is recognized under Article 326 of the Indian Constitution.

16.07 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

However, today I wish to discuss how this universal right is being weakened, instead of strengthened, because of the particular way the ongoing SIR is being executed.

Special Intensive Revision (SIR) has turned into a bureaucratic maze, demanding legacy documents that many vulnerable citizens never had, making the right to vote theoretical rather than real. Unlike what the hon. Law Minister would have us believe, this SIR exercise sharply differs from revisions that have been done in the past.

First of all, the timeline for the present SIR process has been dramatically shortened to three months? period provided for Bihar and Bengal as opposed to the six months that was provided in 2003 for Bihar. According to the guidelines, it shows that in Bihar, the house verification commenced on July 16, 2002 and the final roll publication was confirmed on January 6, 2003, that is, after six months.

In other States, in 2002-03, Bengal, Jharkhand, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Punjab were also were provided at least six months' time to complete the process

Another major difference between the present exercise and 2003 SIR is that the Voter Card was the basis of the exercise, unlike the 2025 SIR exercise where the Election Commission is not allowing the EPIC cards to be used as proof of voter?s identity. This shows one key difference that for the first time, this SIR exercise is being done where ECI has instructed BLOs to collect documents from the people of India proving that they are citizens of India, not only voters. If their names cannot be found in 2002 rolls, they have been asked to prove that they are citizens of India. This is a type of back door National Register of Citizens (NRC), which is widely opposed.

The lack of time provided by ECI in the present SIR and the extreme change in the types of documents being required to be verified by BLOs has created a pressure cooker atmosphere in the country and in States like Bengal. Nationwide, 33 deaths of BLOs have been reported in the second phase. Reportedly, nine were from Madhya Pradesh, eight from Uttar Pradesh, six from Gujarat, four from West Bengal, three from Rajasthan, two from Tamil Nadu, and one from Kerala. Of the four deaths in Bengal, two appear to be by suicide, one due to stroke, and another due to cardiac arrest.

Sir, the present execution of SIR, particularly in my constituency of Maldaha Dakshin and in my State of West Bengal, has exposed serious flaws in the SIR process. In the erosion-hit areas of Malda and Murshidabad districts, where my constituency of Maldaha Dakshin lies, thousands of residents have lost their homes, their land, and often all their documents due to recurrent flooding and river-bank erosion along the Ganges and the Fulahar rivers.

Many have been displaced repeatedly; some now live on makeshift embankments and shelters, far from their original villages. Numerous families in Ratua, Manikchak, Kaliachak-II, Kaliachak-III, Harishchandrapur, and English Bajar blocks of Malda have lost valuable records like school certificates, admit cards, marksheets, Aadhaar cards, PAN cards, voter ID cards, land deeds, and other vital documents which got submerged, washed away, and destroyed.

I want to give just two examples of this. One is K.B. Jhowbona GP of Kaliachak-III, where 2,000 people lost all their documents because the entire GP was washed away in 2002? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The responsibility lies with the State Government.

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY: In Dharampur village of Manikchak Vidhan Sabha, 750 people under Gopalpur GP could not produce papers because everything had been washed away. Such large-scale potential deletions especially where many voters cannot possibly produce documents for no fault of their own, due to natural disasters, forced displacement, and destitution?create a risk of disenfranchising genuine voters and defeat the very purpose of electoral reform.

Secondly, more than five lakh people from Malda district are working as migrant labourers outside West Bengal in search of better livelihood opportunities. These numbers have increased because the 100 days? work has stopped. With so many workers outside the State, this inadequate one month period for them to return and coordinate their inclusion in the voters? list is almost impossible under this SIR process.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY: There is also considerable concern and confusion among the Matua community of West Bengal and Malda, many of whom are not included in the 2002 voter list. These are people who immigrated from Bangladesh after 2002. They have been promised by the BJP Government that under CAA, they will be made citizens.

HON. CHAIRPERSON: Your point is well taken.

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY: Is this a hollow promise or an actual promise? Will the Matua community members of Malda district in West Bengal, who arrived from Bangladesh after 2002, actually be able to vote? This is my question to the Election Commission.

Therefore, I urge this House and the ECI to reform the current SIR process. I urge that voters displaced due to natural disasters be given special consideration to produce alternate

documentation. I submit that the aim of the ECI and SIR should be that no Indian citizen is left behind, as this is a democratic and constitutional right that must be fostered and protected by the ECI.

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : सभापति महोदय, आपने मुझे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, भारत देश को गणतंत्र बने हुए सात दशक के बाद भी आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। हम जहां तक डिस्कशन की बात करेंगे, तो हमें लगा कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इस पर क्वेश्चन उठाने और इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाने के डिस्कशन हुए। एक तरह से लोक सभा में जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं, हम सब उसी प्रक्रिया से निर्वाचित होकर यहां पर आए हैं, तो हमारे खुद के इलेक्शंस में भी क्वेश्चन करने का यह एक तरीका रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अगर देखेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने बीते सात दशक में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। पेपर बैलेट की रिगिंग होना बहुत आसान होता था और बहुत लंबे समय तक इलैक्शन चलता था। इसको रिप्लेस करके जिस तरह से ईवीएम मशीन लाकर इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया गया है और टाइम भी बचाया है। इस तरह के रिफॉर्म्स इलैक्शन कमीशन लेकर आया है। आज मुझे लगता है कि जब डिजिटल एज आया है एवं टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इलैक्शन की इस प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाने के लिए जितना हो सके, उतना टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव गोगोई जी, आप सुनिये कि वे क्या कह रहे हैं?

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा : टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर हम इस रिफॉर्म को आगे ले जाएंगे तो हमारी इलैक्शन प्रक्रिया में शायद कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा।

सभापति महोदय, साइमल्टेनियस इलैक्शन करने की यहां पर चर्चा चल रही है और वन नेशन वन इलैक्शन की यहां पर चर्चा हो रही है। सिक्किम के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारी पॉर्लियामेंट्री कॉन्स्टीट्यूएंसी में और सिक्किम राज्य में ऑलरेडी एक ही बार में लोक सभा इलैक्शन और विधान सभा इलैक्शन होते हैं। जब अलग-अलग समय में बड़े-बड़े स्टेट्स का इलैक्शन होता है तो वहां पर बड़े-बड़े स्टेट्स में ज्यादा एमपीज़ रहते हैं। मैं ऐसे स्टेट से आता हूँ, जहां से मैं अकेला एमपी हूँ। टेक्निकली यहां पर पॉलिटिकली पार्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे मैं यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलैक्ट होकर आऊँ, लेकिन मुझे यहां सिक्किम को ही रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि यहां पर सिक्किम के कोई और मैम्बर हैं ही नहीं। छोटे-छोटे राज्यों से जो सिंगल पार्टी से मैम्बर आते हैं, तो हमारे इश्यूज़ की यहां पर ज्यादा सुनवाई नहीं होती है। अगर साइमल्टेनियसली इलैक्शन हो जाता है तो बड़े-बड़े राज्यों को जिस तरह से इलैक्शन की वजह से एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, वे भी बंद किए जा सकते हैं।

सभापति महोदय, भारत केवल प्रजातांत्रिक मूल्यों में डायवर्स नहीं है। भारत में अनेक जातियां रहती हैं, अनेक एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अनेक रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं। इसके साथ-साथ हम एक बात कभी-कभी भूल जाते हैं कि भारत देश ज्योग्राफिकली इतना डायवर्स है कि इसकी ज्योग्राफिकल डायवर्सिटी भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भारत का हिमालय क्षेत्र, जिसमें 12 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरेटरी है, उसका 18 प्रतिशत भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया का 18 परसेंट है, लेकिन लोक सभा में आज भी 5 प्रतिशत ही उस एरिया से रिप्रेजेंटेशन आता है।

माननीय सभापति: आप कनक्लूड कीजिए।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा: इसलिए वहां के बड़े-बड़े इश्यूज़ की कभी सुनवाई नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं सिक्किम के विषय में एक पॉइंट कहकर कनक्लूड करना चाहूंगा। वर्ष 1975 में जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो उससे पहले इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में वर्ष 1974 में एक इलैक्शन हुआ था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट, 1974 के तहत किया गया था। उसके बाद सिक्किम में लगातार इलैक्शन कमीशन के सुपरविजन में इलैक्शन हो रहे हैं। भारत का वोटर टर्नआउट केवल 65 परसेंट है और सिक्किम का आज 80 परसेंट है। जब सिक्किम में एसआईआर किया जाएगा ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री दुरई वाइको जी।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा: सर, मुझे 30 सैकेंड दे दीजिए।

माननीय सभापति: आप 30 सैकेंड में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा: सर, सिक्किम में जब एसआईआर किया जाए तो मेरी रिक्वैस्ट है कि इस पर स्पेशल ध्यान दिया जाए, क्योंकि सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है और वहां पर केवल 4 लाख 60 हजार या 70 हजार वोटर्स हैं। वहां पर अगर एक हजार वोटर्स भी ज्यादा हुए तो वहां के इलैक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है।? (व्यवधान)

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, electoral reforms are positive changes in the electoral process to promote greater democracy. Electoral reforms are to prevent criminalization of politics and misuse of Government machinery during elections. It is to ensure equal representation and choose ideal members to the Legislature. However, the current state of affairs is very much disappointing. Do we have a level playing field in today?s elections where the common man gets to choose the right candidate, a candidate who has got the attributes of honesty, integrity and conviction to work for the well-being of his constituents? Can

this right candidate win in today?s divisive politics of caste and religion? Can this right candidate win against political money bags? Sadly, no. Many times, we have witnessed unworthy winners. The role of divisive politics, money power and fraud electoral processes has contributed to unworthy Legislative Members and corrupt Governments. It is high time we put an end to this negative political culture.

The moral code of conduct is an important part of electoral reforms that ensures free and fair elections. Sadly, it does not apply to the ruling dispensation which indulges in hate speech, divisive politics and direct cash transfers during elections. Our hon. Prime Minister?s repeated cautions against divisive politics, hate statements during the Odisha and Bihar election campaigns were contradictory. His claims that Odisha?s Puri Jagannath Temple?s treasury keys were with Tamil Nadu, and *Biharis* have been harassed in Tamil Nadu, created unnecessary distress and hostility among the people. These hate speeches go against the moral code of conduct, yet the Election Commission of India failed to act.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI DURAI VAIKO: Sir, another thing is that the total liability of the country and all the States put together is at all time high, thanks to the highest spend on populist measures. The ideal debt to GDP ratio of all States should be less than 10 per cent but it is shocking to know that it is 30 per cent for 18 of the 28 States.

Sir, the cooperative freebie culture in today?s elections overshadows long term development planning. Cash transfers and freebies may win votes but do not build a strong nation. We should go for a popular proverb, ?Give a man a fish, and you feed him for a day. But when you teach a man to fish, you feed him for a lifetime?. Populist measures? announcements decide today?s election results. It is employment and dignity, and not temporary gifts, that form the heart of electoral promises.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI DURAI VAIKO: Sir, the recent controversial SIR needs a special mention here. The very purpose of SIR was to ensure that all eligible voters have the right to vote and all ineligible

voters are removed from the list of voters.

Sir, you have given me only two-and-a-half minutes and it is very unfair.

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इलेक्शन रिफॉर्म्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, हमारे देश के अंदर हम ईज ऑफ लिविंग? (व्यवधान) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ वोटिंग के ऊपर भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारा ईज ऑफ वोटिंग तभी संभव होगा, जब हम अपने नागरिकों को अब्सेंटी वोटिंग, ई-वोटिंग और पोस्टल वोटिंग का प्रावधान देंगे। मेरा आग्रह हमारे करोड़ों प्रवासी भारतीय, यानी एनआरआईज़ के अधिकारों को लेकर है। ये वे लोग हैं, जो विदेशों में रहकर अपने खून-पसीने की कमाई अपने देश के अंदर भेजते हैं, लेकिन उसके अंदर अधिकतर लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम हजारों-करोड़ों की ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे देश के अंदर सभी तरह की तकनीकें अवेलेबल हैं। अगर हम ऑनलाइन वोटिंग संभव करा पाएंगे, तो हमारे देश के अंदर जो करोड़ों श्रमिक हैं, जो अपना गांव छोड़कर कहीं और काम रहे हैं, जो अपना वोट नहीं दे पाते। जो हमारे देश के लाखों-करोड़ों छात्र, जो देश के अंदर और विदेशों में पढ़ रहे हैं, वे भी अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि हमें ऑनलाइन वोटिंग, ई-वोटिंग, पोस्टल बैलेट जैसे प्रावधान अपने नागरिकों के लिए करने चाहिए, ताकि वे लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। जरूरी नहीं है कि हम अपनी जगह जाकर ही वोट करें। आज हम बहुत बोलते हैं। अभी माननीय रूडी जी भी बोल रहे थे कि उनकी बेटी वोट करने के लिए गईं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब्सेंटी वोटिंग, ई-वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे वह देश में हो या विदेशों में हो, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री अब्दुल रशीद शेख साहब। You have only two minutes, either from this side or from any side.

SHRI ABDUL RASHID SHEIKH (BARAMULLA): Then I will not speak. You can ask anyone else to speak. क्यों? क्या मैं डेली वेजर हूं? आपने सिंगल मेंबर्स को 10-10 मिनट दिए हैं।? (व्यवधान) Please do not do injustice to me, for God?s sake. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You should start.

श्री अब्दुल रशीद शेख: सर, आज 10 दिसंबर का दिन है ।? (व्यवधान) आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है । आज मेरा फास्ट है ।? (व्यवधान) मैं इस हाउस में ही एलान करके गया था कि I am fasting today on the eve of World Human Rights Day to remember the people for their duties towards Jammu and Kashmir. सर, मेरे लिए इससे पाक दिन और क्या हो सकता है कि आज इस हाउस में इलेक्टोरल रिफार्म्स डिस्कस हो रहे हैं। मैं उस जम्मू-कश्मीर से आया हूं। जब यहां इलेक्टोरल बॉड्स की बात चली, करोड़ों रुपए की बात चली, मुझे जेल में बैठा दिया गया तो वहां के लोगों ने मुझे बगैर दस रुपए खर्च किए, दो लाख से ज्यादा वोटों से जीता कर संसद में भेज दिया। आज मैं अपने उन सभी लोगों को इस पार्लियामेंट से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम भी करता हूं। मुझे नहीं पता है कि बाकी मुल्कों में कैसे इलेक्शन्स हुए हैं लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरह सरकारी एजेंसियों की ? और दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाई और मैं जेल में रहते हुए भी जीत गया, इसके लिए मैं अपने लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं ।?(व्यवधान) आप ताली मत बजाइए। अब मुझे आपसे दो बातें करनी है ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई।

? (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख: आप मुझे बोलने दीजिए?(व्यवधान) ।

माननीय सभापति: जिस तरह आपने अपने बात की तर्जुमानी की है, वह आपके पूरे वतन तक चली गई है।

श्री अब्दुल रशीद शेख: सर, शुक्रिया। आज खुदा के वास्ते बोलने के लिए दो-चार मिनट दे दीजिए। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: इंशा अल्लाह, कंक्लूड कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद शेख: सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है । आप या तो इलेक्शन रिफॉर्म कर लीजिए । ?(व्यवधान) Be serious for God?s sake ? (*Interruptions*) Do not make a mockery of this House. ? (*Interruptions*) हमने आपकी देश भक्ति देखी है । जब वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही थी तो यहां पर कोई नहीं था । हमें आप क्लास में बैठा कर रखते हैं और आप भाग जाते हैं । मेरा यह पॉइंट है कि आप ऐसा कानून लाइए कि आप जेल से किसी को चुनाव लड़ने मत दीजिए या अगर जेल से कोई चुनाव लड़ता है, तो दुनिया में यह बात बाहर निकलती है कि आप उनसे पैसे लेते हैं। शायद यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा कौन-सा कानून है कि जब आपने जे. एंड के. में डिलिमिटेशन किया है तो कश्मीर में सिर्फ एक सीट बढ़ा दी और जम्मू के हिस्से में पांच सीट्स बढ़ाई है। आपने वहां सब को एक-दूसरे से

लड़ा दिया है। देश में कहां पर पांच एमएलएज नॉमिनेट होते हैं? अब आप मुझे इंडिया एलायंस से एक-दो बातें करने दीजिए। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद शेख: सर, खुदा के वास्ते, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बोलने दीजिए।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: इंशा अल्लाह, आपको मौका मिला है, आप अपनी बात कहिए।

श्री अब्दुल रशीद शेख: सर, आप मेरी बात सुनिए, मैं तिहाड़ जा रहा हूं और ये अपने घर जा रहे हैं। आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं सुबह से भूख हड़ताल पर हूं। मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए। पप्पू यादव जी का सम्मान है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: मुकेश राजपूत जी।

?(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : मैं इंडिया एलायंस से बात करना चाहता हूं। आप फैसला कर दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि वोट चोरी होती है। आपके इंडिया एलायंस के पार्टनर जो हमारे स्टेट के बड़े लीडर हैं, वे कहते हैं कि इलेक्शन फेयर हुआ है। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि हम वहां पर इसलिए हारे कि इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके माननीय सांसद कहते हैं कि वहां इलेक्शन फेयर हुआ है लेकिन कुछ माननीय सांसद कहते हैं कि यह फेयर नहीं हुआ है। आप यह फैसला कर लें।अगर आपको वाकई डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है, तो इतिहास से सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा है - एंटी नेशनल एक्ट। आप 1987 को नहीं भूलिएगा।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: मुकेश राजपूत जी।

आपके सवालात आ गए। आपके हुकूमत से भी सवाल आ गए।

? (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख: वर्ष 1987 में जिस तरह आपने सईद अली गिलानी, सलाहुद्दीन, लोन और यासीन मलिक उन सभी को तशद्दुद किया। उनके मुंह में उबलते आलू डाल दिए। वह सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट था, उसकी वजह से वहां पर लोग मिलिटैंट बने। आज पूरे देश को उस एंटी नेशनल एक्ट की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको भी उसका जवाब देना है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: मुकेश राजपूत जी - उपस्थित नहीं।

श्री इमरान मसूद साहब।

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर): सभापति महोदय, आज हम जिस विषय पर बोलने के लिए यहां खड़े हैं, वह बेहद गंभीर है। जिस प्रकार से देश में चुनाव आयोग पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है।

HON. CHAIRPERSON: Nothing else will go on record.

? (Interruptions) ?

श्री इमरान मसूद: चुनाव आयोग के तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे देश में उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन्स हुए। इनलोगों ने इस बार बाय इलेक्शन्स में नया तरीका अपनाया है। वहां वोटरों की लाइन लगी हुई है। वहां पुलिस डंडे मार रही है और पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। खासतौर से यह काम मुसलमानों और दलितों के पोलिंग बूथ्स पर किया गया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बात अखिलेश जी कह चुके हैं। कोई नई बात हो तो आप कहें।

श्री इमरान मसूद : आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए। मैं पूरे सत्र में अभी बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सहारनपुर के मेयर के चुनाव में इसी तरह का काम हुआ है। यह जो नया तरीका है कि चुनाव आयोग के पास शिकायत करते रहिए, लाइव टीवी पर चलता रहे, लेकिन पुलिस लाठी मार कर लोगों को दौड़ाती है। सहारनपुर मेयर के चुनाव में दो-दो किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया और जब इसके बाद भी चुनाव जीत गए तो काउंटिंग के अंदर से सारे एजेंट्स बाहर भगा कर सीधा चुनाव डिक्लेयर कर दिया। यह गंगोह बाय इलेक्शन में हुआ है। यह सहारनपुर इलेक्शन में हुआ। अगर इस तरह से इलेक्शन होंगे तो फिर क्या मायने रह जाएंगे। एसआईआर के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम पर खासकर दलित और मुसलमानों के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का क्या महत्व रह जाएगा? चुनाव में क्या बचेगा? जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा, राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। उस सपने को अब चकनाचूर कर दिया। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सीजेआई को इस चुनाव आयोग में चेयरमैन चुनने की समिति के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। इस बार चुनाव को बैलेट से कराए जाने का आदेश होना चाहिए, बैलेट से चुनाव कराए जाएं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपके तीन मिनट हो गए हैं।

श्री इमरान मसूद: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी ने अपनी बात को रखा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन उन्होंने हमारी बात को ही डिटो कर दिया। उन्होंने बता दिया कि पहले चुनाव में बूथ कैपचरिंग होती थी और री-पोलिंग होती थी। लेकिन अब री-पोलिंग की बात नहीं होती, पोल ही नहीं करने देते तो री-पोल कहां से करेंगे? राहुल जी ने जो सवाल उठाया है, वही बड़ा सवाल है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे चुनाव सुधार की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। बाबा साहब ने एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को अधिकार दिए। जब अंग्रेजों की सत्ता थी और जब देश आजाद हुआ, उस समय बात चली कि वोट कौन देगा? तब यह तय हुआ कि नौकरी करने वाला, व्यापारी और धनाढ्य व्यक्ति वोट करेंगे। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को पता ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आजादी मिली है तो प्रत्येक एससी, एसटी, ओबीसी और प्रत्येक भारतीय को वोट देने का अधिकार मिला। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार भारतीयों को दिया, लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब द्वारा दिए हुए अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

माननीय सभापति: हनुमान बेनीवाल जी आप एक बात बताइए, जब आप विधान सभा चुनाव लड़ते हैं तब जीतते हैं और जब लोक चुनाव सभा लड़ते हैं, तब जीतते हैं तो लोकंत्र हैं न?

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, आपका स्नेह मेरे पर बना रहे। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी का भाषण सुनें। सिंगल मैम्बर पार्टी वाले सारे सदस्य खड़े हैं और हम लोग ही कोरम पूरा करते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। यह पता नहीं होता है कि कब एक वोट काम आ जाए। सिंगल मैम्बर पार्टी को छोटा नहीं मानना चाहिए, हम भी बराबर के हैं और जीत कर आते हैं।

महोदय, बीच में रोकते हैं तो हम अपना भाषण भूल जाते हैं इसी वजह से हमारी बात रह जाती है। गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा जो यह एसआईआर चल रही है। 11 तारीख राजस्थान के लिए आखिरी है। 15 तारीख को आप इसका प्रकाशन करेंगे। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी लोग कमा कर खाने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं। वह आदमी इतने डाक्युमेंट जुटा नहीं पाएगा। मेरा कहना है कि इसके लिए एक महीने का समय बढ़ाया जाए। इसके अलावा इनके वोट नहीं काटे जाएं क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है, जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो यह भी मांग करूंगा कि अनिवार्य रूप से वोट डाले जाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वोट दे तो यह देख लें कि यदि किसी ने तीन बार वोट नहीं डाला है, तो वह वोट के प्रति जागरुक नहीं है इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। यह मेरा सुझाव है कि इस तरह से करना चाहिए, नहीं तो वोटर लिस्ट लम्बी-लम्बी बन जाती है और वोटिंग की परसेंटेज कम बताई जाती है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पर

चुनाव आयोग काम कर रहा है। वर्ष 1950 में चुनाव आयोग बन गया था लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत टी.एन. शेषन साहब जब 1990 में आए थे और वर्ष 1990 से 1996 के अंदर जब हम 12वीं पास करके कालेज गए थे, तब पता चला कि चुनाव आयोग क्या होता है। टी.एन. शेषन साहब ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई।

मैं राजस्थान से आता हूं।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, यदि आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे अपने सुझाव रखेंगे। आप बोलने के लिए एक-दो मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति: अभी कई माननीय सदस्यों ने बोलना है। आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, नोमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलती रहती है। कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्रांउड स्ट्रेटेजी बनाए, इसके लिए कंफ्यूजन रहता है इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं। इस वजह से क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, जो छोटे और क्षेत्रीय दलों के पास नहीं होती है। एसआईआर का पहला शिकार हमारी जैसी छोटी पार्टियां होंगी। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव टालने के लिए एसआईआर लागू की गई। मेरा आग्रह है कि एक महीने का समय बढ़ा दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात आ गई है। श्री उमेशभाई पटेल।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात आ गई है। आपने एक महीने का समय बढ़ाने की बात कही है। आप बैठ जाएं। श्री उमेशभाई पटेल जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : महोदय जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के उद्देश्य का पुन: समर्थन करता हूं। फर्जी वोटर, डुप्लिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाना न केवल आवश्यक है, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि मतदाता सूची 100% शुद्ध होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले बड़े रिवीजन में 1.2 करोड़ और बिहार में एसआईआर के अंत तक 65 लाख संदिग्ध नाम हटाए जाने की बात है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम चाहते हैं कि बोगस वोटिंग चलती रहे? क्या हम चाहते हैं कि कोई घुसपैठिया हमारे जवानों की शहादत को चुनौती देते हुए वोट डाले? हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं गर्व के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं SIR का

पूर्ण और बिना शर्त समर्थन करता हूँ। और साथ में मेरे प्रदेश में एसआईआर की मांग करता हूं। लेकिन महोदय, विपक्ष के साथियों की आशंकाएँ भी जायज़ हैं। एसआईआर का विरोध करने वाले कोई देशद्रोही नहीं हैं, वे केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता चाहते हैं और हर संदेह का समाधान करना सरकार की जवाबदेही भी है, न कि हर सवाल को राजनीतिक साजिश कहकर खारिज करना।

महोदय जी, एसआईआर कोई साधारण रिवीजन नहीं, बल्कि बाबा साहब आंबेडकर के 'एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य" के सपने को साकार करने वाला महाअभियान है। यह हमारे लोकतंत्र की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है किंतु इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब यह पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सर्व स्वीकार्य हो। इसलिए मैं कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखता चाहता हूं। एसआईआर शुरु करने से पहले चुनाव आयोग सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से औपचारिक विचार-विमर्श करे। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले लिखित नोटिस, एसएमएस और 15 दिन का समय देकर अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ के साथ घर-घर सत्यापन में शामिल होने की अनुमति हो। पूरी प्रक्रिया का Real-time Live Dashboard बनाया जाए ताकि हर नागरिक देख सके कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। बीएलओ पर अत्यधिक दबाव के कारण उनकी आत्महत्या की दुखद घटनाओं की तुरंत संज्ञान लिया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है, आप समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल: महोदय, मुझे अभी दो मिनट का ही समय हुआ है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सिर्फ दो मिनट का ही समय दिया जा रहा है।

? (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल: महोदय, दो मिनट का समय दे दीजिए। अभी वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन आप तो भाषण चोरी कर रहे हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह वाक्य कार्यवाही से हटा दिया जाए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर के प्रति मर्यादा रखिए। आप चेयर से क्या कह रहे हैं, इस बात की मर्यादा रखिए।

? (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल: महोदय, मैं अपनी पार्टी का एक ही सदस्य हूं ।? (व्यवधान) सर, आप ही बोलने लग जाएंगे, तो हमें बोलने का कहां मौका मिलेगा ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट बैठ जाएं। मैं सभी दल के नेताओं से कहूंगा कि आप चाहते हैं कि किसी भी चर्चा में आपके दल के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलें।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मेरी रूलिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। दादा, आपकी वरिष्ठता का खयाल है। यदि 65-66 सदस्य बोल रहे हैं तो समय की सीमा रखनी ही होगी। यदि ज्यादा सदस्य बोलेंगे तो बोलने के लिए समय सीमित करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको अपनी बात जल्दी समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

अब आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल : महोदय, जानबूझकर फर्जी वोटर बनवाने वालों पर, चाहे किसी भी दल से हो, एनएसए के तहत कठोर कार्रवाई हो। ईवीएम - वीवीपैट की 100% मिलान की माँग पर पुनर्विचार हो, साथ ही शंका होने पर शंका के निवारण के लिए 100% मिलान अनिवार्य किया जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि को शामिल करने वाला कॉलेजियम जैसा मॉडल अपनाया जाए। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश हो और वह संसदीय समिति के सामने जवाबदेह हो। साथ ही, आरटीआई का पूर्ण दायरा चुनाव आयोग पर लागू हो।

सभापति जी, मैं मांग करता हूं कि सदन द्वारा सर्वदलीय समिति तुरंत गठित की जाए, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखे और सदन को नियमित रिपोर्ट करे। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारा चुनाव तंत्र विश्व का सबसे स्वच्छ, पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र बने।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से आभार।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : धन्यवाद सभापति महोदय। आज एसआईआर पर सदन में काफी हंगामेदार व हेल्दी चर्चा हो रही है। मैं कम समय लूंगा। मेरा सत्तापक्ष के साथियों से विशेष अनुरोध है कि देश में एसआईआर को लेकर ?घुसपैठिया-घुसपैठिया? शब्द बार-बार कहा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने घुसपैठिए आए थे? कहां-कहां पकड़े गए ? कहां से आए थे ? इनका डेटा जवाब में सामने आए।

महोदय, चुनाव में किस तरह से धांधली होती है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे ही नाम से दो राजकुमार नामक व्यक्ति खड़े किए गए। मेरे फेस को एडिट करके नॉमिनेशन के समय लगाया गया। मेरी पार्टी का

सेम सिंबल भी लगाया गया और वे 1 लाख 20 हजार वोट मेरे नाम से ले गए। वे दोनों राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन वे नहीं मिले।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी होने के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर को भी चोरी किया। उम्मीदवार भी चोरी हुआ। मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का सिंबल भी चोरी हुआ, इसके बाद भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मुझे 2 लाख 48 हजार वोटों से जिताया।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका सुझाव क्या है।

? (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत : सभापति महोदय। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वह ठीक नहीं है। दाहोद में बीजेपी नेता ने बूथ कैप्चरिंग की, जबकि लोगों की लाइन वहां खड़ी रह गई। मेरे संसदीय क्षेत्र में धांधली की। मेरा अनुरोध है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन यदि हैक हो सकती है, तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती?

माननीय सभापति : चुनाव आयोग ने कई बार समय दिया है। उन्होंने ईवीएम का डेमो कई बार किया है।

? (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत : सभापति महोदय, देश भर में डिमांड हो रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किस बात की दिक्कत है? कोरोना-काल में जिस प्रकार से प्रभाव पड़ा था, उसी प्रकार से एसआईआर की वजह से शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। ? (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों को यदि जिंदा रखना है, तो चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर दिया जाए, ताकि हमारी शिक्षण व्यवस्था बरबाद नहीं हो। धन्यवाद।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली): महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। दुनिया में कई देशों में, उदाहरण के लिए ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना में इलेक्शन कमिश्नर ज्यूडिशियरी में से चुने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में चुनाव आयुक्त चुनने की समिति में जजों को नियुक्त किया जाता है। हमारे देश में भी वर्ष 2023 तक सीजेआई सीसी नियुक्ति समिति में हुआ करते थे। उन्हें क्यों निकाला गया? सत्ता पक्ष के सारे वक्ता सारे समय कांग्रेस के काल में हुए इलेक्टोरल लैप्सेज की बात करते रहे। वे यह मानते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है तो फिर उसमें सुधार क्यों नहीं लाते हैं? उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, यह बात गलत है। Two wrongs do not make a right. महात्मा जी कहते थे कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। कोड ऑफ कंडक्ट को सरकार स्टैंडर्ड बैकिंग क्यों नहीं देती? बिहार के चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी 10 हजार रुपये अकाउंट में ट्रांसफर यह कहकर किए गए कि यह पुरानी योजना है। जिस योजना की पहली किश्त मॉडल

कोड ऑफ कंडक्ट में दी जाए, वह पुरानी योजना कैसे हुई? पहले वोट चोरी, फिर वोट की खरीदी, बीएलओ काम के लोड से नहीं मरे हैं, बीएलओ वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ करवाने से मरे हैं।

माननीय सभापति: विशाल, आपके सुझाव क्या हैं?

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: सर, मैं सुझाव ही दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। लोकतंत्र में एक सिद्धांत है। The burden of proving citizenship lies with the State, not the citizen.

HON. CHAIRPERSON: Please try to understand that time is scarce.

? (*Interruptions*)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: सर, चुनाव की एक्चुअल कॉस्ट के बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। कितना पैसा खर्च होता है, यह पता नहीं है। अगर हर चुनाव जीतने के लिए पैसा ही बांटना हो तो जनता की मांग यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन रद्द करें और हर साल लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हों। हमारा जो हो, सो हो, जनता खुश रहे। धन्यवाद।

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on an issue which affects the most basic right of every citizen of India, that is, the right to vote. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए। किसी की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

? (*Interruptions*) *?*

DR. MALLU RAVI: The Special Intensive Revision is not a small administrative exercise. It is a concept that decides who gets to vote and who loses their vote. ? (*Interruptions*) This is not about politics. This is about protecting our democracy. The Congress people have mentioned many things. I am just bringing forward a few very important points in my speech.

Hon. Home Minister has already come. That is why, Sir, I also want to highlight the extreme pressure on Booth Level Officers. Some of the Booth Level Officers are committing suicide. This must be taken into consideration by this hon. House. We cannot run a national exercise by overburdening the lower-level staff. We also have many examples of errors, dead voters still on the rolls and voters shifted from one booth to another booth without any reason. These long-standing issues were never fixed.

Sir, SIR is being used differently in different States, depending on political advantage. This House must also consider Constitutional issues? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What are your suggestions?

DR. MALLU RAVI: If lakhs of people lose their right to vote without a due process, we are violating Article 14, which guarantees equality before the law; Article 19, which ensures political expression; and Article 326, which provides for universal adult franchise.

I request the hon. House to take a decision. This must be reviewed by the Parliament or the hon. Supreme Court. The SIR must be paused for some time.

I would like to request the Government to bring back the Chief Justice of India into the Selection Committee for the selection of the Members? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have made your point. Your point is well taken.

? (*Interruptions*)

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मैं अपने लोक सभा चुनाव क्षेत्र के एक विधान सभा क्षेत्र तुलजापुर की एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

The Returning Officer at Aroni checked and found that 6,000 bogus votes were cast. It has been almost a year since this case was registered, but no investigation has been done in this regard.

Around 6000 bogus names were registered in Tuljapur constituency and the OTP was sent from their mobile and the data is available with the police. My only request through you is that even after registering an F.I.R in this matter, if no investigation is done regarding who has registered these bogus names in this case, then the election process will have no validity.

These Chief Electoral Officer who are elected, should be considered as important as the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India. Thank you.

माननीय सभापति: आपकी बात आ गई है। आपका बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे (बीड): मैं बजरंग मनोहर सोनवणे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र जी पवार पार्टी का सांसद हूं। महाराष्ट्र के बीड जिले के लोगों ने चुनकर मुझे यहां भेजा है। लोकतंत्र के, देश के सबसे ऊंचे सभागृह में बात करने का आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आदरणीय शरदचंद्र पवार साहब और मेरे जिले के लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको भी थैंक्यू कहूंगा।

मैं यह बात पहले से कह रहा हू कि यदि संसद में कोई भी चीज लागू होती है, मैं एसआईआर पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एसआईआर पर बात करने के लिए भी इतना कम समय मिलने वाला है। मैं बहुत सारे लोगों से यह सीखता हूं। मैं तो पहली बार चुनकर आने वाला सदस्य हूं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात कह दीजिए। आपकी नेता सुप्रिया सुले जी ने कल काफी विस्तार से कहा था।

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे : सर, वही कह रहा हूं। मुझे भी उतना कहने दीजिए

माननीय सभापति : क्या आप अपने नेता की जगह ले लेंगे?

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे : सर, आपने मौका दिया है। मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहता हूं। मुझे जिस जगह पर बिठाया है, वही जगह काफी है। ? (व्यवधान) सर, मुझे बोलने दीजिए। मेरा सुझाव इतना ही है कि एसआईआर में आपने एक महीने में नाम कटवाने की बात की है, इस एक महीने के समय को बढ़ाकर कम से कम तीन महीने कर दीजिए। हर एक के लिए थोड़ा तो मौका दीजिए, उनको एक महीने के बजाय छह महीने का समय दीजिए, उसमें उसके लिए कुछ न कुछ मिलेगा।

<u>**16.52 hrs**</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

हर वोटर का नाम कम करते समय, यदि वोटर लिस्ट से उसका नाम कम करना है, तो उसको समय देना है और उस समय में उसे नोटिस देना है। आप नोटिस दिए बिना ऐसा मत कीजिए। ऐसा ही मेरा सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष : ओके। नमस्कार।

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे : सर, मुझे बोलना बहुत है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं। सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। आप स्पीकर सर हैं। मुझे एक ही बात कहनी है। सर, मैंने तो सुना था कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन आपके दो रूप हैं। आप जब आते हैं, तो राइट में देखकर आप हंसते हैं और लेफ्ट में देखते ही गुस्सा करते हैं। ? (व्यवधान) सर, मुझे माफ कीजिए, मैं इतना बोल नहीं सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं आपको प्यार से और विनम्रता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।? (व्यवधान)

थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्ष : अब हँस लिया न, आपके लिए भी।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आज की यह चर्चा केवल अकादमिक ही नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। हम S.I.R. पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्थितियां चिंताजनक हैं। हाल ही में TISS (Tata Institute of Social Sciences) की एक रिपोर्ट आई है, जिसने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों और कई महानगरों में हिंदू आबादी का अनुपात तेजी से गिरा है और जनसांख्यिकी (Demography) पूरी तरह बदल गई है।

मैं मुंबई जैसे महानगर से आता हूँ, जो न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि विविधता का एक लघु रूप भी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने मुंबई और देश के कई अन्य हिस्सों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है। यह समस्या अवैध घुसपैठ और मतदाता सूची में गड़बड़ी की है।

माननीय अध्यक्ष : आप तो वकील हो, काफी लंबा बोलने वाले हो, शॉर्ट में नहीं बोल पाओगे।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर: अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अवैध प्रवासी, विशेष रूप से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, स्थानीय तंत्र की कमियों का फायदा उठाकर भारत के नागरिक होने के दस्तावेज हासिल कर लेते हैं।

इसी संदर्भ में, 'विशेष गहन पुनरीक्षण' यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (S.I.R.) का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अतीत में चुनाव आयोग ने कई बार S.I.R. की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन अब इसे एक नियमित और सख्त अभ्यास बनाने की आवश्यकता है। S.I.R. का अर्थ है कि चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर यह सत्यापित करें कि मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति वास्तव में वहां रहता है या नहीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भारत का वैध नागरिक है या नहीं। यह प्रमुख बात है।

आज की परिस्थिति में S.I.R. को केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं माना जा सकता, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हथियार है। यदि हम अपनी सीमाओं पर सेना तैनात करके देश की रक्षा करते हैं, तो हमें देश के भीतर अपनी मतदाता सूचियों को भी घुसपैठियों से बचाना होगा। मेरी यह स्पष्ट मांग है और मेरा मानना है कि पूरा सदन इससे सहमत होगा कि जिन क्षेत्रों में असामान्य रूप से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं, वहां तुरंत प्रभाव से और पूरी सख्ती के साथ S.I.R. लागू किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की सरकार चुनने का अधिकार केवल और केवल भारत के मूल नागरिकों के पास ही होना चाहिए, यह मेरा कहना है।

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिला है और जो समय आवंटित था, उससे ज्यादा समय सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है।

? (व्यवधान)

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि बोलने का मौका दिया जाएगा।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको हमेशा बोलने का मौका दिया है, फिर आपको मौका देंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में दो दिन गतिरोध भी हुआ। इससे एक प्रकार की गैर-समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग यह चर्चा नहीं चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद इस देश में चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने दो दिनों तक विपक्ष के साथ चर्चा की कि इस पर चर्चा बाद में की जाए, दो सत्र के बाद की जाए, मगर वे नहीं माने, हमने हामी भर दी।

मान्यवर, मेरा यह बताना दायित्व है कि हमने क्यों ?ना? कहा था। ?ना? बोलने के दो कारण थे। एक कारण था कि वे गहन पुनरीक्षण के नाम पर चर्चा मांगते थे, एस.आई.आर. के नाम पर मांगते थे। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एस.आई.आर. पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के तहत काम नहीं करते हैं।? (व्यवधान) अगर उस पर चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे, तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन्होंने कहा कि हम ?चुनाव सुधार? पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो हम इसके लिए तुरन्त मान गए और आज ?चुनाव सुधार? पर यह चर्चा हो रही है।? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : चुनाव आयोग तो आपका ही है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय दादा, प्लीज़।

श्री अमित शाह : दादा, आप बीमार हैं, मैं समझ रहा हूं, मगर ज्यादा बीमार हैं तो घर पर रहा कीजिए, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, माहौल ठीक रहना चाहिए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : यह मेरे और दादा के बीच में व्यक्तिगत बात है।? (व्यवधान)

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष से 63 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। चर्चा के लिए जितना समय तय हुआ था, उससे ज्यादा समय आपने दिया है, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, चर्चा ?चुनाव सुधारों? के बारे में तय हुई थी, मगर विपक्ष के ज्यादातर माननीय सदस्यों ने एस.आई.आर. पर ही चर्चा की। अब इन्होंने जिस तरह से चर्चा शुरू की है, उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं मानता हूं कि उनको सुनना भी चाहिए।

मान्यवर, इस एस.आई.आर. पर, गहन पुनरीक्षण पर एकतरफा चार महीने से झूठ फैलाया गया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मेरा सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है।

-

17.00 hrs

एसआईआर की प्रक्रिया तथा इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए हैं, उन सभी का मैंने गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से देश की पूरी जनता को, जो झूठ विशेष कर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, उस झूठ का मैं अपने तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे ज्ञान मत दीजिए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, इस देश के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की रचना हुई है। चुनाव आयोग एक प्रकार से संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने तथा उसको सुधारने की शक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान किये गये हैं।

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि जब ये प्रावधान किये गये थे, तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावा जो लोग हैं, उन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा करके संविधान को बनाया था। ये पूरी चुनावी प्रक्रियाएं संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई हैं और आज जो हो रहा हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इस बारे में मैं जवाब देना चाहता हूं। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दी है। मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन सभी चुनावों का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हों, इसका दायित्व राष्ट्रपति जी को दिया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 325 है, उसके अनुसार किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता है और यह इसका प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 326 गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, अनुच्छेद 326 क्या है? आर्टिकल 326 में मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें तय की गई हैं। वे शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहली शर्त है। वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों यह कर रहा है। भाई, यह उसका दायित्व है, इसलिए वह कर रहा है। दूसरी शर्त है कि 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरी शर्त वैधता का निर्धारण, मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय-समय पर तय किया, उसके बारे में है। इन तीन पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है।

मान्यवर, इन तीनों चीजों को किसे देखनी है? यह चुनाव आयोग को देखना है, इसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना है। ऑर्टिकल 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश, संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीश तिवारी कह रहे थे कि गहन पुनरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। ऑर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है।

मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है? मैं इनको थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ। एक नई फैशन हो गई है कि इतिहास बताते हैं, तो आप नाराज हो जाते हैं कि इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत वर्ष 1952 से हुई, तो सबसे पहला गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कब हुआ, वर्ष 1952 में। वह कहते हैं कि एसआईआर की जरूरत क्यों है, इसलिए मैं कहता हूँ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहर लाल नेहरु थे। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। दूसरा एसआईआर कब हुआ? वर्ष 1957 में फिर जवाहर लाल नेहरु प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा

एसआईआर वर्ष 1961 में हुआ, उस समय भी जवाहर लाल नेहरु प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से थे। वर्ष 1965-66 में भी हुआ। एक ही गहन पुनरीक्षण दो साल में हुआ, उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। वर्ष 1983-84 में हुआ, इंदिरा जी थीं। वर्ष 1987-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। वर्ष 1992, 1993 और 1995 में हुआ, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2002 और 2003 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी   थे।

मान्यवर, वर्ष 2004 में गहन पुनरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2002, 2003 और 2004 का एक गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हुआ, उसमें दो साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे और एक साल डॉ. मनमोहन सिंह थे। वर्ष 2004 के बाद सीधा वर्ष 2025 में गहन पुनरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। इस पूरी गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का वर्ष 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि यह चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव, जिसके आधार पर होते हैं, वह मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय-समय पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि वर्ष 2025 में इसे किया जाएगा।

मान्यवर, बीच में एक घटना में जरूर कहना चाहूँगा। वर्ष 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई, तो भी नाम नहीं कटते थे। कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, तो भी नाम नहीं कटते थे। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, तो वह कोयम्बटूर से शिमला चला गया। भारत सरकार का कर्मचारी है, तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था और शिमला में भी रहता था, क्योंकि वर्ष 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते हैं और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।

मान्यवर, यह गहन पुनरीक्षण क्या है? यह गहन पुनरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम कट जाएं। जो 18 साल से बड़े हो गए हैं, उनके नाम जुड़ जाएं। जो किसी भी प्रकार से दो जगह मतदाता हैं, उनके नाम कट जाएं और जो विदेशी नागरिक हैं, उनके नाम चुन-चुनकर डिलीट किए जाएं। यह गहन पुनर्निरीक्षण है।

मान्यवर, मैं आज इस मंच से और आपके माध्यम से, इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि क्या किसी भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है, जब देश का प्रधान मंत्री और राज्य का मुख्य मंत्री कौन हो, वह घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, सुरक्षित नहीं रह सकता है। ? (व्यवधान) क्या एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए? क्या एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए? यह एसआईआर और कुछ नहीं है, यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूँ कि इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वे भी चले जाएंगे।

मान्यवर, हमें भारतीय होने के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधान सभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और मेरा विनम्र मत है कि यह नहीं देना चाहिए। ? (व्यवधान) दादा, बैठ जाइए। ? (व्यवधान)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The issue of citizenship comes under the Home Ministry, not the Election Commission. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदया ने बोला कि इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है। लाल बाबू हुसैन केस, सन् 1995 में एक वाद हुआ। भारत की सर्वोच्च अदालत तक वह वाद पहुंचा। लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वाद का 1995 में जजमेंट आया और उसमें अदालत ने स्पष्ट कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है, वहां रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा, यह इनकी ड्यूटी है और यह हमारा निर्णय नहीं है, बल्कि भारत की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए हैं। अगर किसी को भी वेरीफाई करना है तो लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1995 का जजमेंट निकालकर दे दें।

मान्यवर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवम्बर, 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब उस परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्टता की कि हाउस नम्बर - 265 कोई छोटा मकान नहीं है और एक एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नम्बर नहीं दिया गया है। इसलिए सब जगह हाउस नम्बर - 265 दिया गया है। एक परिवार की तो तीन पीढ़ियां साथ में रह सकती हैं और पुराने नम्बर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई, तब से यह नम्बर इसी तरह से चल रहा है। यह न कोई फर्जी घर है, न फर्जी वोटर्स हैं।

मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए ? (व्यवधान) मेरा भाषण पूरा हो जाने दीजिए।? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (रायबरेली) : सर, मेरा नाम लिया गया है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अभी पूरा भाषण होने दीजिए। अभी कई बार नाम आएगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि मुझे दो मिनट सुन लें, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिएगा। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा भाषण समाप्त हो जाए।? (व्यवधान) मेरी बात सुनिए ? (व्यवधान) जब दो बड़े बोलते हैं, तब बीच में नहीं बोलते हैं। ? (व्यवधान) मेरा भाषण समाप्त हो जाए ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। नहीं।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर मेरा भाषण समाप्त हो जाए, उसके बाद इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मैं मेरी मर्यादा में जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मेरी विनती है। मेरी विनती इसलिए है? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, उनको पूरी बात करने दें।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मेरी विनती है ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठे-बैठे डिबेट नहीं करते हैं।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मेरी विनती इसलिए है कि जो मुद्दा वह खड़ा करना चाहते हैं, उसका जवाब शायद मेरे भाषण में आगे आ जाएगा, तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। ? (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे पूरा सुन लिया जाए।

मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 वर्ष की है, उसे 124 वर्ष बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 वर्ष छपी थी। बाद में मिन्ता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गयी, जिसके कारण उम्र 124 वर्ष छप गयी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिया गया। सुबोध कुमार, नवादा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए हैं, इनका नाम कभी वोटर लिस्ट में आया ही नहीं। वह भी सत्य नहीं निकला। रंजू देवी, रोहतास के बारे में कहा गया कि एक कार्यकर्ता हैं। रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया कि जबरन बुला कर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। बाद में रंजू देवी जी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने यह गलत जानकारी दी थी।

मान्यवर, यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने देश में जिस प्रकार का माहौल बनाया। मैंने जो आरोप लगाए गए थे और उसका सत्य क्या है, वह बताया। मगर, मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक

नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि फिर गहन पुनरीक्षण अभियान क्या है? एसआईआर क्या है? यह मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया है। हम वह कर रहे हैं, तो भी आप विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची से कर रहे हैं, तब भी विरोध कर रहे हैं। मतदाता सूची पुरानी हो या नयी आपका हारना तय है। यह मतदाता सूची से नहीं होता है।

मान्यवर, उन्होंने अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होती है, जो जनहित के विरुद्ध काम करते हैं। यह बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार-बार चुनकर आती हैं, चाहे वह राज्य में हों या केंद्र में। परंतु, ऐसा नहीं है कि हम वर्ष 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में हारे, वर्ष 2018 में राजस्थान में हारे, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में हारे, वर्ष 2014 के बाद कर्नाटक में हारे। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाये। चेन्नई में हम जीत नहीं पाए। बंगाल में भी हम हारे। जब हम हारते हैं, तब तो मतदाता सूची बहुत सही होती है, आप टप से नए कपड़े पहन कर शपथ ले लेते हैं। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, लेकिन जब बिहार की तरह मुंह की पटखनी पड़ती है, तब मतदाता सूची का विरोध करते हैं।

मान्यवर, लोकतंत्र में ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जब आप जीतते हो तो चुनाव आयोग महान है और जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी के कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो तो मतदाता सूची अच्छी है और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ये लोग इस तरह की भ्रांति फैलाएं तो फैलाएं। मेरा दायित्व है इस तरह की डूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देश की जनता को देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं।

मान्यवर, मैं आगे भी इस विषय को कहूंगा और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब हैं। तीन प्रेस कांफ्रेंसज़ की गईं। एक सादा प्रेस कांफ्रेंस, दूसरा एटम बम वाला और तीसरा परमाणु बम वाला, लेकिन इन तीनों में क्या हुआ, उन सबके जवाब मेरे पास हैं।

मान्यवर, यह कहते हैं कि दो-दो जगह मतदाता हैं। मान्यवर, किन-किन लोगों के दो-दो जगह मतदाता सूची में नाम हैं? मैं इसमें उनके दोष नहीं निकालता, जिनके दो जगह मतदाता सूची में नाम हैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गया है तो वर्ष 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई हैं। किनके दो जगह मतदाता सूची में नाम हैं? एक तो प्रशांत किशोर जी के दो जगह मतदाता सूची में नाम हैं। पवन खेड़ा जी का भी है। तेजस्वी यादव जी का भी है। टी. सिद्दिकी, एनआईसी, केरल के नेता का है। संजय सिंह जी, नेता आप पार्टी के हैं। श्रीमती किशोरी पेडनेकर, शिवसेना (यूबीटी) का भी है। मान्यवर, ये एक सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसमें वोट काटने का जिसका अधिकार है, उसको रोक लिया

गया। आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए दो जगह रह गया। अब वही इस गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हैं।

मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं, जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं।

श्री राहुल गांधी : महोदय, आपने मुझे कहा था कि आपको दो मिनट के बाद बोलने का मौका दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए।

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसिजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्युनिटी दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : आपके इस प्रश्न का जवाब भी वह देंगे।

श्री राहुल गांधी : सर, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। इसके पीछे क्या थिंकिंग थी, वह हमें सबसे पहले बताएं। इन्होंने हरियाणा की बात कही और इन्होंने एक उदाहरण लिया, लेकिन वहां अनेक उदाहरण हैं।

माननीय अध्यक्ष : वह उदाहरण भी आपने ही दिया था, इसलिए उन्होंने उसका जवाब दिया।

श्री राहुल गांधी : वहां पर 19 लाख फेक वोटर्स हैं। इसके बारे में भी हमें बता दीजिए।

Actually, let us have a debate on my Press Conferences. ? (*Interruptions*) Let us go. ? (*Interruptions*) It is a very good idea. ? (*Interruptions*) Let us have a debate on my Press Conferences. ? (*Interruptions*) Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three Press Conferences. ? (*Interruptions*) इसका भी जवाब दे दीजिए कि बीजेपी के जो नेता उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हैं, वे दोनों चुनावों में वोट कैसे दे रहे हैं।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं 30 साल से विधान सभा और संसद में जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहा हूँ। मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए। आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ? (व्यवधान) संसद इस तरह से नहीं चलेगी। ? (व्यवधान) मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए।? (व्यवधान) उनको मेरा जवाब सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए।? (व्यवधान) इनकी एक-एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वह तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ने क्या गलत बोला? इन्होंने यही बोला कि आपने जो बात उठाई है, उसके बारे में कब बोलना है, वह मैं तय करूंगा। इसमें आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। आपके दो-दो मिनट में खड़े होने से थोड़े ही ये जवाब देते रहेंगे।

माननीय गृह मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको फिर बोलने का मौका दूंगा।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, अभी आपने अमीत शाह जी का रेस्पांस देखा। यह कम्प्लीटली डिफेंसिव रेस्पांस है। यह घबराया हुआ रेस्पांस है। यह डरा हुआ रेस्पांस है। यह सच्चा रेस्पांस नहीं है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप पूरी बात सुन लीजिए।

माननीय गृह मंत्री जी।

? (व्यवधान)

***m63 श्री अमित शाह :** मान्यवर, मैं आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा। मैं अपने विषय पर बोलूंगा।

मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं अपने भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। अपने भाषण में पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, वह मैं तय करूंगा। मैं मानता हूं कि हरेक वक्ता का यह अधिकार है। उनका भी है और मेरा भी है। कल वे बोल रहे थे तो हम लोग ने ऐसा नहीं बोला कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने नहीं बोला। हम नहीं बोल सकते हैं। वे माननीय विपक्ष के नेता हैं, वे अपना पक्ष बोल सकते हैं। मैंने तो यह भी कहा कि मेरा पूरा भाषण होने के बाद कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन, इसके लिए धैर्य चाहिए और सुनना भी चाहिए। दोनों चीजें करनी पड़ती हैं।

मान्यवर, वोट चोरी, वोटी चोरी का कोहराम मचा हुआ है। वोट चोरी किसको कहते हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। वोट चोरी के तीन आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हैं, उसको वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, यदि आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हैं तो वोट चोरी माना जाएगा और तीसरा यदि

आप जनादेश को डिफाई करते हैं, मतलब वोट के विपरीत यदि आप कोई पद प्राप्त कर लेते हैं तो वह भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। ? (व्यवधान) अरे, सुन लीजिए। मणिक्कम जी, क्यों जल्दबाजी करते हैं? अब मैं तीन वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना आजादी के बाद हुई। देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय किसको करना था? उस वक्त के जितने प्रांत थे, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष को तय करना था। उनके एक-एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल जी को मिले और दो वोट जवाहर लाल नेहरू जी को मिले और प्रधानमंत्री जवाहर लाल जी बने। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। हर बार नहीं उठते हैं।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी, अनैतिक तरीके से चुनाव हो जाना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री राज नारायण पहुंचे कि यह चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है। हम इसे रद्द करते हैं।? (व्यवधान)

मान्यवर, यह भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि आप चुनाव आयोग की इम्युनिटी की बात पूछ रहे हैं, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन जो इम्युनिटी श्रीमती गांधी ने स्वयं को दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? उन्होंने तो स्वयं के लिए इम्युनिटी ले ली थी।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, सदन ऐसे नहीं चलता है। अब आप पांच-पांच मिनट में उठेंगे क्या? सभी ने बोला है। कोई भी सदस्य एक-एक मिनट में नहीं उठेगा।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : यह लोकतंत्र है, उन्हें फिर से प्रधान मंत्री बनाया।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोकतंत्र ने ही प्रधान मंत्री बनाया है।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : बिल्कुल सर।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो उस समय का केस था, उस समय का केस बताया है।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मोदी जी को भी लोगों ने प्रधान मंत्री बनाया है। आपकी कृपा से नहीं बने हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप दो-दो मिनट पर खड़ी हो जाती हैं।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा है कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्युनिटी दी है। इनका आरोप सत्य नहीं है। मैं इसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन मान लीजिए कि हमने चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी दी, लेकिन श्रीमती गांधी ने तो अपने आपको इम्युनिटी दे दी थी।? (व्यवधान) फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वे केस जीतने के लिए दो, तीन और चार नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस को बाईपास करके, चौथे नंबर के जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाया और उसके बाद वहां केस भी जीत लिया।

मान्यवर, यह तो इतिहास है, इसे कौन झुठला सकता है। इनको कोई इतिहास पढ़ाता नहीं है क्या? यह सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके लिए ललन सिंह जैसे कितने लोग इमरजेंसी के खिलाफ बिहार में पूरे जीवन लड़े और जेल में गए, लाखों लोग जेल में गए।? (व्यवधान)

मान्यवर, तीसरी वोट चोरी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं और मतदाता बन जाना। अभी-अभी एक वाद दिल्ली की सिविल अदालत में पहुंचा है। उसमें डिस्प्यूट यह है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बनीं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बोल क्या रहे हैं, पूरी बात सुनिए।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में एक केस चल रहा है, जो फैक्चुअल है। अब जवाब सोनिया जी को अदालत में देना है। यह यहां क्यों जवाब दे रहे हैं?? (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : भाषण के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री के. सी. वेणुगोपाल: सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 352 है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे याद है, जो माननीय सदस्य नहीं हैं। 352 टेबल पर रहता है, मुझे 352 मुंह ज़ुबानी याद है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Let him prove that Sonia Ji voted in that election. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: आपने एक मुद्दा खड़ा किया है, तो मुझे जवाब देने दीजिए। ? (व्यवधान) मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दिल्ली की अदालत में दायर हुआ है। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा।? (व्यवधान) मैंने कहां कंक्लूजन कहा? ? (व्यवधान) मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। ? (व्यवधान) कंक्लूजन तो जब नोटिस का जवाब वे देंगी, तब अदालत देगी।?(व्यवधान) तब फिर से मैं बताऊंगा।? (व्यवधान) मगर अभी मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतना लाल-पीला होने की जरूरत क्या है? ? (व्यवधान)

मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है। हम भी विपक्ष में बैठ चुके हैं। हम जितने चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों की तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चली गई। चाहे राज्य हो या केंद्र हो, कई चुनाव हम हारे। हमने कभी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया। एक नया पैटर्न खड़ा हो गया है। मैं पूरा वाकिया नहीं बताना चाहता हूं। सुश्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, वी डी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खरगे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी सिवनकुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवन्त मान जी ने लगाए। पहले तो ऐसी परम्परा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी। मगर सम्पर्क का दोष कैसा होता है, ये सारे इंडी एलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आ गए।

मान्यवर, चुनाव आयोग, तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया। इसकी मान्यता किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, बल्कि भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके, अनर्गल आरोप करके आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरी दुनिया में छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। न जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ? (व्यवधान) सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे? मगर मतदाता के सोचने का सवाल नहीं है, मतदाता को मालूम है कि हमने वोट दिया है, इसलिए ये चुनकर आए हैं। उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी, वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में दो-तिहाई बहुमत से हम जीत गए। यह जो नई परम्परा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते, तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, यह हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। इसी आयुक्त और इसी सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते हैं। हम कुछ नहीं बोले और हमने पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की। ? (व्यवधान)

महोदय, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़े देना चाहता हूं। मई, 2014 में श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने और तब से इनको आपत्ति है। एनडीए क्या-क्या जीती? हम तीन लोकसभा चुनाव जीते और 41 राज्यों के विधान सभा चुनाव जीते। हम वर्ष 2024-25 तक टोटल 44 चुनाव जीते, ये भी अलग-अलग विधान

सभाओं में 30 चुनाव जीते, 30 जगहों पर जीते। अगर मतदाता सूची करप्ट है तो क्यों शपथ ली? क्यों चुनाव लड़ा? आप देश की जनता को बताइए। ? (व्यवधान) जहां से राहुल गांधी चुनकर आए थे, वायनाड की मतदाता सूची में मेरी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेस करके इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया लेकिन ये इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी के बारे में भी बताया है, लेकिन इसका भी जवाब नहीं देते।

मान्यवर, चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी-बहुत गलतियां हैं, इसे ये लोग चुनाव हारने का मुद्दा बनाते हैं। मैं अंत में चुनाव हारने का कारण बताऊंगा कि क्यों हारते हैं। ? (व्यवधान) मैं अंत में बताऊंगा। चलो, अगर फिर भी मान लें कि मतदाता सूची ठीक नहीं है तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया है। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं। आप इनके बहिष्कार का ऐलान करते हैं। जहां आपकी राज्य सरकारें हैं, कम मदद करती हैं तो कैसे मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण होगा? जो आपकी डिमांड है, वही तो चुनाव आयोग कर रहा है। आपको मालूम है कि हुआ क्या है? इनको अगर प्रेस में कोई पत्रकार ऐसा सवाल पूछे, जो इनको पसंद न आए तो कहते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। ? (व्यवधान) सवाल जो भी हो, उसको लेना चाहिए। ? (व्यवधान)

मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। ? (व्यवधान) मगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकार ऐसे सवाल पूछें जो आपको पसंद न आएं तो यह नहीं हो सकता क्योंकि यह इमरजेंसी नहीं है, भाई। ? (व्यवधान) यह इमरजेंसी नहीं है।? (व्यवधान)

मान्यवर, प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। ? (व्यवधान) केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ जाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली लेकिन फिर भी हार गए।? (व्यवधान) हारने का कारण आपका नेतृत्व है, हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है। ? (व्यवधान) अगर ये लोग यह मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। ? (व्यवधान) कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए? ? (व्यवधान)

मान्यवर, आजादी के इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आते हैं।? (व्यवधान) अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इम्पीचमेंट लेकर आते हैं। ? (व्यवधान) सबने तो साइन कर दिए, साथ ही उद्धव जी ने भी साइन कर दिए। ? (व्यवधान) उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है, हां, सबसे ऊपर दीया जलाया जाए। ? (व्यवधान) वोट बैंक को संभालने के लिए हाई कोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। ? (व्यवधान) देश की जनता इनकी मदद नहीं करेगी। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : गौरव जी, बैठ जाइए। अब नया मुद्दा शुरू हो रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मणिक्कम जी, बैठिए। यह तरीका ठीक नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको ज्यादा समस्या है? क्या हर दो मिनट में खड़े होने की आपको समस्या है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए। ऐसे नहीं चलेगा।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, वर्ष 2014 के बाद? (व्यवधान)

दादा, ये लोग भी बैठ गये, आप भी बैठ जाइए ।? (व्यवधान) मान्यवर, वर्ष 2014 के बाद हारने की परम्परा शुरू हुई। हारने की परम्परा शुरू होने के बाद? (व्यवधान) हाँ-हाँ जीते ही हैं ।? (व्यवधान) मगर हारने की भी परम्परा शुरू हुई है ।? (व्यवधान)

मान्यवर, हारने की परम्परा शुरू होने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस देश में ईवीएम कौन लेकर आया? 15 मार्च, 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब ये राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं ।? (व्यवधान) आप सुनिए न, इसकी क्या प्रकिया हुई ।? (व्यवधान) इसके बाद किसी ने ईवीएम के खिलाफ याचिका दी। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को वर्ष 2002 में उचित ठहराया। ये राजीव गांधी को भी नहीं मानते हैं, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सिर्फ 16 विधान सभाओं में इसका ट्रायल किया गया ।? (व्यवधान) हुड्डा जी, कितना केयरफुल है, मैं यह भी बताता हूँ, आप बैठिए ।? (व्यवधान) चुनाव आयोग इतना केयरफुली आगे बढ़ा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के सिर्फ 16 विधान सभाओं में इसका ट्रायल किया गया। हर प्रकार से चेक करके ईवीएम का उपयोग पूरे देश में सबसे पहले वर्ष 2004 में

हुआ था। मान्यवर, वर्ष 2004 का महत्व है। सबसे पहले वर्ष 2004 में इसका उपयोग हुआ। पूरे लोक सभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग हमारे समय में हुआ। इसे राजीव गांधी लाये। वर्ष 2004 में चुनाव कौन जीता था? वे चुनाव जीते। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद।? (व्यवधान) वर्ष 2009 का चुनाव पूरी तरह ईवीएम से हुआ। ये जीत गये। इन्होंने चुप्पी साध ली। वर्ष 2014 में हम जीते, तो काँव-काँव करना शुरू कर दिया।? (व्यवधान)

मान्यवर, यह क्या है? जब कानून आप लाये, आपने मशीन इंट्रोड्यूस की, पहला चुनाव मशीन से आप जीते, दूसरा चुनाव जीते, मौज से दस साल राज किया और हार गये तो रोते हैं। देश की जनता इसको मानती है।? (व्यवधान)

दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को भी लगा कि सच्चे-झूठे आरोप होते हैं, तो इस पर रिसर्च की एक प्रक्रिया हुई। पाँच साल रिसर्च के बाद वीवीपीएट का इंट्रोडक्शन हुआ। वीवीपीएट क्या है? ? (व्यवधान) मान्यवर, मैं जब वोट के लिए बटन दबाता हूँ, मैंने कमल के निशान पर बटन दबाया, तो एक पर्ची निकलती है कि आपका वोट कमल के निशान पर रजिस्टर हो गया है। फिर भी आरोप लगाए गए कि ये पर्ची और ये दोनों अलग हैं। चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि पांच प्रतिशत ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम मिलाए जाएंगे। तब ईवीएम को ओपन किया गया, उसमें 396 वोट्स मिले, तो वीवीपैट में कितने वोट्स मिले हैं, उसमें 396 वोट्स हैं या नहीं हैं, ऐसा पांच प्रतिशत मशीनों में मिला है।

मान्यवर, मैं आज चुनाव आयोग से पूछकर कुछ आंकड़े लेकर यहां आया हूं कि कितने वीवीपैट और ईवीएम्स का मिलान नहीं हुआ है। आज तक कुछ हजारों बूथों का ईवीएम और वीवीपैट्स का मिलान हुआ है। उनके परिणाम में एक भी वोट का बदलाव नहीं हुआ है। जब मत गणना होती है, तब वहां उनके पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं। वे परिणाम पर हस्ताक्षर करते हैं। वे ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम पर भी हस्ताक्षर करते हैं। ये इस पर आरोप लगा रहे हैं।

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि उस वक्त वाई-फाई नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि वर्ष 2004 में वाई-फाई आ चुका था। फिर भी मान लेते हैं। ये आरोप लगाते रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 में एक ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर एक कदम उठाया था। तब 10 राज्यों में 100 ईवीएम्स लगाई गई थीं। सब लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन वर्ष 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया। फिर भी आरोप लगाए गए।

निर्वाचन आयोग ने जून, 2017 में तीन दिन तक ईवीएम को अपने ऑफिस में रखा और कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी टेक्नोक्रेट या कोई भी वैज्ञानिक ईवीएम को हैक करके दिखा दे। ये तो वहां गए ही नहीं। ये नहीं गए। ये सिर्फ प्रेस के पास जाकर आरोप लगाते हैं। ये न ही अदालत में जाते हैं और न ही चुनाव आयोग के पास जाते हैं। मगर कोई एक्सपर्ट भी वहां नहीं गया। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते, लेकिन कोई एक्सपर्ट भी नहीं भेजा गया।

मान्यवर, वर्ष 2017 में चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। अब चुनाव आयोग ने निर्णय दे दिया, मगर मैं भी थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। मैंने सोचा कि ? अब चुनाव आयोग कहता है

कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं। ? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : महोदय, यह असंसदीय शब्द है।

श्री गौरव गोगोई : क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं? ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है, तो आप उसको संसदीय कार्यवाही से निकाल दीजिए। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने सोचा कि जब कोई गलती नहीं है, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थीं, तो पूरे के पूरे वोट्स के बक्से हाइजैक कर लिए जाते थे। ईवीएम आने के बाद यह बंद हो गया। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है। चुनाव जीतने का तरीका या जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेज़ थीं, इसलिए ये चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है, तो आप चुनाव जीत सकते हैं, जीतो, उसका स्वागत है। मगर जब आप हारते हैं, तो अन्य कारण बताते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि ऐसा बताना, यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, कल मैंने स्वयं यहां बैठकर विपक्ष के नेता का भाषण सुना था। उनका पूरा भाषण धागों में उलझ गया था। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदयों से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के एक महीने पहले प्रधानमंत्री का शेड्यूल देखिए और लगभग 140 महीने हो गए हैं, आप इनमें से किसी भी एक महीने का शेड्यूल दिखाइए। प्रधानमंत्री जी की गति ही इतनी है, आप किसी भी महीने का रिकॉर्ड देखेंगे, तो इतने ही प्रवास मिलेंगे। इसमें चुनाव का कोई लेना-देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री हैं।

साहब, मैं नरेन्द्र मोदी जी को जानता हूं। मैं बता सकता हूं कि वर्ष 2001 से एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वेकेशन नहीं, वे लगातार जनता का काम कर रहे हैं। ? (व्यवधान) मैंने उनको वेकेशन पर कभी नहीं देखा। हम कई बार उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, तो बी.पी. बढ़ जाता है। ? (व्यवधान) ये अभी फिर उठ जाएंगे। ? (व्यवधान) यह पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। आज मैंने यह भी जांच की ? (व्यवधान) आप सुनिए और थोड़ा धैर्य रखिए। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयोग के यहां जांच कराई। जांच का मतलब कोई गोपनीय चीज़ नहीं पूछी है। अब इसका इश्यू मत बनाइएगा। मैंने यह पूछा कि चुनाव सुधार के लिए, मई 2014 के बाद कौन-सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि जो चुनाव सुधार करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है? चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों

के साथ चर्चा करके, चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। यह प्रक्रिया है। इसलिए, मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो-हल्ला हुआ, तो ढेर सारे चुनाव सुधारों के सुझाव कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका उल्लेख कर दूं, लगे हाथों उसकी भी बात कर लूं। इसमें गोपनीय क्या है? जब मैंने यह पूछा, तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि मई, 2014 से आज तक चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला है। ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : हमने कितनी चिट्ठियां दी हैं। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठिए। मैं बताता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इतने सवालों के जवाब पूछेंगे?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं चलेगा। आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी बोले हैं। क्या हर विषय पर आप एक-एक बार उठेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप हर चीज़ का जवाब पूछेंगे?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : चुनाव आयोग विपक्षी दलों को कभी उत्तर नहीं देता है।? (व्यवधान) वे हमसे मिलते भी नहीं हैं। ? (व्यवधान) वे सिर्फ सरकार से ही मिलते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अच्छी परंपरा बनाए रखिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर दो मिनट पर नहीं उठते हैं। प्लीज़, आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। प्लीज़, बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह परंपरा कभी नहीं रही कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो, तो हर विषय पर बैठे-बैठे टिप्पणी करना या हर विषय पर खड़े होकर सवाल पूछना है। यह परंपरा कभी नहीं रही है। आपने भी आज भाषण दिया है। क्या आपसे किसी ने बीच में उठकर पूछा? आप अच्छी परंपराएं लागू कीजिए और सदन को अच्छी तरह से चलाइए।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं अपने स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चुनाव सुधार का एक भी प्रपोज़ल नहीं दिया है।

श्री के. सी. वेणुगोपाल : स्पीकर सर, यह असत्य है। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं। मैंने उनकी प्रेस कांफ्रेंस भी देखी है। उनकी प्रेस कांफ्रेंस थी कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है, वह ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का था। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के जो नियम तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है और कोई मांगे, तो उसको समय भी देना पड़ता है। ये दो अलग चीजें हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, आप एक मिनट के लिए रुकिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

माननीय गृह मंत्री जी ? अब आप बोलिए।

<u>18.00 hrs</u>

श्री अमित शाह : मान्यवर, कल विपक्ष के नेता ने तीन सवाल पूछे थे और चार सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया? यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि दिसंबर, 2023 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई? तीसरा क्वेश्चन था कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में नष्ट करने का कानून क्यों लाया गया? हम कानून नहीं लाए हैं, चुनाव आयोग ने सर्कुलर इश्यू किया है। लेकिन, ठीक है, मैं अर्थ समझ रहा हूं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तीन जवाब देने हैं।

मान्यवर, मैं इनमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मुझे पूरा सुनकर ही आप लोग आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास्ट से ही, लेकिन, वर्तमान का भी जवाब दूंगा।

मान्यवर, 73 वर्षों तक इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। सभी माननीय सदस्य मुझे ध्यान से सुनें। 73 सालों तक इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे नियुक्ति कर देते थे।

मान्यवर, मैं आज पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि टोटल, अब तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त हुए, वे सभी इसी प्रकार से हुए। वर्ष 2023 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1979 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को फाइल भेजते थे और राष्ट्रपति जी बाद में नोटिफिकेशन कर देते थे। उस वक्त बराबर चुनाव था। ? (व्यवधान) नहीं, नियुक्ति की प्रक्रिया ? (व्यवधान)

मान्यवर, इनके पूरे 55 सालों में प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। तब तक कोई सवाल नहीं था और श्री नरेन्द्र मोदी करते हैं, तो उन पर सवाल उठाते हैं। ? (व्यवधान) लेकिन, मान्यवर, हमने तो ऐसा भी नहीं किया। फिर वर्ष 1989 से वर्ष 1991 - जब वर्ष 1989 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। यह बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ। परंतु, वे भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते थे।

मान्यवर, 49 मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इसी प्रकार से हुए, जिन्हें प्रधान मंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी और कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। लेकिन, आज आरोप लगाना है कि आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया। यह कहने से कुछ नहीं होता, जनता हमको सुनती है भाई और हम जवाब भी देते हैं। ? (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2023 तक कोई कानून नहीं था। बाद में, वर्ष 2023 में श्री अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार एक मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। यह सुझाव ही था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कन्सेंट दी। उन्होंने कहा कि हमें कानून

बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कन्सलटेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्ग्युमेंट पढ़कर करता हूं, अगर आप सहमत हैं, तो जब तक कानून नहीं बनता, एक समिति बने, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता उसके मेंबर हों। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हां बोला। विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजेआई थे।

मान्यवर, वर्ष 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री जी मंत्री तय करेंगे वह एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये तीन लोग बैठकर मेरिट्स में चर्चा करके चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।

मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शिता है। ये कह रहे हैं कि हमारा तो 33 परसेंट ही हिस्सा है। 33 परसेंट तो है न? ? (व्यवधान) हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं। वर्ष 2012 में सीईसी की नियुक्ति होनी थी। आडवाणी जी ने लिखकर सुझाव दिया कि एक प्रणाली बनाई जाए, लेकिन नहीं बनाई गई और वी.एस. सम्पत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद भी एकल व्यक्ति कैसे हैं, इसकी चर्चा है। नवीन चावला, जिसको आपालकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। जबकि, मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, लेकिन खारिज कर दिए और सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय में विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसी ने नहीं दिए। भाई, जहां तक 66 परसेंट एवं 33 परसेंट का सवाल है और आप कह रहे हैं कि वहां दो लोग होते हैं तथा आप एक होते हैं, यह हम तय नहीं करते हैं, बल्कि 140 करोड़ जनता तय करती है कि कौन 66 होगा और कौन 33 होगा। यहां कौन बैठेगा, यह तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं। अगर वह आपके लिए तय करेंगे, तो आप 66 हो जाएंगे, मगर आप तो 100 रखकर गए थे, लेकिन हमने 33 दे दिया।

मान्यवर, ये क्या सवाल उठाते हैं? वह समझते है कि मैं बोलता हूं, तो बस वह ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसा नहीं होता है। हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं, वह भी ठीक से तैयार नहीं करते हैं और रिसर्च नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन इस पर आपत्ति उठाई गई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। वह है कि उम्मीदवार चुने जाने के बाद आप 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यह नियम वर्ष 1951 में बना। उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। चुनाव आयोग ने बाद में सीसीटीवी फुटेज एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव करके ऐड किया। अब चुनाव आयोग ने क्या किया है? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है, उसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब एलाइन किया है। एक्ट में 45 दिन

के बाद डिस्प्यूट का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना है। अब इतनी समझ नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? समझ का कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि भड़ाक से दे दिया जाए।

मान्यवर, ये धारा 81 वर्ष 1951 के एक्ट में से है। पहले पर्चियों से चुनाव होते थे, तो पर्ची के लिए थी और अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया है, तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया है। जब सीसीटीवी फुटेज प्रक्रिया में ऐड किया, तब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन है? चुनाव सीज होने के बाद अगर कोई पुन: मतदान की अर्जी करता है और कहता है कि इस मतदान केन्द्र पर चुनाव ठीक नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है, वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो सीसीटीवी फुटेज स्वीकर कर लिया। अब यह आंतरिक प्रबंधन के लिए है, फिर भी जो चुनाव आयोग का निर्णय है, उसे मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। यह रूल्स बनाया गया है कि सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे कि 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर तो कर सकता है कि आप ये सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय मत करना। उन्होंने राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का प्रावधान किया है, तो वह राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर चुनाव को चैलेंज करे। ऑटोमैटिक जो चुनाव चैलेंज होता है, उसका सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग नियमों से रिज़र्व कर देता है।

मान्यवर, यह एक प्रक्रिया है। ये कुछ नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होना चाहिए, तो पॉलिटिकल एजेंट भी हाई कोर्ट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप करते कुछ नहीं हैं। न हाई कोर्ट में अर्जी की, न चुनाव आयोग में की और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज बिना किसी कारण के हर नागरिक मांगने लगा, तो चुनाव आयोग किस प्रकार से दे सकता है? यहां क्या हुआ है कि वे प्रेस कांफ्रेंस पर सब प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कांफ्रेंस संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। आप जिन मुद्दों पर प्रेस कांफ्रेंस करते हो, इसकी लिखकर अर्जी दे दो सारी चीज तुरंत मिल जाएंगी, परंतु वे अर्जी नहीं करते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं और चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आप इस देश के लोकतंत्र को धूमिल नहीं कर सकते हैं। सबको सीखना चाहिए और भाषण ढंग से तैयार करना भी सीखना चाहिए।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि सीईसी को वर्ष 2023 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी गई है। Representation of the People Act, 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उसमें जरा भी बढ़ोतरी नहीं की गयी है। हमने सिर्फ Representation of the People Act, 1951 के एक्ट की पुनर्रावृति की है। आरपीए एक्ट की धारा 32, आरपीए एक्ट, 1951 के सुधार की धारा 146(सी) कहती है कि चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी, जिसमें इलेक्शन कमीशनर आ जाते हैं, इन पर चुनाव प्रक्रिया के लिए कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। यह प्रावधान

है और देश के कानून में इस प्रावधान को भी संरेखित किया है। इतने सारे वकीलों को राज्य सभा दे रखी है, भगवान जाने वे सब क्या करते हैं। अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते हैं। ? (व्यवधान) मान्यवर, यह वाकया आप निकाल सकते हैं। ? (व्यवधान) मान्यवर, फिर यह सब हो रहा है, कल देर रात को मैं मेरा भाषण तैयार कर रहा था, तो मैंने अपने आप को पूछा कि यह सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? जब इतना पढ़कर मेरी समझ में आता है, तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। यह मुद्दा क्यों उठ रहा है? मूल मुद्दा अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का है। ? (व्यवधान) मान्यवर, इन लोगों ने ? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL : Sir, it is completely misleading.? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका भाषण भी सबने शांतिपूर्ण सुना, आप भी सुनने का सामर्थ्य रखो।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, this is not the answer.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, प्लीज बैठिए।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, the hon. Minister has been speaking for one hour and everything that he has said is untrue.

माननीय अध्यक्ष : पूरा भाषण सुनो।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आप बोलते हैं, तो इधर भी सुनते हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरा सुनने की क्षमता रखो।

? (व्यवधान)

-

18.14 hrs

At this stage, Shri Rahul Gandhi, Shri Dharmendra Yadav,

Shri Yusuf Pathan and some other hon. Members left the House.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, ये लोग डर गए हैं और जवाब सुन नहीं सकते हैं ।? (व्यवधान) इन्होंने देश के सामने झूठ फैला कर, गुमराह करके चर्चा मांगी ।? (व्यवधान) आज गृह मंत्री जी एक-एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए। ? (व्यवधान) ये सुन भी नहीं सकते हैं। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, तो इतने दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? ? (व्यवधान) अगर ये सच्चाई नहीं सुन सकते हैं तो इतने दिनों तक सड़कों पर, संसद का समय और लोगों में भ्रम फैला कर समय क्यों बर्बाद किया? ? (व्यवधान) ये दिखा रहे हैं और हमें मालूम था कि ये भागने वाले हैं। ? (व्यवधान) सच्चाई को सुनना चाहिए ।? (व्यवधान) जब सच्चाई सामने आई तो ये डर गए ।? ? (व्यवधान) इनमें सुनने की कैपेसिटी तक नहीं है और इन्होंने इतना गुमराह किया। ? (व्यवधान) इन्होंने पिछला पार्लियामेंट सेशन तबाह किया। इन्होंने इसी मुद्दे पर मानसून सेशन को भी बर्बाद किया। ? (व्यवधान) इन्होंने शीतकालीन सत्र के भी दो दिन बर्बाद किए। आज गृह मंत्री जी जब बारीकी से बता रहे थे तो ये लोग भाग गए। ? (व्यवधान) यह तो ठीक नहीं है। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, ये दो सौ बार भी बहिष्कार करें, एक भी अवैध घुसपैठिये को इस देश में वोट नहीं देने देंगे। यह हमारी एनडीए की पॉलिसी है। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची से नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया करके डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। ये सदन छोड़ कर क्यों भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, न कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा था। मैं तो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात कर रहा था। मैंने श्री जहवारलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर इतने सारे आरोप लगाये, अगर तब भागते तो लाजिमी था। ये घुसपैठियों के लिए भाग गए। हमारी पॉलिसी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की है। उनकी पॉलिसी है कि घुसपैठ को नॉर्मलाइज कर दो, उसके बाद मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर यह लम्बे समय तक नहीं चलता है। मैं अपने मन से मानता हूं, मेरी पार्टी के सिद्धांत तो हैं ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बंट चुका है। हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी इस देश के भी बंटवारे देखें। इसलिए यह बहुत जरूरी है और इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा।

मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आज मैं बताना चाहता हूं कि घुसपैठ भारत-बांग्लादेश की सीमा से हो रही है। पश्चिम बंगाल पर कुल 2216 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और एक बड़ा हिस्सा कहां बाकी रह गया है? क्या ये आपको मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल का बाकी है। असम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू-कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया और गुजरात का पूरा हो गया है। खाली बंगाल का बाकी रखा है। मैं आज टीएमसी के लोगों को भी कहना चाहता हूं। राहुल जी के साथ में रहकर

घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, तो वे साफ हो गए। आप भी घुसपैठिये को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी की विजय तय है।

मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही है? आप बॉर्डर नहीं बनाने दोगे, फैंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी, फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? वह गांव में आता है। क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता है? मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। कौन-सी मतदाता सूची में एड होता है, तो बंगाल में होता है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कभी-कभार घुसपैठियों के आधार पर चुनाव तो जीत जाओगे, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर नहीं रख सकते। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश देकर एक बहुत महान फैसला किया है। मान्यवर, आने वाले दिनों में बंगाल भी यह करने जा रहा है, यह उनको मालूम नहीं है।

मान्यवर, कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि आपने सारी संवैधानिक संस्थाएं करप्ट कर दीं। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने यह कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं। भई! इसमें क्या आपत्ति है? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वालों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखा जाएगा? अरे! इस देश का प्रधान मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और ये जनादेश से बनकर आए हैं, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए हैं।

मान्यवर, उन्होंने क्या किया है, यह मैं फिर बताना चाहता हूं। वर्ष 1969 में इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। वर्ष 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया। इंदिरा जी ने प्रधान मंत्री रहते हुए अपनी पार्टी के मेंटेड को ही डिफाई करके कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग अंतर-आत्मा की आवाज से करनी चाहिए और उन्होंने वी.वी. गिरी को प्रत्याशी बनाया। फिर क्या हुआ? चूंकि वह अल्पमत में थीं और संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। उन्होंने जीतने के लिए कम्यूनिस्टों से समाधान किया और इस देश के सारे संस्थानों पर, शिक्षा संस्थानों पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर कम्यूनिस्टों को बैठाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने के काम किया गया। वामपंथी विचारधारा इस देश की प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डायवर्ट करने का काम किया है, जो वर्ष 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी इसको एक अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते

हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है। आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झण्डा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा है। ये हमें क्या समझाते हैं? क्या हम ऐसे ही मान लेंगे? साहब, हम नहीं डरते हैं। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो दस साल का था और नारे लगाता था कि असम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते-लड़ते आए हैं। हम नहीं डरते हैं।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं। वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने धारा 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आप अब वन नेशन, वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीतेंगे।

मान्यवर, 60 करोड़ गरीबों को इस देश के प्रधान मंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाई, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, पांच किलो मुफ्त अनाज पहुंचाया और पांच लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दीं। ये क्या समझते हैं कि हम वोट चोरी करके जीते हैं? इस देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को इनके 40 सालों में देख लीजिए और हमारे 11 सालों में देख लीजिए। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को तीन गुना बढ़ाया है। इसलिए जनता हमें जीताती है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि वे यहां से चले गए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा हूं।

श्री अमित शाह : आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है।

मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की तरह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ।

मान्यवर, 140 करोड़ जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहां कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला होता है और ये लोग जनता के फैसले के लिए, 'वोट चोरी, वोट चोरी', इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है। जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी है।

मान्यवर, मैं अपने पार्लियामेंट्री मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक अलग रास्ता अपना कर एसआईआर पर चर्चा करा दी है। वरना, इनका झूठ एक तरफा जनता में जा रहा था। आज आपने भी मुझे बहुत विपुल

मात्रा में समय दिया है और जहां जरूरत पड़ी वहां प्रोटेक्शन भी दिया, संरक्षण दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

अंत में फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूं कि तथ्य ठीक से ढूंढ कर लिखें, इनको यहां पर तकलीफ होती है।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।